हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार 13 दिसम्बर, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

13.12.2018/1100/जेके/वाईके/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः माननीय सदस्य प्रश्न काल के बाद आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ले लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, ठीक है।

प्रश्न संख्याः 653

श्री अरूण कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि नगरोटा-बगवां के हटवास गांव में निर्मित चौधरी हरदयाल ओ0बी0सी0 भवन जिसका मैंने पिछली दो विधान सभा में बार-बार प्रश्न लगाया है, क्योंकि यह भवन सरकारी पैसे से बना है और आज उसको एक प्राइवेट सोसायटी रन कर रही है, उसका जितना भी पैसा आ रहा है प्राइवेट वैल्फेयर सोसायटी उस पैसे को अपने ढंग से यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है? मैं चाहता हूं कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया, यह बात ठीक है कि नगरोटा बगवां के हटवास गांव में निर्मित चौधरी हरदयाल ओ0बी0सी0 भवन का निर्माण सरकारी भूमि पर हुआ है। इसमें सरकारी धन का उपयोग हुआ है। जब यह सारा मामला हमारे समक्ष आया तो स्पष्ट हुआ कि भवन बन जाने के बाद इसको बिना सरकार की अनुमति के, बिना किसी उचित प्रक्रिया के फॉलो करते हुए एक सोसायटी को चलाने के लिए इसे दे दिया गया। यह बात ठीक है कि इस प्रकार से सोसायटी को इस भवन का हस्तांतरण किया जाना बिल्कुल उचित नहीं था। हस्तांतरण में भी जिस प्रकार से एस0डी0ओ0, पी0डब्ल्यू0डी0 ने पत्र में सिग्नेचर किए हैं उसमें कोई दिनांक मैंशन नहीं है। विभाग ने इसके ऊपर कार्रवाई की और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा (163) के अधीन विभागीय कार्रवाई इसमें प्रारम्भ हुई थी लेकिन

ये सोसायटी कोर्ट में चली गई। माननीय उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने पर रोक लगा दी और सोसायटी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ समय दिया। माननीय विधायक की जो चिन्ता है, जिस प्रकार से सरकारी भूमि पर यह भवन बना है तो इसका हस्तांतरण पंचायत को किया जाना चाहिए था। मुझे भी लगता है कि इसमें काफी गड़बड़ हुई है। इसमें माननीय विधायक जी का अनुरोध है कि जो गड़बड़ हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आज यहां इस सदन में यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम निश्चित तौर पर जो धांधली हुई है उसकी हम जांच करवाएंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर प्रश्न लगा है इसके जवाब में स्पष्ट है कि मामाला सबज्युडिस है और अदालत से इसमें स्थगन आदेश हैं। जब मामला अदालत में चल रहा है कल भी हमारा ऐसा ही प्रश्न लगा था तो उस वक्त आपने कहा था कि मैटर सब ज्युडिस है, चर्चा नहीं हो सकती है। जब इस मामले को अदालत ने स्थगन आदेश दे रखा है तो यहां पर यह कैसे लग गया और उसके ऊपर मंत्री जी जांच की बात कर रहे हैं, क्या यह दोहरा मापदण्ड नहीं है?

अध्यक्षः मुकेश अग्निहोत्री जी आपकी बात सही है और मेरे ध्यान में भी यह माननीय मंत्री महोदय के बोलने से ही आया है कि यह मामला सब ज्युडिस है। इस मामले पर अब आगे चर्चा नहीं होगी, मेरा ऐसा आदेश है।

13.12.2018/1105/SS-YK/1

प्रश्न संख्याः 653 क्रमागत

माननीय मंत्री जी, अभी सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। यह बिल्कुल हमारे नियम के अनुरूप है कि जो मामला सब-ज्यूडिस है उसमें सदन में चर्चा नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)... मुकेश जी ने बोल दिया है। श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आपने स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो नगरोटा में ओ0बी0सी0 हरदयाल भवन बना है, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, क्या इसमें सरकारी धन का प्रयोग हुआ है? यह जानकारी हम लेना चाह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें सरकारी धन का उपयोग हुआ है? पहली बात तो यह है कि क्या यह सरकारी धन से बना है या नहीं? ...(व्यवधान)... यह स्थिति स्पष्ट हो जाए कि क्या यह सरकारी धन से बना है? इंक्वायरी तो उसके बाद होगी। ...(व्यवधान)... यह गलत जानकारी दे रहे हैं।

अध्यक्ष: एक बार बिल्कुल सही जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने प्वाइंट आउट किया है हम उनसे सहमत हैं। इस पर फ्रदर चर्चा करना नियम की परिधि से बाहर है इसलिए इस पर फ्रदर चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न श्री रमेश चंद ध्वाला जी करेंगे।

प्रश्न संख्या: 986

श्री रमेश चंद ध्वाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने लिखा है कि पूरे डिवीजन में सड़कों को 1163.75 लाख रुपये का नुकसान हुआ था और उसकी भरपाई के लिए 140 लाख रुपये सड़कों की मरम्मत हेतु मिले हैं। ज्वालामुखी और खुण्डियां उप-मण्डलों में सड़कों की लम्बाई लगभग 595 किलोमीटर है। आधा डिवीजन इन दो सब-डिवीजनों में है। यहां पर पिछले पांच सालों में न कोई रिपेयर हुई है और न ही एनुअल सरफेसिंग में एक किलोमीटर में टारिंग हुई है। इन सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि आज भी बच्चे दो-दो किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसकी रैस्टोरेशन के लिए आपने 140 लाख रुपया पूरे डिवीजन को दिया है लेकिन इसकी भरपाई के लिए लगभग 6 करोड़ रुपया हमारे इन दोनों सब-डिवीजनों का बनता है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने की अनुकम्पा करेंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि ज्वालामुखी और खुण्डियां इन दोनों सब-डिवीजनों में सड़कों का बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल 595 किलोमीटर सड़क इन दोनों सब-डिवीजनों में है और उसमें से 295 किलोमीटर सड़क डैमेज हुई है। उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यह जो डैमेज हुआ है वह बहुत ज्यादा हुआ है। इसी प्रकार का डैमेज पूरे प्रदेश भर में विभिन्न सड़कों का हुआ है और उसकी मेंटिनैंस और रिपेयर के लिए एक मुश्त पैसा देना सरकार के लिए कभी भी सम्भव नहीं हो पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि यह डैमेज अभी ही नहीं पिछले पांच वर्षों से हो रहा है और सड़कें टूटती रही हैं। पहले सड़कों की मेंटिनैंस के लिए बहुत कम पैसा होता था। हमारी सरकार आने के बाद बजट आने से पहले ही हमने 100 करोड़ रुपया सड़कों की मेंटिनेंस के लिए एक मुश्त जारी किया और उसके साथ-साथ जब रैगुलर बजट आया, जो भारत सरकार का पहला बजट था, उसमें फिर से 100 करोड़ रुपये का हमने अलग से प्रावधान किया। हम इस बात से सहमत है कि प्रदेश में सड़कों के रख-रखाव के लिए और पैसे की भी आवश्यकता है विशेषतौर से माननीय सदस्य वाला पोर्शन काफी डैमेज हुआ है और इनका कहना सच है कि कुछ किलोमीटर सड़कें तो ऐसी हैं जहां गाड़ी नहीं चल पा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमने 1 करोड़ 40 लाख रुपये जारी किए हैं और अभी कुछ दिन पहले ही, जिस बात का जिक्र इस प्रश्न के उत्तर में नहीं आया है, 1 करोड़ 20 लाख रुपये हमने यह देखते हुए कि नुकसान ज्यादा है, और भी जारी किए हैं। आने वाले समय में हम यह भी सुनिश्चित करेंगें कि जो नुकसान हुआ है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दे कर उसको ठीक किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं आंकड़ों में कहूं तो इस बार बरसात का जो अंतिम दौर है, इसमें पूरे प्रदेश भर में बहुत नुकसान हुआ है । 1994 करोड़ यानि 2000 करोड़ के लगभग यह नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है । 929 सड़कों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस डैमेज़ की असैसमैंट लेने के लिए केन्द्र से दो टीमें आई थी। एक चम्बा की तरफ गई थी दूसरी कीरतपुर से हो कर मनाली तक गई थी। दोनों टीमों ने असैसमैंट करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी गृह मंत्री जी से

और उन टीमों के लोगों से मण्डी में जा कर आग्रह किया था कि इस बार नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। खासतौर से हमारी टूरिस्ट डैस्टिनेशन्ज़ जिनमें विशेषरूप से कुल्लू से ले कर मनाली तक की सड़क बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। बीच का कुछेक पोर्शन तो बिल्कुल ही हमको काटकर नये सिरे से रीस्टोर करने पड़े नहीं तो सड़क चलने के योग्य ही नहीं रही थी। ऐसी परिस्थिति में हमने ज्यादा पैसा मांगा है और उम्मीद करते हैं कि सैंट्रल टीम की रिपोर्ट आने के बाद केन्द्र से और पैसा आएगा, उससे जो आपकी सड़कें डैमेज हुई हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनकी मेंटिनैंस के लिए और भी पैसे देने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगें।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है लेकिन मैं भी मजबूर हूं क्योंकि हमारा 75 परसेंट चंगर एरिया है। वहां पर इतनी लैंड स्लाइड हुई है कि अधिकतर नुकसान इस एरिया में ही हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसकी भरपाई के लिए और धनराशि स्वीकृत की है, मैं यह भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने गर्मियों में रिपेयर की थी लेकिन भारी बरसात के कारण, चंगर एरिया में बरसात भी ज्यादा हुई है जिसके कारण यह नुकसान हुआ है तो यह भरपाई शीघ्रातिशीघ्र करवाई जाए । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर तीन-तीन सौ किलोमीटर के डिविज़न बने हुए हैं। हमारा तो 595 किलोमीटर एरिया इन दो सब डिविज़नों का बनता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि

13.12.2018/1115/av/ag/1

वहां पर दो सबडिविजन हैं तो क्या वहां पर एक और सब डिविजन खुल सकती है? माननीय मुख्य मंत्री जी सभी के लिए बड़े दयालु हैं और नये-नये डिविजन व सब डिविजन खुल रहे हैं तो क्या मेरे वहां भी एक सब डिविजन खोलने का आश्वासन मिल सकता है?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भूमिका से ही समझ गया था कि यह मामला और आगे बढ़ेगा। वैसे इन्होंने अपने प्रश्न के 'ख' भाग में अपनी इस मन्शा का जिक्र भी किया है।

यह बात सत्य है कि वहां पर दो सबडिविजन है और अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो दूरी भी ज्यादा है। पिछली सरकार ने अपनी विदाई के समय वहां एक डिविजन खोलने की भी घोषणा की थी लेकिन वह छूट कैसे गई, यह पता नहीं। ...(व्यवधान)... नहीं, उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। वह नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुई यह मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वहां तो दिल के करीब रहने वाला आदमी था। वे सारी बातों के लिए बहुत सक्षम थे तो उनसे यह काम कैसे छूट गया? मैं एक दिन उस विधान सभा क्षेत्र से जा रहा था। हमने वहां किसी परिवार में दुःख व्यक्त करने जाना था। वहां सफर के दौरान हमने सड़क के दोनों तरफ पत्थर लगे हुए देखें। मुझे बताया गया कि वहां पर सैंकड़ों की तादाद में पत्थर लगे हुए हैं। कोई पत्थर स्वाभाविक रूप से तभी लगता है जब वहां पर उन्होंने किसी काम की शुरुआत की होगी। ...(व्यवधान)... वहां पर 595 पत्थर लगे हैं तो इसका मतलब वहां पर हर किलोमीटर के हिसाब से पत्थर लगे हुए हैं। इससे हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि लोग पत्थर नहीं देखते, जमीन पर क्या हुआ उसको देखते हैं। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, शिमला की दीवारों पर कोई सौ पत्थर टांग दिए। आपके समय में कहा जाता था कि गाड़ी ले आओ और लेकर के चले जाओ। आपने रस्सी खींच दी और पत्थर टांग दिए। ...(व्यवधान)... नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने विधान सभा क्षेत्र में जाकर ऐसा किया है। विधान सभा क्षेत्र में अगर आठ शिलान्यास है और अगर लगता है कि 50 या 20 किलोमीटर पर जाकर शिलान्यास करना है तो इस तरह से किए हैं, शिमला में कोई नहीं किया। ठीक है, वह दौर निकल गया। मुझे लगता है कि उससे आप कुछ सीखेंगे और हम भी अपने साथियों को बोलते हैं कि इन पत्थरों के चक्र में ज्यादा मत पड़ो क्योंकि अनुभव अच्छा नहीं है।

यहां पर माननीय सदस्य ने जो बात कही है उस संदर्भ में आने वाले समय में गुण-दोष के आधार पर विचार करेंगे। ठीक है, पिछली जो कमिटमैंट थी वह पूरी नहीं हुई है। मैंने उस प्रपोजल पर अभी तक वर्कआउट नहीं किया है। हम जब आपके विधान सभा क्षेत्र में कभी दौरा करेंगे तो इस बारे में विचार करेंगे।

अध्यक्ष : यह प्रश्न कन्स्टिचुअंसी स्पैसिफिक है। ...(व्यवधान)... एक मिनट। श्री जगत सिंह नेगी, श्री राकेश पठानिया जी और श्री होशयार सिंह जी ने अनुपूरक प्रश्न करने के लिए अपने हाथ खड़े किए हैं। यह माननीय सदस्य का अपनी कन्स्टिचुअंसी स्पैसिफिक क्वेशचन है। ...(व्यवधान)... अगर उस कन्स्टिचुअंसी के बारे में पूछना है तो पूछिए वरना अब इस बारे में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के बारे में उत्तर दिया है, इन्होंने एक निर्वाचन क्षेत्र का स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया है। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी का जो उत्तर आया है मैं उसी से अनुपूरक प्रश्न निकाल रहा हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इन्होंने आते ही सड़कों के रख-रखाव के लिए सौ करोड़ रुपये दे दिए। उसके बाद आपने सौ करोड़ रुपये और दे दिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस दो सौ करोड़ रुपये के अलावा नेशनल हाई-वे के लिए क्या अलग से पैसा आया है

13.12.2018/1120/TCV/DC/1

क्योंकि इस 205 नेशनल हाईवे से पूरे प्रदेश के मंत्रीगण व विधायकगण आते-जाते हैं। इसके साथ ही शिमला से ज्यूडिशयल अकैडमी तक बहुत अच्छी सड़क बनी है, क्या यह सड़क हाईकोर्ट के डर से इतनी अच्छी बनी है? उस ज्यूडिशयल अकैडमी से आगे नम्होल तक की सड़क की खस्ता हालत है। क्या आप इस सड़क को ठीक करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करेंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न से इसका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन 100 करोड़ रुपये हमने सरकार बनते ही सड़कों की मेंटेनेंस के लिए दिये है और उसके बाद 100 करोड़ रुपये का प्रावधान नये बजट में किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ, जब इतना पैसा सड़कों की मेंटेनेंस के लिए रखा गया।

दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जब बरसात और सर्दी आती है तो सड़क डैमेज हो जाती है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों की वज़ह से सड़कों को मेंटेन करना बहुत कठिन कार्य है। जो प्रश्न माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने पूछा है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ 32 किलोमीटर का पैच है, जिसमें दाड़लाघाट, नम्होल इत्यादि आता है, वह पोर्शन छूट गया था। बल्कि उसका भी टेंडर हो गया था लेकिन उस कांट्रैक्टर ने वहां पर काम शुरू नहीं किया था। अब वहां पर काम शुरू हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही वह काम पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए मैंने एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों से भी बात की थी। ---(व्यवधान)---मैं हेलिकॉप्टर से भी जाता हूं और सड़कों से मेरा प्रवास लगातार होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं मण्डी गया था तो मैंने एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों से इस सड़क के बारे में बात की थी।

प्रश्न संख्याः 987

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम में माननीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी और माननीय शिक्षा मंत्री, श्री सुरेश भारद्धाज जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इनके प्रयासों से शिक्षा विभाग में लगभग 98 प्रतिशत् खाली पदों को भर लिया गया है, लेकिन जो 2 प्रतिशत् शेष रहे हैं, वे ट्रिब्यूनल में स्टे के कारण रिक्त हैं। हमारे कुछ शिक्षक एडजस्टमेंट करवा लेते हैं और इसके कारण बैकवर्ड एरिया में कुछ पद खाली चल रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जे0बी0टी0 और टी0जी0टी0 के सभी पद भरे हुए हैं और हाल ही में ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय , मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पिछली बार जो स्कूल अपग्रेड किए गए थे, उनमें बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

13-12-2018/1125/NS/DC/1

अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए, आप आगे बढ़िए।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के "ख" भाग के बारे में पूछ रहा हूं। राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक्की, घटासनी, सिम्बल घट्टा, बनेट, गेहरना, काथला, मालवां, ध्रुव बनेट, बरोडी, जगला, नघोग, भरेरा-II, ,खरगट, भौंट, पुखरू, कुमहारटा, कुडेरा, गुरढाल, साहला, दुलाड़ी आदि स्कूल ऐसे हैं, जहां पर अभी भवनों की कमी है। कई भवन बने हुए हैं लेकिन अभी तक उनके नाम पर ज़मीन नहीं है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि जिन संस्थानों के नाम पर जमीन नहीं है और भवन बने हुए हैं, इन स्कूलों के नाम पर जमीन शीघ्रातिशीघ्र कर दी जाए ताकि जब इनके लिए बजट मिलेगा तो हम वहां पर भवन नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जमीन स्कूल के नाम पर नहीं है। ऐसे ही मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, सिहुंता है जोकि कन्या पाठशाला में खोला गया है। इसके लिए भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से गुज़ारिश करूंगा कि भवन बजट का प्रावधान करें ताकि इस भवन का काम जल्दी शुरू हो सके। दो राजकीय माध्यमिक पाठशालाएं खुई और रंगड़ अपग्रेड हुए थे। लेकिन भवन न होने की वजह से बंद पड़े हैं। खुई स्कूल तो ऐसा है जहां पर प्राथमिक स्कूल का भवन भी नहीं था और वहां पर सरकार ने स्कूल अपग्रेड कर दिया। मेरे क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं। कई जगहों पर जमीन न होने के कारण स्कूल अपग्रेड कर दिए गए हैं। मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही प्रार्थना रहेगी कि जिन स्कूलों में शौचालय और भवनों की कमी है तो कब तक ये कमी पूरी होगी?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। अधिकांश स्कूलों के भवन और शौचालय चम्बा जिले में बने हैं। क्योंकि यह एक महत्वाकांक्षी जिला है। कुछ स्थानों पर शौचालयों की कमी है, जिसको हम इस वर्ष कंपलीट कर देंगे। कई स्थानों पर भवन नहीं बन पाए हैं। क्योंकि वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है। कुछ स्थानों पर एफ0सी0ए0 की समस्या है। मेरा माननीय सदस्य से

निवेदन रहेगा कि जमीन उपलब्ध करवाने में वे विभाग की मदद करें ताकि जमीन मिल सके और भवन निर्माण हो सके। वहां पर हमने अधिकांश रिक्तियां भर दी हैं और अगर कुछ कम रहती है तो विभाग ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर और कालेजिज की हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीश्न को भेज रखी हैं। जैसे ही आएंगी, हम ये रिक्तियां भी भर देंगे।

प्रश्न संख्याः 988

श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न के "ग" भाग के बारे में आश्वासन चाहता हूं। मैंने प्रश्न किया था कि क्या सेवानिवृत कर्मचारियों/ श्रमिकों को सरकार पैंशन देने का विचार रखती है या नहीं? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब से बिरोजा फैक्टरी बनी है, तब से वर्ष 1969-70 से ये वहां पर कार्यरत कर्मचारी थे। वर्ष 1974 में वन निगम की स्थापना हुई। इसके बाद वर्ष 1995 में वन निगम ने ऑप्शन ली कि अन्य विभागों की तरह आपको भी पैंशन दी जाएगी। लेकिन वर्ष 1999 से 2000 तक के जो सेवानिवृत कर्मचारी हैं, उनको पैंशन दे दी गई है और बाकी कर्मचारियों को नहीं दी गई है। कई कर्मचारियों को पैंशन ई0पी0एफ0 के अनुसार दी जा रही है,

13.12.2018/1130/RKS/HK-1

वह पैंशन नाम मात्र की है। यह पैंशन एक हजार रुपये दी जा रही है। उनका मानना है कि उन्हें 75 वर्ष की आयु में एक हजार रुपये मिलते हैं। वे न वृद्धा पैंशन में आते हैं और न ही वे दूसरा काम- धंधा कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी आश्वासन चाहूंगा कि उन्हें भी पैंशन प्रदान की जाए।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में है। यहां पर Corporate Employee Act और Industrial Workers Act के तहत कर्मचारी लगे हुए थे। जो 155 सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हें पैंशन का लाभ दे दिया गया है और जो शेष 54 हैं उनके संबंध में वित्त विभाग से राय और कानूनी सलाह-मशवरा लेने के

उपरांत यह मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार यह प्रयास करेगी की उन 54 लोगों को भी पैंशन प्रदान की जाए।

<u>प्रश्न संख्याः 989</u>

श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि क्याना-कोटा पाब स्कीम में 65 प्रतिशत काम हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस स्कीम का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? इस स्कीम में एस.ओ.पी. नहीं हुई है और कुछ काम भी अधूरा पड़ा है। पाइपों के डिस्ट्रिब्यूशन्ज का काम भी अभी तक नहीं हुआ है। यह पंचायत आई.पी.एच. डिविजन, नोहराधार में पड़ती है। इस स्कीम के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है। अतः मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि इस स्कीम के लिए अतिरिक्त पैसा प्रदान किया जाए और इस स्कीम को कब तक पूर्ण किया जाएगा, यह भी स्पष्ट किया जाए? दूसरा, जो वाटर सप्लाई स्कीम नया-पंजोर है इसके प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि इस स्कीम के तहत 8 टैंक्स बने हैं और सभी टैंकों में पानी डाल दिया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी दो टैंकों में पानी नहीं डाला गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वस्त होना चाहूंगा कि जो नया-पंजोर वाली स्कीम अधूरी पड़ी है इसके लिए माननीय मंत्री जी विभाग को आदेश दें ताकि यह स्कीम जल्द-से-जल्द पूर्ण की जा सके और टैंकों में पानी डालकर लोगों को सुविधा प्रदान की जाए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने 'a' पार्ट में प्रश्न पूछा है वह स्कीम अलग है और 'b' पार्ट वाली स्कीम अलग है। मैंन कल भी यह बात आपके ध्यान में लाई थी कि किसी भी प्रश्न के अलग-अलग भाग में दो प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। मेरा माननीय अध्यक्ष जी से यह आग्रह है कि इस बारे में सचिवालय को आदेश दिए जाएं। जो 'a' भाग की स्कीम है इसकी AA&ES 25.01 लाख रुपये की है। जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसकी एस.ओ. पी. नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्य को बताना

चाहूंगा कि इसका एस.ओ.पी. 30 लाख रुपये का आया है। यह 25 लाख रुपये की स्कीम है और विद्युत विभाग वाले 30 लाख रुपये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मांग रहे हैं जोकि एक चिंता का विषय है। पार्ट 'a' की स्कीम का कार्य 65 प्रतिशत हो चुका है। इस स्कीम के सोर्स को लेकर एक डिस्प्यूट चला हुआ था। साथ ही स्थानीय लोग भी नोहरधार मंडल में नहीं रहना चाहते थे वे चाहते थे कि उन्हें पांवटा, मंडल में रखा जाए। फिर इस स्कीम को नोहराधार मंडल से बदलकर पावंटा कर दिया गया। उसके बाद पांवटा से बदलकर नोहराधार कर दिया गया। इस तरह यह अदला-बदली चलती रही।इस स्कीम को पूरा करने के लिए 94.85 लाख रुपये की आवश्यकता है।

13.12.2018/1135/बी.एस./एच.के./-1

अब मैंने विभाग को कहा कि तुरंत इसका रिवाइज्ड अस्टिमेट बनाएं, रिवाइज्ड अस्टिमेट बना करके आप इसकी एन.डी.एस. बनाएं, क्योंकि 25 लाख रुपये से अधिक का कार्य तभी संभव हो पाएगा जब इसकी रिवाइज्ड एन.डी.एस. होगी। हम इसकी रिवाइज्ड एन.डी.एस. लेंगे फिर इसके कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले यह जो स्कीम थी वह हमारी भारत सरकार की ए.आर.ड्ब्लू.एस.पी. स्कीम में थी। अब इसको ए.आर.पी. कहते हैं। लेकिन अब यह बदल करके एन.आर.ड्ब्लू.पी. में आ गई है। जैसे ही इसकी रिवाइज्ड एन.डी.एस. होगी उसके तुरंत बाद हम इसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे कि यह स्कीम जल्द पूरी हो। हम इस स्कीम को 6 महीने के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे।

आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है इसमें जो आपकी स्कीम है, इसमें आपने अगल-अगल जानकारियां चाही हैं कि किस-किस आकार की पाइप्स लगाई गई हैं। हमने उत्तर में सारी जानकारी दी है। इस प्रश्न में आपने एक स्कीम का नाम दिया है, उस नाम से कोई स्कीम नहीं है। स्कीम का नाम Water Supply Scheme to PC Habitation of Nai and group of villages उसके लिए है । इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विभाग को भी इस नाम के बारे में पता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपकी स्कीम के कार्य में कोई विलंब हो रहा है, आप अवश्य मेरे ध्यान में लाएं, हम इसपर कार्य करेंगे।

प्रश्न संख्याः 990

अध्यक्ष : अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : प्रश्न संख्याः 990 क,ख,ग,ङ सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रश्न संख्याः 991

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिला किन्नौर में 36 प्रोजैक्ट्स आवंटित हुए हैं उनमें केवल 6 प्रोजैक्ट्स कमीशन हुए हैं। बाकी सारे-के-सारे अधूरे पड़े हैं और ये प्रोजैक्ट्स भी बहुत समय से अधूरे पड़े हैं। इनमें से कुछ वर्ष 2000 से लंबित पड़े हैं । इसी प्रकार प्रदेश में भी 707 प्रोजैक्ट्स आपने बताए हैं वह भी वर्ष 2000 के बाद के अधूरे पड़े हैं उन में से आपके 100 के करीब प्रोजैक्ट कमीशन हुए हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रोजैक्ट्स कॉम्पोनेंट है जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी या उन्हें कैंसिल करेगी? तथा उन प्रोजक्ट्स को तैयार करवाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जाएगी ?

13/12/2018/1140/RG/YK/1

बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। हाईडिल प्रोजैक्ट बनाना और लगाना प्रदेश के लिए बहुत मुश्किल कार्य हो चुका है। इन्होंने ठीक कहा कि किन्नौर में 36 हाईडिल प्रोजैक्ट्स अलॉटेड थे जो 95 मेगावाट के थे और 25.90 मेगावाट के 7 ही प्रोजैक्ट्स कमीशन्ड हुए। इम्प्लीमेंट ऐग्रीमेंट तीन ही साईन हुए हैं जो 13 मेगावाट के हैं। आपने ठीक कहा कि किन्नौर में जो प्रोजैक्ट्स में समस्या आ रही है, मैं आपके ध्यान में और सदन के ध्यान में भी यह लाना चाहता हूं। किन्नौर में तीन प्रोजैक्ट्स जिनके इम्प्लीमेंट ऐग्रीमेंट हुए, उन पर काम शुरू किया गया। जैसे पांगी तीन मेगावाट का जो प्रोजैक्ट वहां शुरू किया गया था। लेकिन किन्नौर में लोगों के द्वारा यह

कहकर उसको रोका गया कि उसमें 50% शेयर गांव वालों का होना चाहिए। इनवेस्टमेंट चाहे कोई भी करेंगे। फ्री में बिजली भी दीजिए। तो इस प्रकार से जब आप मांग करेंगे तो कैसे होगा? एन.ओ.सी. उसके लिए पहले दे दी गई और उसके पश्चात वह विदड्रॉ कर ली गई। जब पंचायत के माध्यम से प्रोजैक्ट लगाने के लिए एन.ओ.सी. आ जाती है और जब वह कंस्ट्रक्शन स्टेज पर आता है तब एन.ओ.सी. विदड्रॉ कर ली जाती है और नई मांग खड़ी दी जाती है। इसलिए प्रोजैक्ट लगाना चाहे वह स्माल या बड़े हाईडिल प्रोजैक्ट हों, मुश्किल हो गया है। क्योंकि धीरे-धीरे मांग बढ़ती जा रही है। सोलडन पांच मेगावाट का प्रोजैक्ट है। वहां भी डिमाण्ड पांच करोड़ रुपये कर दी गई कि पांच करोड़ रुपये दीजिए, तब जाकर इस प्रोजैक्ट को हम चलने देंगे। आपके विधान सभा क्षेत्र के बहुत से ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन स्टेज में फंसे हुए हैं और कंस्ट्रक्शन स्टेज में जब तक आप लोगों के साथ चर्चा नहीं करेंगे, उनको हाइडिल प्रोजैक्ट के बारे समझाएंगे नहीं कि इससे कितना फायदा प्रदेश को और उसी क्षेत्र के लोगों को होने जा रहा है, तब तक मुश्किल होगी। लोकल एरिया डवलपमेंट फन्ड के लिए हम एक या डेढ़ प्रतिशत देते हैं। अब एक हजार करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है,'कैम्पा' में 200 करोड़ रुपये देते हैं। वैसे इसमें विभाग तो प्रयास करेगा और जो भी प्रोजैक्ट्स नहीं लग रहे हैं, उनको लगातार विभाग नोटिस भी दे रहा है, परन्तु नोटिस देने के बाद भी यदि इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारी परेशानी आ रही है, उसके लिए मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध रहेगा कि यदि किन्नौर में सहयोग करें तो अच्छा रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि विभाग भी इसमें प्रयास कर रहा है। क्योंकि हमने हाईडिल पॉलिसी भी बदली है। वही कारण था कि हमारे प्रोजैक्ट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन उनको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग इसमें सहयोग करें और यदि लोगों का सहयोग होगा तो हम निश्चित तौर पर जो भी हमारे प्रोजैक्ट्स रुके हुए हैं, उनको हम चलाने का आपको विश्वास दिलाते हैं।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने केवल किन्नौर की बात की जबकि मैंने तो यहां पूरे प्रदेश की बात की थी। सात सौ प्रोजैक्ट्स अभी आपके बनने हैं। जहां तक एन.ओ.सी. की बात है, तो एन.ओ.सी. यदि एक बार कोई दे दे तो दुबारा से उसको विदड्रॉ करने का प्रश्न ही नहीं होता। आप उसको कोर्ट में ले जाते। जहां तक आप किन्नौर की बात कर रहे हैं, चार सौ मेगावाट के सरकारी क्षेत्र में एच.पी.सी.एल.

के प्रोजैक्ट शांगटौंग-कड़छम में सारे एन.ओ.सी. दिए हुए हैं और वहां किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई हुई है। यह तो एच.पी.सी.एल. की नालायकी के कारण आपका प्रोजैक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके बारे में तो आप बोल नहीं रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि यह बहानेबाजी छोड़कर कोई ठोस नीति बनाइए। अगर कहीं पर कोई कमी है तो कानून बना दीजिए, लेकिन आप ऐसा करें कि या तो प्रोजैक्ट को कैन्सिल कर दो या फिर शुरू करिए। मेरा आपसे यही कहना है।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चाहा है तो मैं प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां भी हमारी स्थिति ऐसी है कि टोटल प्रोजैक्ट्स हमारे 707 अलाटेड हैं और लगभग 284.5 मेगावाट के 76 प्रोजैक्ट्स कमीशन्ड हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऐग्रीमेंट लगभग 173 साईन किए हुए हैं। वहां भी लगातार नोटिस देने की बात है, तो वह भी हम दे रहे हैं। जिस प्रोजैक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मैं तो इस विभाग को अब देख रहा हूं। तो मैं स्वयं उस प्रोजैक्ट को देखने के लिए गया था। हमने देखा कि पॉवर कॉरपोरेशन के द्वारा भी गलती हुई है। मैं इस बात को सदन में नहीं कहता कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। इस प्रोजैक्ट में डम्पिंग साईट सुनिश्चित नहीं की गई थी और कई परिशानियां उस प्रोजैक्ट को चलाने में आ रही हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पॉवर कॉरपोरेशन के द्वारा पूर्ण रूप से काम नहीं किया गया था।

13/12/2018/1145/MS/YK/1

किन्तु पावर सैक्टर के अंदर जब तक हम समयबद्ध तरीके से काम करने का प्रयास नहीं करेंगे, लोगों को समझाने की बात नहीं करेंगे, तब तक समस्या है। किन्नौर के अंदर भी यही समस्या आ रही है। माननीय सदस्य ने लीगल ऐक्शन की बात कही है लेकिन अगर हम प्रोजैक्ट कैंसल करेंगे तो किस कण्डीशन में करेंगे? लीगल बैटल की बात है तो हमें लीगली फाइट करना पड़ेगा। जहां एन0ओ0सी0 विड्रो करने की बात है, उसको भी लीगली ऐग्जामिन किया जाएगा कि किस तरीके से उसको करेंगे। प्रोजैक्ट चले इसके लिए विभाग द्वारा प्रयास किया जाएगा।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर(कुल्लू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज हिमाचल में यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है कि आज हमारा यह प्रदेश ऊर्जा राज्य बनना चाहिए था लेकिन हम पिछड़ते जा रहे हैं और स्थिति बद-से-बदत्तर होती जा रही है। मैं समझता हूं कि इस विषय में सभी को मिल-बैठकर विचार-विमर्श करना चाहिए। खासतौर पर जिला स्तर पर एक कॉर्डिनेशन कमेटी की बात मुख्य मंत्री जी ने कही थी कि लोकल विधायक, डी0सी0 और एस0पी0 बैठकर सारे प्रोजैक्ट्स को मॉनिटर करे कि कहां पर मदद हो सकती है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लैण्ड एक्विजिशन होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन (राजस्व विभाग) उस लैण्ड की निशानदेही के लिए कोई कदम नहीं उठाता है यानी उस लैण्ड के पजैशन देने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। अनेक ऐसे मामले हैं कि लोकल पावर प्रोड्यूसर को आज कोर्ट में जाना पड़ रहा है और कोर्ट की डायरैक्शन्ज के बावजूद वहां एडमिनिस्ट्रेशन का कोई साथ नहीं मिलता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेशन के लिए दिशा-निर्देश जारी करें ताकि इन प्रोजैक्ट्स को सहयोग मिले। इसके अलावा एक और बात है कि प्रोजैक्ट तैयार हो रहा है लेकिन उसके बाद वहां पर इवैक्यूएशन सिस्टम नहीं है। आप देखिए कि चार-चार प्रोजैक्ट पूरी वैली में चार-चार लाइनें घुमाकर जा रहे हैं और जो वहां लोकल पावर प्रोड्यूसर्ज हैं, वे इवैक्यूएशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए पैसा भी देने को तैयार हैं लेकिन फाइलें ही आगे नहीं चलती हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जिला प्रशासन को जारी हों और डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिन्ता वज़िब है। मैं समझता हूं कि यह प्रदेश-हित से जुड़ा हुआ मसला है। माननीय सदस्य ने जो मामला सदन में उठाया है इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और सरकार गम्भीर है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ये आदेश किए हैं कि मेरी अध्यक्षता के अंदर हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, तो कमेटी क्योंकि पहले ही बन गई है इसलिए बहुत जल्दी ही हम इसकी मीटिंग भी करेंगे तथा सभी विभागों से चर्चा भी करेंगे कि इसमें और क्या तरीका निकाला जाए जिससे

ये प्रोजैक्ट्स अब स्ट्रीमलाइन हों। उसके लिए जल्दी-से-जल्दी हम मीटिंग करते रहेंगे और उसके लिए जो भी स्टैप उठाने पड़ेंगे, सरकार उसके लिए प्रयास करेगी।

अध्यक्षः श्री राकेश सिंघा जी अंतिम अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग)ः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से दो बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। यह ठीक है कि आज की तारीख में हमारी चिन्ताएं होनी चाहिए कि जो छोटे प्रोजैक्ट्स हैं, ये किस तरीके से बनें और इनको क्या-क्या कठिनाइयां हैं तो ये दो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली, जैसे माननीय सदस्य ने इवैक्यूएशन के बारे में कहा कि आप प्रोजैक्ट बना देंगे लेकिन जितने भी आज छोटे प्रोजैक्ट्स हैं उनमें इवैक्यूएशन की इतनी गम्भीर समस्या है जिसकी अनुमति लम्बे समय तक नहीं मिलती है जिसके कारण वह प्रोजैक्ट वाला पावर प्रोड्यूसर ही डूब जाता है। अगर हम बासपा में कर सकते हैं और पहले हमने जे0पी0 को अनुमति दी कि सारी-की-सारी पावर बिजली बोर्ड लेगा तो उस प्रोजैक्ट की डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट में या पावर परचेज एग्रीमैंट में (पी0पी0ए0) में ये वाली शर्त जुड़ जानी चाहिए। दूसरी है कि किस रेट में पावर परचेज एग्रीमैंट हो, वह भी पहले ही हो जाना चाहिए जिससे ये जो छोटे प्रोजैक्ट बना रहे हैं उनको उस प्रोजैक्ट को बनाने के लिए कुछ उत्साह हो। क्या इन दोनों बातों के लिए आपकी सरकार तैयार है या नहीं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जब छोटे प्रोजैक्ट लगते हैं तो उनमें इवैक्यूएशन की सबसे बड़ी समस्या आती है। जो छोटे प्रोजैक्ट पांच मैगावाट से नीचे के हैं उनमें इवैक्यूएशन का काम बिजली बोर्ड के माध्यम से करते हैं और कई बार उस लाइन के अंदर लोड की वजह से समस्या आती है। ऐसे कई प्रोजैक्ट्स मेरे ध्यान में लाए भी गए हैं जहां लोड की समस्या है। यह भी चिन्ता का विषय है कि जिन्होंने छोटे पांच मैगावाट तक के प्रोजैक्ट्स बनाए थे,

उनको यह कहा गया कि अभी विन्टर इवैक्यूएशन को करेंगे। समर में जब बिजली का दोहन करते हैं उस वक्त इवैक्यूएशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर लोड नहीं है, यह भी चिन्ता का विषय है। जब गर्मियों में और बरसात के अन्दर बिजली पैदा कर रहे हैं तो हमारे पास इवैक्युएशन के लिए कोई साधन नहीं है। मैं तभी कहना चाहता हूं क्योंकि पीछे क्या हुआ, उस बारे में मैं यहां पर ज़वाब नहीं दे पाऊंगा? वर्तमान में हम क्या करने जा रहे हैं, यह चिन्ता का विषय है कि इवैक्युएशन के लिए भी जो बड़े-बड़े प्रोजैक्ट इवैक्युएशन के लिए आते हैं उनसे हम यह चर्चा करते हैं। उन्हें कम से कम 50 प्रतिशत लोड हमें मिलना चाहिए। जब तक 50 प्रतिशत लोड नहीं मिलेगा, ट्रांसमिशन लाइन हम बिछाते हैं, बहुत सी जगह पर हमने ट्रांसमिशन लाइन तो बिछा दी लेकिन वहां पर प्रोजैक्ट नहीं लगे। प्रोजैक्ट न लगने की वजह से हमारा खर्चा ही हुआ है। जब तक हमें 50 प्रतिशत लोड फैक्टर आ जाता है कि यहां पर इतने हमारे कमिशन प्रोजैक्ट होंगे उसमें ट्रांसमिशन काम भी हम उस तरह से ही करेंगे। जो आपने चिन्ता व्यक्त की है, हम बिजली बोर्ड के साथ मिल बैठ कर इसमें प्रयास करेंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सारे विषयों का उत्तर दे दिया है लेकिन मैं इसमें विशेषतौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक माननीय सदस्य ने कमेटी का जिक्र किया, उस कमेटी के बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बात कह दी है। हिमाचल पद्रेश की पहचान एक वक्त ऊर्जा राज्य के रूप में पूरे देश-दुनिया में बनी थी और आज यह परिस्थिति है कि जो हमारे अलॉटिड प्रोजैक्ट्स हैं, उनको लोग छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। उसका बहुत ज्यादा जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया। कई पॉलिसीज़ से सम्बन्धित इशूज़ थे और उसके साथ पॉलिसी से हट करके भी एक वातावरण जो हिमाचल के बारे में पूरे देश में जाना जाता है कि हिमाचल प्रदेश एक अच्छा प्रदेश है, जहां कानून-व्यवस्था अच्छी है, जहां जलवायु अच्छी है और जहां काम करने का माहौल है, उसमें हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से जब से हमारे हाइडल

प्रोजैक्ट्स खासतौर से यहां पर आए हैं, बहुत ज्यादा यूनियनबाजी हो गई है जिसके कारण जो लोग यहां पर प्रोजैक्ट लगाना चाहते हैं, वे दहशत के माहौल में हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी ने जो बात कही, मैं इस बात का उनसे विशेषतौर से आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोगों को एक माहौल बनाना चाहिए,क्योंकि जहां भी प्रोजैक्ट शुरू होने की सम्भवना लगती है तो कुछ लोग झण्डा ले कर बैठ जाते हैं, लाल झण्डा ले करके बैठ जाते हैं। जो यहां पर इन्वैस्ट करने के लिए लोग आना चाहते हैं, प्रोजैक्ट का काम शुरू करना चाहते हैं, उनके सामने इस प्रकार की मांगें रख दी जाती है कि उनमें से कुछ बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं होती । श्री जगत सिंह नेगी जी जो किन्नौर से हैं उनका यह मूल प्रश्न है। आप उन परिस्थितियों को देखते होंगे क्योंकि वहां पर जितने भी प्रोजैक्ट्स हैं उनमें यूनियनबाजी के कारण जिन्होंने वहां पर प्रोजैक्ट लगाए हैं, उनके हालात क्या हैं? क्या हम यही दौर चलाना चाहते हैं? बाकी तो प्रश्न का उत्तर हो गया लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली की क्षमता लगभग 27,000 मैगावाट तक है और हाइएस्ट लैवल लगभग 23,000 मैगावाट तक है, जिसका दोहन हम कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय यह भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में हाइडल सेक्टर में लगभग 45,000 मैगावॉट बिजली जेनरेट होती है और उसमें से 10,500 मैगावाट बिजली जेनरेट हिमाचल प्रदेश में होती है। छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश का कॉन्ट्रिब्यूशन बहुत ज्यादा है। हम इस कॉन्ट्रिब्यमशन को अन्तिम छोर तक ले जाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पीक पर जाएं। हमारे हिमाचल प्रदेश की जो टोटल केपेसिटी पावर जेनरेशन की है जो कि 23,500 मैगावाट से ज्यादा बनती है, जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत यह आ रही है कि छोटी- छोटी चीजों का ज़िक्र जो यहां पर कर दिया है, जैसे ट्रांसमिशन का इशू है, पावर इवैक्यूएशन का ज़िक्र आता है और क्लीयरैसिंज़ के इशूज़ हैं लेकिन सबसे ज्यादा जिसको हम और आप रोक सकते हैं, ये टैक्निकल चीजें तो अलग से है, ये तो कागजों पर चलेंगी और उसके सारे प्रोसैस में हमें चलना पड़ेगा लेकिन जिस चीज को हमें अपने व्यवहार से मिलकर रोकना है,

13.12.2018/1155/SS-AG/1

यूनियन के कारण कोई भी आदमी आज हिमाचल की तरफ आने का मन नहीं बना रहा है। यह हमारे लिए सबसे चिन्ता का विषय है। इसलिए मैंने अपना कंसर्न जाहिर किया और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आपके (श्री राकेश सिंघा) सुझाव बहुत अच्छे आते हैं लेकिन यह लाल झंडा थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रोजैक्ट्स लगें।

प्रश्न संख्याः 992

श्री राजेश ठाकुरः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गगरेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कितने सिंचाई नलकूप अधूरे पड़े हैं, इनका कार्य कब शुरू होगा? कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण रहा? इस निर्वाचन क्षेत्र में 20 ट्यूबवैल नए लगने थे, उनकी अद्यतन स्थिति क्या है?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, वैसे तो आपने उत्तर दिया है, शायद राजेश ठाकुर जी ने पढ़ा नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को उत्तर बता दीजिए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है। छः सिंचाई योजनाएं हैं जिनमें 33 नलकूपों का निर्माण कार्य होना है। उनको बोर तो कर दिया गया है। लेकिन बोर करने के आगे जो काम होना है वह अभी तक बाकी है। वैसे तो हमने "क" "ख" "ग" में सारा रिप्लाई लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं माननीय सदस्य जी की चिन्ता के साथ खड़ा हूं। इनकी चिन्ता जायज है। माननीय मुख्य मंत्री जी, इनके विधान सभा क्षेत्र में गए थे और इनको एश्योर किया हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है और साथ में जो पिछली पैंडेंसी है **उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम धन की उपलब्धता अलग-अलग सैक्टर से हो। कुछ उपलब्धता नाबार्ड से है, कुछ एस0सी0सी0पी0 से है, कुछ स्टेट सैक्टर से है। इसके अलावा भी जो हमारे और प्रोजैक्टस आ रहे हैं हम उनसे भी इनको किसी-न-किसी तरीके से धनराशि उपलब्ध**

करवायेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी-से-जल्दी जो इनकी चिन्ता है उसका समाधान हो।

श्री राजेश ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और एक बात कह देना चाहता हूं कि ये जो 6 वाटर सप्लाई स्कीमें और 33 नलकूप बंद पड़े हैं, ये छोटे-छोटे कारणों की वजह से बंद पड़े हैं। कहीं पर वाटर सप्लाई की पाइप लाइन बिछनी है या कहीं ट्रांसफार्मर रखने वाला है। मेरा निवेदन है कि ये जल्दी जनता को सुपुर्द किये जाएं। माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी के दौरे के बाद बहुत से बंद ट्यूबवैल हमने चलाए हैं जोकि आपकी कृपा से चल पड़े हैं। बाकी बंद पड़े टयूबवैल्ज़ को जल्दी-से-जल्दी चलाकर जनता को सुपुर्द करें, धन्यवाद।

अध्यक्षः यह प्रश्न निर्वाचन क्षेत्र स्पैसिफिक है। क्या मुकेश अग्निहोत्री जी आपने कुछ पूछना है?

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऊना जिला में इन्होंने अपने विभाग के सारे ऑफिसर्ज़ डिवीजन और सर्कल में भी सारे होम डिवीजन/होम सर्कल में लगा दिए हैं। इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि सारे एस0ई0, एक्सियन, एस0डी0ओ0 होम डिवीजन में लगा दिए? आप कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी से विशेष अनुमति से लगवाए गए हैं। क्या यह सेवा नियमों में ऊना के लिए विशेष छूट है या फिर चुनाव आने पर हमें चुनाव आयोग के पास इसको लागू करवाने के लिए जाना पड़ेगा?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः हमारे मित्र, मेरे छोटे भाई के समान हैं। इन्होंने यह बात हमारे ध्यान में लाई है, इस पर पता करेंगे कि वास्तविकता क्या है।

13.12.2018/1200/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 993

अध्यक्षः श्री परमजीत सिंह (कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया)

प्रश्न संख्याः 994

अध्यक्षः श्री लखविन्द्र सिंह राणा (कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया)

प्रश्न काल समाप्त

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः राकेश जी, आपका क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो यहां विधान सभा के अंदर हुआ, जिस तरीके से अध्यक्ष का नाम ले कर गाली निकाली गई, (***) नहीं चलेंगें" के नारे यहां पर लगे और जो कल यहां पर वातावरण रहा, हमें विपक्ष की तरफ से सरकारी (***) का एक नया नाम दिया गया , यह जो कुछ कल विधान सभा में हुआ है, हम उसके ऊपर आपसे एक रूलिंग चाहते हैं कि क्या विधान सभा के सभा पटल पर आगे से ऐसी हरकतें अलाउ की जाएंगी? हिमाचल प्रदेश की विधान सभा का जो यहां पर अपोजीशन बेड़ा गर्क कर रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप या हिमाचल प्रदेश इसी तरीके से सुनता रहेगा? हिमाचल प्रदेश विधान सभा की गरिमा का जो ये जलूस निकाल रहे हैं, ...(व्यवधान)... जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की गरिमा का ये उल्लंघन कर रहे हैं, ...(व्यवधान)... जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक संदेश जा रहा है ...(व्यवधान)... यहां पर यह (***) नहीं चलेगा।

Speaker: Please. ...(interruption)... Not to be recorded. ...(व्यवधान)... कृपया बैठिए ...(व्यवधान)... अरे आप बैठिए तो सही ...(व्यवधान)...

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

13.12.2018/1205/av/dc/1

(पक्ष और विपक्ष; दोनों तरफ से कुछ सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

...(व्यवधान)... अरे! जम्वाल जी, आप क्या कर रहे हैं? बैठिए, आप। माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी और सुरेन्द्र शौरी जी; आप लोग बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... प्लीज, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... आप लोग दो मिनट के लिए बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

मान्य सदन की बैठक 12.30 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

13.12.2018/1230/TCV/HK/1

(12.30 बज़े अपराह्न माननीय सदन की बैठक पुनः आरम्भ हुई)

(कांग्रेस दल के सभी सदस्य खड़े होकर नारेबाज़ी करने लगे।)

अध्यक्षः कृपया आप सभी बैठ जाएं। मैं आपको समय देता हूं---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्षः अध्यक्ष महोदय, ये जो आज हाउस में कोशिश हो रही है, हमारा आरोप है कि यह सरकार प्रायोजित (***) है। ---(व्यवधान)-

(दोनों पक्षों से माननीय सदस्य खड़े होकर नारेबाज़ी करने लगे।)

अध्यक्षः कृपया आप बैठ जाइये, एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

(कांग्रेस दल के सभी सदस्य खड़े होकर नारेबाज़ी करने लगे।)

अध्यक्षः जो आपत्तिजनक शब्द है, उनको एक्सपंज किया जाए। आप (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) या तो नारे लगा लो या बोल लो। एक बार में एक काम कर लो। माननीय सदस्य श्री मुकेश जी आप बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री का अपने विधायकों पर नियंत्रण ही नहीं है। जिस ढ़ंग से वे बोल रहे हैं---(व्यवधान)--- अध्यक्ष महोदय, अगर हम बाहर थे तो इसका मतलब यह नहीं है---(व्यवधान)--- संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल जो रेजोल्यूशन पेश किया, ये भूल गए कि ये आपकी चेयर पर जाकर बैठ गए थे। वहां पर जाने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। इनसे पूछिए कि माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जाकर कौन बैठ गया था?

_____

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

13-12-2018/1235/NS/HK/1

आपने कल रेजोल्यूशन मूव किया। मुख्य मंत्री जी के इशारे पर ही यह सब हो रहा है। यह बात हमें मालूम है। क्योंकि इनको लगा कि कल हमारे सदस्यों ने कुछ नहीं किया। ---(व्यवधान)--- आप बीच में मत बोलिए। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः ---(व्यवधान)--- माननीय राकेश जी, आप बीच में मत बोलिए। माननीय मुकेश जी आप अपनी बात कीजिए। ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो हाउस को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः आप सीधी मेरे साथ बात करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल यहां पर रेजोल्यूशन मूव किया और माननीय बरागटा जी ने इसका अनुसमर्थन किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर बोला, आपने भी बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे (विपक्ष) पास आपके खिलाफ़ कोई एजैंडा ही नहीं है। एजैंडा तो आप लगा रहे हैं। आपने क्या किया? नशे पर पहले ही बिल मूव हो रखा है और इस पर चर्चा होनी है। लेकिन आप इस पर पहले चर्चा करवा रहे हैं। हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि हम सब परिस्थितियों में आपके साथ हैं। आप नशे के मुद्दे को गैर-जमानती बनाना चाहते हैं और हम भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो क्योंकि यह प्रेदश का मसला है। लेकिन आपने वह रेजोल्यूशन भी अलौ कर दिया और बिल भी टेबल पर रख दिया। कभी ऐसा होता है कि बिल टेबल हो रहा है और उस पर चर्चा होनी है और आप उस पर अलग से चर्चा करवायें। असैम्बली किसी कायदे-कानून से चलती है। हमारा एन0टी0पी0सी0 वाला विषय कल नहीं लगा। हमने पहले देखा तो बिजनैस में था लेकिन जब फाईनल आया तो उसमें से निकाल दिया गया। कल जो भी चर्चाएं रखी गई थी, तीनों की तीनों सत्ता पक्ष से ओरियंटिड थी। आप बताएं अगर हम कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कोई बात रख रहे हैं तो क्या गलत है। माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री को हमने मान्यता दी। मुख्य मंत्री जी, मुझे कांग्रेस विधायक दल का नेता राहुल गांधी जी ने बनाया है, आपने नहीं बनाया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है। आप कहते हैं कि मैंने आपको बना दिया। मैं आपको कहता हूं you are at liberty, आप उस नोटिफिकेशन को विदड्रॉ कर लें, अगर आपको ऐसा लगता है। क्योंकि आपने हमें खैरात नहीं दी है और जिस ढंग से कल आपने यहां पर प्रेजेंट किया है कि नेता प्रतिपक्ष को आप जिस पूअर लाइट में दिखा रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर कोई बड़ी मेहरबानी कर दी है। आपने इस पद को आठ महीने रोक कर रखा और हिन्दुस्तान का कानून कहता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए 1/10 विधायक चाहिए। पार्लियामैंट में यह साबित हो गया है। माननीय खड़गे जी के केस में यह माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हम इस बहस में ज्यादा नहीं पड़ते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा कहें कि नेता प्रतिपक्ष भी माननीय मुख्य मंत्री बनाता है तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं। मुख्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाता है। जिस ढंग से आप कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी दरियादिली कर दी और आपने बहुत कुछ कर दिया। आपसे मैं दोनों हाथ जोड़ कर कहता हूं कि आप जब मर्ज़ी इस नोटिफिकेशन को विदड्रॉ कर लें, अगर आपको इस बारे में कोई

गलतफ़हमी है। यह न ही कोई खैरात है और न ही कोई अहसान है। लोकतंत्र के कुछ तरीके हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम बाहर हैं तो आप कुछ भी बोलें। आज हमारे साथी ने व्यवस्था का प्रश्न मांगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं प्रश्नकाल के बाद दूंगा। आपने माननीय सदस्य जगत सिंह नेगी जी को व्यवस्था का प्रश्न नहीं दिया और माननीय राकेश पठानिया को व्यवस्था का प्रश्न दे दिया। क्योंकि पिछले कल सत्ता पक्ष को लगा होगा कि आज हम शोर मचाएंगे। आप जब आज शोर मचा रहे हैं अगर कल कोई ईश्यू सैटल हो गया, आपने रखा और आपके मुख्य सचेतक ने उसका अनुसर्मथन किया तथा आपने इसके ऊपर कई कुछ बोला, अगर हम भी चाहते तो उस पर हंगामा कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि आपने ईश्यू सैटल कर दिया और अगर आप इसको खत्म नहीं करना चाहते तो आप इसको कैरीऑन करो। इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस ईश्यू को आगे चलाना है और अगर मेरे साथियों ने कहा है कि (***) ---(व्यवधान)---

————————————————————————————

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

13.12.2018/1240/RKS/YK-1

अध्यक्षः आप बैठिए। प्लीज आप बैठिए। ...(व्यवधान)... विनोद जी बैठिए। ...(व्यवधान)...भारद्वाज जी आप बात पूरी करने दो। ...(व्यवधान)... मुकेश जी आप बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः क्या आप अपने आप को संघ का कहलाने के लिए भी शर्म कर रहे हो? ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह लोग सोचते हैं कि हम सत्ता में है और ये हमें डरा-धमका कर चुप करवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ...(व्यवधान)... हम आपसे डरने वाले नहीं है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी आपको बोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। ...(व्यवधान)... आप बैठिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, हमने यहां पर वर्दियों का मुद्दा उठाया। आपने कहा कि वर्दियों के बारे में कैबिनेट में फैसला लिया गया है। आप इस माननीय सदन को बताएं कि साढ़े आठ लाख स्कूल के बच्चों को वर्दी क्यों नहीं मिली? क्या दो मंत्री लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे और कितने-कितने महीने इन्होंने अपने पास फाइलें दबा कर रखी, इस चीज के ऊपर सदन में प्रकाश डाला जाए? दूसरा, माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु का विधान सभा प्रश्न - 'कितने लोगों के मुकदमें वापिस कर रहे हैं' उस प्रश्न को आपने विलोप कर दिया। जब विधान सभा प्रश्न लग गया तो उसके बाद प्रश्न विलोप कैसे किया गया? यह पहली बार हुआ है कि प्रश्न लगने के बाद उस प्रश्न को हटा दिया गया। जब सूचना दे दी गई, टेबल हो गई, कम्प्यूटर में भी आ गई तो उसके बाद आप प्रश्न विलोप क्यों कर रहे हैं? सरकार का इतना दवाब भी क्या है कि सरकार विधान सभा चलाएगी। सरकार, सरकार चलाएं, विधान सभा को चलाने की कोशिश न करें। मेरा यह भी आग्रह है कि जो व्यवस्था का प्रश्न हमारे साथी ने उठाया है, पहले उन्हें समय दिया जाए तभी यह विधान सभा की कार्यवाही चलेगी।

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी ने कुछ विषय विधान सभा से संबंधित उठाए हैं। मैंने कल भी इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो भी एजेंडे माननीय विधायकों के आते हैं, वे सारे एजेंडे Black &White रूप में विधान सभा में उपलब्ध हैं। मेरा सर्वाधिक प्रयास यह रहता है कि हर एजेंडा सदन में लगे। नियम-63 के अंतर्गत माननीय मुकेश जी का विषय आया है। यह फाइल आज भी मेरे पास मौजूद है और इसे 14 तारीख के लिए टेबल किया गया है। उसके ऊपर किसी प्रकार की शंका करना निर्मूल है। बार-बार यह कहना कि अध्यक्ष, सरकार के दबाव में है, वह निर्मूल है। आपने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में बात कही। हमने माननीय नेगी जी को व्यवस्था के प्रश्न के लिए मना नहीं किया है लेकिन जब सदन में बहुत ज्यादा शोर हो गया तो कुछ समय के लिए हमें सदन स्थगित करना पड़ा। आपने प्रश्न के विलोप की बात की और ऐसा भी कहा कि ऐसा रूल में प्रावधान नहीं है। मैं यह

कहना चाहूंगा कि जब तक किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता तब तक विधान सभा को मालूम नहीं होता कि उस प्रश्न का क्या उत्तर क्या है?

10.12.2018/1245/बी.एस./वाई.के./-1

और हमारे Rule 296(4) "If a notice is admitted and the Speaker is informed later on that the same matter is under consideration of a Court or it is subjudice, he may disallow the discussion thereon in the House or reject the Notice". अगर किसी की मंशा ऐसी होती तो प्रश्न ही न लगता। आपका प्रश्न भी लगा है और उसका उत्तर भी आया है। मैं केवल पक्ष और प्रतिपक्ष दोनो तरफ के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह जो विधान सभा की कार्यवाही है यह पूरी तरह से सभी माननीय विधायकों के विषयों को ध्यान में रख कर चलाई जाती है। एक नियम 63 का मामला हमारे पास पैडिंग है। पिछले कल तक हमारे पास नियम 62 का नोटिस भी पैडिंग नही था। कल ही दो नोटिस माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी और माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी के मुझे इसी टेबल पर प्राप्त हुए हैं। अब जो विषय पिछले कल यहां पर आए हैं, उन्हें हम कैसे आज के लिए टेबल कर सकते हैं? आज तो ऐसे भी गैर सरकारी सदस्य दिवस है। इतना तो अवश्य माननीय सदस्य विचार कर सकते हैं। विपक्ष ने तो यह भी कह दिया कि उनके विषय ही चर्चा के लिए नहीं लगते। आप एक दिन सदन में थे और पूरा दिन आपके विषयों पर चर्चा हुई है। अब इससे ज्यादा विषय कैसे लगेंगे । अभी हमारे पास दो दिन सत्र के बाकी बचे हैं जितने विषय हमारे पास आए हैं, जितनी देर सदन चर्चा करना चाहेगा हम विषयों को लगाएंगे। जो विषय एडमिसिबल हैं वह सभी विषय यहां पर लगाए जाएंगे। पिछले कल भी मैंने यह बात की थी कि यहां पर बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे हैं। उनमें से कोई 5,6, बार व कोई 7 बार इस माननीय सदन में जीत कर आए हैं, यहां पर नेता प्रतिक्ष भी बैठें हैं। यदि हम इन गैरजिम्मेदाराना चीजों को नियमित नहीं करेंगे तो फिर यह सदन मौकरी बनकर रह जाएगा। आग्रह पूर्वक इतनी सी बात मैंने आपके सामने रखी है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बात रखेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नहीं बैठा होता है और विपक्ष के लोग बाहर चले जाते हैं या कोई धारना बना कर

चले जाते हैं। उससे बहुत बड़ी गलत फहमी हमारे बीच पैदा हो जाती है। जैसा कि विपक्ष ने इस बात का जिक्र किया कि यह "सरकार प्रायोजित (***) है, इस शब्द का विपक्ष ने इस्तेमाल किया । माननीय अध्यक्ष महोदय, शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम अपनी भावनाओं का जिक्र रोष, आक्रोश और संवेदना में करते हैं तो अच्छा होता कि इन शब्दो की शालीनता बनाए रखते। हम से नाराजगी हो सकती है क्योंकि लोकतंत्र में हर चीज की अपनी एक जगह है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शब्दों का चयन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से किसी को पीड़ा दे। हमारे शब्दों का चयन इस प्रकार से नहीं हाना चाहिए कि वह किसी वर्ग को पीड़ा दे। कल व्यक्तिगत रूप से भी जो आसन के खिलाफ यहां पर नारे लगाए गए उस पर स्वाभाविक रूप से नियमों के अनुसार इस माननीय सदन की जो परंपराएं हैं उनको ठेस पहुंचाने के कारण हम लोगों ने कहा कि यह सही नहीं है। जो उचित नहीं है स्वभाविक है उसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता और उसकी निंदा भी होती है। ...(व्यवधान)...

————————————————————————————

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

13/12/2018/1250/RG/AG/1

कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो जातिसूचक भी है। इस माननीय सदन का एक सदस्य एक बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति होता है, उसकी एक बात का बहुत महत्व होता है, समाज में भी उस बात का बहुत महत्व होता है और इसके अलावा वह इस सदन की कार्यवाही का हिस्सा भी बनता है। इसके दृष्टिगत भी उसका महत्व होता है। लेकिन जैसे शब्दों का चयन हुआ, उस पर हमारे सभी सदस्यों की पीड़ा था। जिस बात का जिक्र आज जिस रूप में आया। --(व्यवधान)---

अध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे न बोलें। मुकेश जी, कृपया न बोलें।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे करीबी तो ये भी हैं। ये दो राकेश तो हैं ही। अब इन दोनों का मैं क्या करूं, इनकी उम्र ही ऐसी है, मतलब आपको छेड़ने की जो बात ये कह रहे हैं तो उस उम्र में इनको ज्यादा नहीं बोला जा सकता। मैं इससे आगे बढ़कर बात कहता हूं। मुझे लगता है कि इन्होंने अपना सन्दर्भ दिया और वहां से आप लोग नाराज़ हो गए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनको थोड़ा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का रोष एवं आक्रोश था, इसलिए गुस्से और नाराज़गी में भावनाएं कुछ ज्यादा ही उस प्रकार से व्यक्त हो गईं। लेकिन कुछ बातों को हमें छोड़ना भी पड़ता है और छोड़ना भी चाहिए। मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता भी है कि कल आपने अपनी बातें कहीं, उसके पश्चात आप चले गए। आपका काम हो गया, अख़बार की ख़बर भी बन गई और आपने थोड़ा आराम भी किया। आज अच्छे माहौल में आपने फिर उन सारी चीजों को शुरू नहीं किया। यह हमें भी अच्छा लगा। लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थिति निर्मित हुई, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को छोड़ना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात यह कि जो हमारे विपक्ष के नेता जी ने कहा तो हमने ख़ैरात की बात कभी नहीं कही। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, चाहे आप रिकॉर्ड देख लें। अगर आप थोड़ा पीछे भी जाएं तो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के भी 18 विधायक चुने हुए थे और उस समय भी यह बात आई थी कि प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी को विपक्ष के नेता का दर्जा मिलना चाहिए और वे तो पूर्व मुख्य मंत्री भी थे। लेकिन नहीं मिला। जबकि नंबर बहुत कम भी नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, मैं उनमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। सब लोगों का एक सुझाव आया, उसमें हमने आगे बढ़ करके एक उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ कहा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि पीछे क्या हुआ। लेकिन आने वाले समय में हमने कहा कि हम उम्मीद रहे थे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ऐसी परिस्थिति में नहीं होगा। ---(व्यवधान)--- व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर चेयर के खिलाफ ऐसा नहीं होगा। देखिए जब नारा लगा तो शुरूआत आपसे हुई, तो सबके लिए सबसे पीड़ादायक विषय वह था, जो नारा व्यक्तिगत रूप से लगा। आप सरकार के खिलाफ, हमारे खिलाफ नारे लगाते, हम तो आदी थे और जिन्दाबाद-मुर्दाबाद में हमको आनन्द आता है। ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : विनोद कुमार जी, जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात और चीजों को लेकर के है। इसलिए कहीं भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, चाहे तो आप रिकॉर्ड देख लें, न मैंने ख़ैरात बोला है और न मैंने यह कहा कि मैंने बहुत अहसान या उपकार किया, इस प्रकार का मैंने कोई जिक्र नहीं किया। मैंने यही कहा कि एक उम्मीद के साथ हमें लगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से इस तरह के शब्दों की आपसे उम्मीद नहीं थी, यह मैंने कल जरूर कहा है जो रिकॉर्ड का हिस्सा भी हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक और विषय है जिसको लेकर इन्होंने कहा कि कल नशे को लेकर नियम-130 के अन्तर्गत इस सदन में चर्चा थी। उसमें मैंने यह जरूर कहा कि अच्छा होता कि आप लोग भी चर्चा में भाग लेते। क्योंकि जब पिछली बार शिमला में सत्र हुआ था तो आप लोगों ने ही कहा था कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें हमें राजनीति छोड़कर एक जगह इकट्ठे होकर काम करना चाहिए और इस विषय पर मुझे आप लोगों का सहयोग मिलने की उम्मीद भी है।

13/12/2018/1255/MS/AG/1

लेकिन आप कह रहे हैं कि एक ही सत्र में बिल भी आ रहा है और नियम-130 के तहत चर्चा भी आ रही है। देखिए, ये नियम के तहत है। बिल का केवल प्रस्तुतिकरण हुआ है, बिल पर चर्चा कल होनी है और कल ही उसका पारण होना है। ...(व्यवधान)...कल चर्चा नहीं हुई, कल तो सिर्फ बिल ले(lay) हुआ और ले होने के बाद अगले कल चर्चा होगी तथा आप उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन इन सारे विषयों को लेकर नियम-130 की चर्चा के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। नियम-130 के अंतर्गत चर्चा अलग रूल के मुताबिक है जिसमें माननीय सदस्य नोटिस देकर चर्चा उठाते हैं। मुझे लगता है कि नियमों से हटकर उसमें कुछ भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब विपक्ष सामने बैठा होता है और जब विपक्ष सामने नहीं होता है तो हमारी चर्चा रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन रही होती है लेकिन जो हम आपसे सीधे संवाद के

माध्यम से अपनी बात आपकी आंखों में देखकर और आपके कानों में सुनाकर आपके जेहन में डालना चाहते हैं ताकि वह बात आपके दिल तक उतर जाए लेकिन जब आप सामने नहीं होते हैं तो वह सब रह जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोग जो मर्जी कीजिए लेकिन सामने बैठे रहिए। यदि आप बैठे रहेंगे तो आपकी बात हम तक और हमारी बात आप तक पहुंचेगी क्योंकि जब हम आमने-सामने होते हैं तो संवाद जीवन्त होता है और उसका आनन्द अलग ही होता है, जैसे अभी हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः हम तो सदन के अंदर प्यार से आए थे लेकिन आपको हमारे प्यार पर भी गुस्सा आया।

मुख्य मंत्रीः प्यार पर कभी-कभी गुस्सा करना भी होता है। दूसरी बात, यहां षड्यंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आप लोगों ने कल बात कही उस पर हमारे माननीय सदस्यों की अपनी भावनाएं थीं और उनको अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी क्योंकि इनको लगा कि पिछले कल आप चले गए इसलिए अपनी नाराज़गी को आज व्यक्त कर दें तो इन्होंने बताया कि दो-तीन शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं था जोकि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कई दौर आते हैं जब हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। हमने ऐसा भी देखा है कि सदन के अंदर से मार्शल के द्वारा उठाकर हमें बाहर फेंका गया। लेकिन क्या हम इन्हीं बातों को लेकर चलते रहें? वह एक दौर था लेकिन अब वह निकल गया है। चलो, बातें ध्यान में आती हैं लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तो चर्चा ही संवाद का एकमात्र माध्यम है परन्तु जब आप चले जाते हैं तो संवाद का जो माध्यम है वह टूट जाता है और उसके कारण यह परिस्थिति निर्मित होती है। इसलिए आप यहां बैठे रहिए। हम अपनी बात कहेंगे और आप अपनी बात कहते रहिए। लोकतंत्र की यही स्वस्थ्य परम्परा है जिसका दोनों पक्षों को सम्मान करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि माननीय सदन सारे विषयों पर बहुत गम्भीरता से चर्चा कर रहा है फिर चाहे वे विषय सत्ता पक्ष के विषय हैं या विपक्ष के हैं। आज भी चर्चा के लिए जो बहुत सारे विषय लगे हुए हैं उन पर हम सार्थक चर्चा करें क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता हमसे उम्मीद करती है कि हमारे मसलों को लेकर विधान सभा में चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि यह संदेश देना भी बहुत आवश्यक है। यह

हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम सब मिलकर करें। मुझे इतना ही कहना है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः इससे पहले कि माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी अपनी बात कहें, मैं केवल दो शब्दों को कार्रवाई में से निकालने के लिए कह रहा हूं। उन दो शब्दों में एक तो (***) शब्द है दूसरा (***)शब्द है। ये दोनों शब्द जहां भी आए हैं इन्हें एक्सपंज किए जाए।

(***) अध्यक्षपीठ **के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

श्री जगत सिंह नेगी(किन्नौर): माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रातः प्रश्नकाल प्रारंभ होने से पहले मैंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए आपसे आज्ञा मांगी थी। आपने कहा कि प्रश्नकाल के उपरान्त समय देंगे लेकिन प्रश्नकाल के उपरान्त आपने श्री राकेश पठानिया जी को बोलने का मौका दिया।

13.12.2018/1300/जेके/डीसी/1

मुझे आपने अभी मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब मुख्य मंत्री का पदभार सम्भाला और पहली बार जब इस माननीय सदन को सम्बोधित किया तो उस वक्त आपने बहुत बड़ी बात की थी। आपने राम राज्य की बात की थी। उस ज़माने में राम राज्य में सीता माता को एक धोबी की बात से राज्य से बाहर कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी आज क्या कारण है कि 19 नेता आपके दागी हैं, उनके ऊपर विभिन्न क्रिमिनल केसिज़ चले हुए हैं और आप उन केसों को वापिस लेने की बात कर रहे हैं तो ये आपका कैसा राम राज्य है? दूसरे, आप कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। आप कानून को अपना काम करने दीजिए, जो विवाद निकलेंगे उनको आने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और अन्य कोर्टों ने भी यह किया है कि जो भी मंत्री व संवैधानिक पद पर हैं अगर उनकी चार्जशीट कोर्ट में हो गई है तो उनको नैतिकता के आधार पर इन पदों से

इस्तीफा देना चाहिए।,उन पदों पर नहीं बैठना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी, जिस राम राज्य की आप बात कर रहे थे क्या आप उसको लागू करेंगे या आपकी कहनी और करनी में अन्तर है कि लुभावनी बातें करके जुमलें दे करके आप इस कानून प्रक्रिया को समाप्त करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न लगा था और विलोप हुआ तो वह नियमों के तहत विलोप हुआ है। यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अधिकांश मामले जो दर्ज हुए हैं, उनमें ज्यादातर मामले वे हैं, जहां कहीं पुतला जला दिया तो मामला दर्ज हो गया। कहीं धरना दे दिया, मामला दर्ज कर दिया गया, कहीं किसी आंदोलन में हिस्सा लेते-लेते सड़क बंद हो गई, सड़क में जाम लग गया तो मामला दर्ज हो गया और कुछ जगह राजनैतिक कारणों से मंच पर विधायक चला गया, बोलने का अवसर उनको प्राप्त नहीं हुआ, मामला दर्ज हो गया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने पाया, मेरे पास वह सारा रिकॉर्ड है । पूर्व में भी बहुत सारे लोगों पर मामले दर्ज थे लेकिन वे सारे मामले विद्ड्रा कर दिए गए थे। मेरे पास वह सूची भी है, मैं उनका ज़िक्र नहीं करना चाहता। उनमें से कुछ माननीय सदस्य तो यहां पर बैठे हुए भी हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर हम इस सदन में चर्चा नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि कुछ मामले सबज्यूडिस होते हैं। इसलिए उन पर मैं भी कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। आज भी एक मसले को ले कर प्रश्न लग गया, बाद में उसके उत्तर से मालूम पड़ा कि वह सबज्यूडिस है, वह चर्चा के लिए नहीं आना चाहिए था। विपक्ष के नेता ने उसकी ओर ध्यान दिलवाया तो उसको स्वीकार किया गया और उस पर आगे चर्चा नहीं हुई। मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि मोटे तौर पर जो इस प्रकार के मसले राजनीतिक आधार पर लिए गए, उनको वापिस लेने की प्रक्रिया चली है। सभी मामले वापिस हुए, ऐसा नहीं है लेकिन उसकी प्रक्रिया चली है। जो वापिस लेने लायक होंगे, वे ही वापिस लिए जाएंगें और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसके बावजूद कोर्ट कई बार अपना भी निर्णय लेता है। हमने पिछले कई मामले ऐसे देखे कि प्रॉसिक्यूशन सेंक्शन होने के बाद डिनाइ के

बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं-नहीं इसमें आप प्रोसिक्यूशन सेंक्शन दीजिए। इस मामले को बन्द नहीं कर सकते, कई मामले ऐसे भी है लेकिन मैं इन सारी बातों में नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने मोटे तौर पर ऐसे छोटे-छोटे मामले, राजनैतिक भावना के कारण जो मामले दर्ज हुए उनको हमने विदड्रा करने का निर्णय लिया है और उस निर्णय की प्रक्रिया चल रही है। ...(व्यवधान)...

13.12.2018/1305/SS-DC/1

अध्यक्षः श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, आप क्या बोलना चाहते है?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल जो प्रश्न मुझ से संबंधित था, उस संदर्भ में आपने नियमों का हवाला दिया है। क्वैश्चन क्या था और जो आप नियमों का हवाला दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सैक्शन-293 के सब-सैक्शन-4 के तहत जो मैटर सब-ज्यूडिस है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। हमने तो इंफोरमेशन यह पूछी कि आप ऐसे कितने मामले विदड्रो करने जा रहे हैं। हम विचाराधीन मामलों पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ यह जानना चाह रहे थे। लेकिन वह प्रश्न हट गया। प्रश्न लगा था लेकिन एकदम हट गया। तो सब लोग यह जानने के इच्छुक हैं कि वह हटा क्यों? उसमें तो कानून का कोई हवाला नहीं है। हम तो यह पूछ रहे हैं कि मामले कितने विदड्रो करने जा रहे हैं। मैटर सब-ज्यूडिस है, that is a separate matter. मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। आप यह बता देते कि इतने मामले हम विदड्रो करने जा रहे हैं, यही इंफोरमेशन हम चाहते थे। लेकिन एकदम जब प्रश्नकाल से पहले वह प्रश्न लगता और उसके बाद हट जाता है और उसकी इंफोरमेशन पूरी तरह से आती नहीं है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी रूल बुक के मुताबिक इस सवाल का जवाब आना चाहिए था कि कितने मामले विदड्रो किये जा रहे हैं, धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनोवकाश के लिए 2:10 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

13.12.2018/1410/केएस/एचके/ 1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 14.10 बजे पुनः आरम्भ हुई)

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगीः-

शहरी विकास मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूंः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, राज्य नगर योजनाकार, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःटी0सी0पी0-(बी)2-4/2010(रूल्ज़) एस.टी.पी. दिनांक 23.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.04.2018 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।

अध्यक्षः अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा(दसवां संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएच0एफ0 डब्ल्यू-बी0(बी)1-1/2016 दिनांक 15.10.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.10.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

उद्योग मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 51वां वार्षिक विवरण, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19) समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 32वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 177वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13)

में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति का 33वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 178वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

iii. समिति का 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 184वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है;

iv. समिति का 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 175वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

v. समिति का 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 183वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

vi. समिति का 37वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2007-08) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

vii. समिति का 38वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है; और

viii. समिति का 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 126वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09)

में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का 11वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के अष्टम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप,सभापति,सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2018-19), समिति का छठा कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 14वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल,सभापति,ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2018-19), समिति का 8वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि

ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित समीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

13.12.2018/1415/av/hk/1

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) को सभा में प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि उसको अंगीकार किया जाए।

कर्नल इन्द्र सिंह (सरकाघाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) की एक प्रति इस सदन में प्रस्तुत करता हूं और सभा के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकार

गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस

आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस है और पिछली बार माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी द्वारा रखे गये विषय को इन्ट्रोड्यूस किया गया था। उसके अतिरिक्त इसमें आज चार विषय और निर्धारित किए गए हैं। यदि हम इन पर सही अर्थों में चर्चा करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि सारे विषय आज ही लग जाएं तो कार्य सलाहकार समिति ने एक-एक विषय के लिए 40-40 मिनट का समय निर्धारित किया है। आज क्योंकि

समय पहले ही ज्यादा कनज्यूम हो गया है इसलिए प्रत्येक विषय को 30-30 मिनट में पूरा करना होगा। इसलिए यदि माननीय सदस्य अपना विषय रखें और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दें तो आज हमारे पांचों विषय लग सकते हैं, अन्यथा विषय कम आयेंगे। इतना कहकर मैं माननीय सदस्य बलबीर सिंह जी को अपना विषय रखने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री बलबीर सिंह (चिन्तपुरनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता क्षेत्र में मुहिम हालांकि मेरे जिला ऊना के ग्राम पंजावर से शुरू हुई थी। स्व0 मियां हीरा सिंह जी ने सन् 1892 में स्वायल कन्जर्वेशन सोसायटी के नाम से एक सोसायटी बनाई। उन्होंने उस वक्त गांव में गरीब लोगों की सहायता के लिए यह सोसायटी शुरू की थी ताकि गरीब व्यक्ति की भलाई हो सके। अगर किसी गरीब आदमी को मुश्किल समय में कोई जरुरत पड़े तो वह सोसायटी उस जरुरत को पूरा करे। मियां हीरा सिंह जी कि कितनी दूरदृष्टि रही होगी जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा और यह मुहिम पूरे भारत वर्ष में फैल गई। मैं यह समझता हूं कि प्रदेश में जो भी सोसायटीज चल रही हैं उनमें बहुत सारी सोसायटीज ऐसी होंगी जो लाभ कमा रही है और अच्छा काम कर रही है तथा जो आम व्यक्ति के काम भी आ रही है। लेकिन कुछ सोसायटीज ऐसी भी हैं जिनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। कोई ऐसे नियम नहीं बनायेंगे कि इन सोसायटीज को कैसे चलाया जाए। मेरा सरकार और मंत्री महोदय से यह निवेदन रहेगा कि इसके लिए कोई ठोस नीति और कार्यक्रम बनाएं। कोई ऐसा नियम बनाएं जिससे वहां पर पैसे जमा करवाने वाले व्यक्ति के साथ कोई धोखा न हो। मेरे चुनाव क्षेत्र में ही कटौड़-खुर्द नाम से एक सोसायटी है।

13.12.2018/1420/TCV/YK/1

मैंने जब इस संकल्प को पिछले बजट सेशन में रखा था, उस व़क्त वहां की इंक्वायरी हुई थी और उस इंक्वायरी में यह पाया गया था कि इस सोसाइटी में लगभग 4,24,44,062/-

रुपये का गबन हुआ है। वह 3 साल की इंक्वायरी थी। उसकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अभी इंक्वायरी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। मैंने पिछले दिनों उस सोसाइटी के जिम्मेवार लोगों व ए0आर0 से पूछा कि उस सोसाइटी में कितना गबन हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, गबन की ये सीमा 8.50 करोड़ रुपये पार कर चुकी है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, सरकारी नौकरी करके जो कुछ उनको मिला था, वह भी उन्होंने उस सोसाइटी में जमा किया था। उन्होंने इसमें 9-9 लाख रुपया जमा किया था। लेकिन आज सोसाइटी में घपला हो गया और पूछने वाला कोई नहीं है। कई जगह ऐसा भी है जहां सोसाइटी बहुत अच्छी चल रही है और सोसाइटी के सचिव, अध्यक्ष और सोसाइटी के लोगों का आपस में अच्छा तालमेल है। परन्तु जहां पर इस तरह का तालमेल नहीं है, वहां बड़ी भारी मुश्किल है। यदि कमेटी का अध्यक्ष यह कहता है कि कमेटी के लिए एक्ट बना है, सहकारिता विभाग ने एक एक्ट बनाया है और एक्ट के अनुसार काम करना होगा। लेकिन दूसरे ही दिन जब उस कंसर्ड सोसाइटी से नहीं बनती है तो वह कहता है कि एक्ट जो मर्ज़ी कहे, मेरा रूल यह कहता है। एक्ट में जो धाराएं हैं, वह उन धाराओं को ही काट देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए। मुझे ए0आर0 ने बताया कि मैंने एफ0आई0आर0 दर्ज़ करवा दी है। परन्तु समय-समय पर उस सोसाइटी पर अधिकारी जाते रहे, फिर 8.50 करोड़ रुपये का गबन कैसे हो गया? लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेवार था? आखिकार, सोसाइटी की जो कमेटी थी, उसके ऊपर भी एफ0आई0आर0 दर्ज़ हुई और आजकल यह भी कहा जा रहा है कि उस सोसाइटी में जो सेक्रेटरी था, उसने तो सुसाइड कर दिया है। परन्तु आज तक सोसाइटी के सेक्रेटरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। उसका दाह संस्कार भी हो गया। मुझे इसमें भी शक है कि 8.50 करोड़ रुपये का गबन करने वाले व्यक्ति की अभी मृत्यु नहीं हुई है, ये भी हो सकता है कि किसी और ही व्यक्ति की डेड बॉडी को जला दिया गया हो। इसकी भी जांच करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इसमें भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है, अगर सोसाइटी में किसी अतिरिक्त सचिव को रखना है तो सोसाइटी के

सेक्रेटरी को तो सारे अधिकार है, वह अपने बेटे को भी रख सकता है। परन्तु सोसाइटी के अध्यक्ष, सोसाइटी की कमेटी या गांव के लोगों में से किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वे कहीं अपने बेटे को अप्लाई भी करवाएं। वह न जाने कैसे ऐसे नियम बना लेता है, वह या तो अपने भाई-भाभी को रखेगा या अपने बच्चे को वहां एडजस्ट करवा सकता है। उसकी क्वालिफिकेशन चाहे हो या न हो, विभाग उसको पूछता तक नहीं है। वह जो चाहे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। अध्यक्ष महोदय, इस पर भी चिंतन होना चाहिए, कोई संज्ञान लिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी सोसाइटी में आजकल एक अस्सिटेंट सेक्रेटरी है। मैं इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि पिछली सरकार के दौरान वहां के जो कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेजिडेंट थे, उनके मन में आया कि सोसाइटी में जो होता आ रहा है, वह हो रहा है। इसलिए इसमें शेयर होल्डर मेरी भाभी भी क्यों न बन जाए। इसलिए भाभी को रखने के लिए सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। एक दलित जो एम0ए0 पास था, जिसने ट्रेनिंग भी की हुई थी, वह अप्लाई करता है, लेकिन उसके कागज़ों को दबा दिया जाता है। उस ब्लॉक प्रेजिडेंट की भाभी को रखने के लिए क्वालिफिकेशन्स की भी धज्जियां उड़ाई जाती है। मैं हैरान हूं, इस सरकार के दौरान जब-जब बोर्ड में सर्टिफिकेट बिके, उनसे सर्टिकिकेट खरीदकर वहां पर दिए गए और उसके आधार पर उसकी भाभी को रखा गया है।

13-12-2018/1425/NS/YK/1

मैं इस माननीय सदन में कोड करना चाहूंगा। वह भाभी वर्ष 1995 मार्च में मैट्रिक पास करती है और वर्ष 1996 में बिना +1 किए +2 भी पास कर लेती है। वर्ष 1997 में बी.ए. (I) पास करती है और बी.ए. (II) वर्ष 2002 में जा कर करती है। बी.ए. (III) वर्ष 2004 में करती है। थर्ड डिवीज़नर और 33 नम्बर से ज्यादा किसी विषय में नम्बर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके इन सर्टिफिकेट्स की भी जांच होनी चाहिए। ये ज़ाली सर्टिफिकेट्स बोर्ड से प्रोड्यूस किए गए हैं और उसको नौकरी पर रखा गया है। जब हम लोग और

सोसायटीज़ ऐसे लोगों को नौकरी देंगी तो भ्रष्टाचार पक्का होगा और गरीब के साथ धोखा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मेरे क्षेत्र में करयालता नामक सोसायटी है। मेरा जब जन्म हुआ तो आजकल जो सैक्रेटरी हैं वहां पर उनके बाबा हुए करते थे जिनका नाम बाबा हटातूर का बेटा यानि आजकल के सैक्रेटरी के पिता हुआ करते थे। वे हटे तो बेटा लग गया और बेटे ने भी आजकल एक भाई को बाहर दुकान खोल दी है, जो सोसायटी का सामान ले करके खुद का बिजनैस चला रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नही, उसने अपनी घर वाली को भी इसी सोसायटी में फिट कर लिया है और अपने भाई की घर वाली को भी इसी में फिट कर लिया है। वहां पर करोड़ो रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सोसायटी का सैक्रेटरी क्या करता है? वह वर्ष 2016 में सड़क के किनारे ज़मीन खरीदता है और इस जमीन की लगभग 84 लाख रुपये पेमैंट देता है। लेकिन जब रजिस्ट्री करवाता है तो लगभग 33 लाख रुपये की रजिस्ट्री होती है। सरकार को इस जमीन की रजिस्ट्री होने पर बहुत ज्यादा राजस्व का घाटा होता है। इसके उपरांत डेढ़ साल बाद जब इस जमीन को वह प्लेन करवा करके 2,11,00,000/- रुपये में बेचता है। परन्तु जब वह इस जमीन की रजिस्ट्री लगभग 45,00,000/- रुपये की करवाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी खजाने में जो लाखों रुपया जाना चाहिए था, वह गायब हो जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि एक सोसायटी के सैक्रेटरी को लाखों-करोड़ों में जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आ गया? मैं बहुत हैरान हूं कि हमारी विजिलैंस कहां हैं? जो आई0बी0 की रिपोर्ट देते हैं कि ऐसे-ऐसे कर्मचारी लोग इतना-इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इतनी हेराफेरी कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं आती है? पैसा सीधा जा रहा है, दो नम्बर में जा रहा है और रजिस्ट्री कम पैसे में की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सबकी जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है कि उनकी सैलरी 80,000-90,000/- होगी। सोसायटीज़ में जो अपने आप ही सब कुछ किया जा रहा है, इसके लिए सरकार से मेरा निवेदन है कि कोई नियम बना दो। मैं हैरान हूं कि सैक्रेटरी को अपना बेटा रखने के लिए पॉवर है। लेकिन गांव में किसी और व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या गरीब व्यक्ति के पढ़े-लिखे बच्चों या सोसायटी के सदस्यों व अध्यक्ष को कोई पावर नहीं है। उनका बच्चा अप्लाई ही नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ नियम बन जाएं या कोई ऐसी संस्था बन जाए जैसे अन्य विभागों में भर्ती होती है, वैसे ही इनमें भी भर्ती होनी चाहिए। मेरा आपसे ऐसा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष

महोदय, इनकी सैलरी अपने आप बढ़ाने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। वैसे तो इनकी पे फिक्स कर ही दी है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृप्या समाप्त करें।

श्री बलबीर सिंहः मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक और सोसायटी है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इसकी जब इंक्वायरी होती है और रिपोर्ट में अनियमितता पाई जाती है, कई हेराफेरियां पाई जाती हैं, भ्रष्टाचार पाया जाता है। मैं इसलिए हैरान हूं कि इस रिपोर्ट पर आगे कोई भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करवाता है। सहकारिता विभाग और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंकुर वेल्फेयर नामक संस्था पूर्व मंत्री के साले को दी गई थी। उस संस्था को आई0सी0डी0एस0 का विभाग दे दिया गया। वे पूरे क्षेत्र में चलाते थे और किसको इसमें रखना है, इसके लिए लाखों रुपये बटोरे जाते थे, हेराफेरी वहां भी की जाती थी। लेकिन मैंने जब आवाज़ उठाई और उसके विरूद्ध जब इंक्वायरी हुई तो गाड़ी ठीक करवाने के बाद उसको जब चैक किया जाता है

13.12.2018/1430/RKS/AG-1

तो वह गाड़ी 780 किलोमीटर चलाई जाती है। यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा पठानिया जी ने बताया कि कांगड़ा बैंक का कितना एन.पी.ए. क्रिएट हुआ है। वहां भी हमारी कोई-न-कोई कमी है और हमें इस कमी को दूर करना होगा। जो सोसाइटीज और बैंक में भर्ति के नियम हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए ताकि वहां पर किसी लायक व्यक्ति को काम मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः मेरे पास इस विषय पर बोलने के लिए दो नाम आए हैं और एक सदस्य को अधिकतम पांच मिनट बोलने का समय दिया जाएगा। माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी क्या आप भी इस विषय में बोलना चाहते हैं? आपको श्री जीत राम कटवाल जी के बोलने के बाद समय दिया जाएगा।

श्री जीत राम कटवाल (झण्डुता): माननीय अध्यक्ष महोदय, 'कोओपरेटिव सोसाइटीज में व्यापक भ्रष्टाचार' को समाप्त करने हेतु जो श्री बलबीर सिंह जी का संकल्प आया है, उसके ऊपर मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगा। हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो निश्चित रूप से सरकार के नोटिस में आनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में शाहतलाई नाम की एक कोओपरेटिव सोसाइटीज है, जिसे राज्य की सर्वश्रेष्ठ सोसाइटी होने का गौरव प्राप्त है। एक सोसाइटी कपाड़ा में करलोटी की थी जिनका डिपोजिट 90-95 या 120 करोड़ रुपये के आसपास है। तीसरी सोसाइटी पेहड़वीं, कंदरौर के पास है जोकि तीनों निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है। इन सोसाइटीज में भ्रष्टाचार की सूचना अखबारों व विभाग के माध्यम से पिछले 6 महीनों से मिल रही है। जो इन्स्पैक्टर इन सोसाइटीज का ऑडिट करता था उसकी मृत्यु कुछ दिन पहले हुई है। उसकी मृत्यु के बारे में उसके परिवार और गांव वालों ने आशंका जताई है कि वह साधारण मृत्यु नहीं थी। उसकी बॉडी संदिग्ध रूप से 20-22 दिनों के बाद मिली। वह व्यक्ति ड्यूटी पर था और विभाग ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहां तक विभाग ने उसके परिवार से मिलना भी उचित नहीं समझा। थक हार कर उनके परिवार ने मेरे माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से उच्च स्तरीय जांच करने की अपील की है। शाहतलाई में दो-तीन बार 500-700 लोग इक्ट्ठे हुए और उनके पास लोगों का पैसा वापिस करने के लिए कैश नहीं था। ऐसा सुनने में आया कि वह पैसा कहीं इन्वैस्ट हुआ है लेकिन अभी तक इसकी इन्क्वायरी पूरी नहीं हुई है। मैंने एक-दो बार उनके असिस्टैंट रेजिस्ट्रार से भी पूछा लेकिन इतना जरूर है कि कोओपरेटिव फिलॉसफी और कोओपरेटिव मूवमैंट से हटकर कुछ काम हुए हैं। जो कोओपरेटिव सोसाइटीज में रिटायर व्यक्ति ऑडिटर्ज रखे हैं वे भी कहीं-न-कहीं इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। ये लोग 20-25-30 या 35 हजार पर काम करते हैं। मेरे क्षेत्र की सोसाइटीज में तो यह कहा जाता है कि उस इनस्पैक्टर ने 6-8 महीने पहले आत्महत्या की है। यह भी कहा जाता है कि उसके घर के दरवाजे रीमोट कंट्रोल से खुलते हैं और एक मकान चण्डीगढ़ में भी है। ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। यह सब जांच का विषय है। लेकिन 2 मृत्यु हुई हैं और

13.12.2018/1435/बी.एस./ए.जी./-1

अभी हाल ही में 20-22 दिनों के बाद इंस्पेक्टर का शव मिला है वह भी गंभीर चिंता का विषय है। इनमें जो पैसे का आदान-प्रदान है या उसका उपयोग है वह कोओपरेटिव नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है । जब लोगों को पैसा वापिस नहीं मिल रहा है तो लोग हड़ताल और अखबारों में अपने समाचर छपवा रहे है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा कि इस बारे शीघ्र कार्रवाई करें और जो अपराधी हैं उनको सामने लाया जाए। इसके नियमों में जो कुछ कमियां है, उसके लिए नियम बदले जाएं। आज डेढ़-डेढ़ लाख रुपये वहां सचिव की सैलरी है। डेढ़ लाख रुपये तो आई.ए.एस. अधिकारी की भी सैजली 15 वर्ष की नौकरी में नहीं होती। उनका पैसा खर्चने का भी अंदाज बड़ा गर्मजाशी का होता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री जीत राम कटवाल : वह भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं ज्यादा न कहता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं । मैंने अपने लोगों की भावनाओं से माननीय मंत्री महोदय को और माननीय सदन को अवगत करवाया है मुझे उम्मीद है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भाबी के बारे में यहा बात कही है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो बाते इन्होंने कहीं हैं और जो इन्होंने उनकी शिक्षा के बारे में कहा है उसके बारे में सभी कागज सभा पटल पर ले होने चाहिए । आप स्वयं जानते हैं कि जब किसी विषय के बारे में डिस्कशन होती या आरोप लगाए जाते हैं तो उस संबंध में कागज सभा

पटल पर रखे जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो-जो कहा गया है उसके संदर्भ में का कागजात ले कर दिए जाएं।

अध्यक्ष : आदरणीय बलबीर जी, आप अपने कागजात ले कर दीजिए। आप उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे टेबल पर रख दीजिएगा।

(श्री बलबीर सिंह माननीय विधायक ने संदर्भित कागज़ात की हस्ताक्षरित प्रति सभापटल पर प्रस्तुत कर दिया)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में मंत्री थे, मैं भी पूर्व सरकार में मंत्री था मेरा कोई साला है और न ही कोई घोटाला है। आप ऐसा कहें कि पूर्व से पूर्व ताकि जिसको आप कहना चाहे वह बात स्पष्ट हो जाए।

अध्यक्ष : आदरणीय मुकेश जी ने स्पष्ट कर दिया कि वे नहीं हैं।

श्री राकेश जम्वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बलबीर सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय यहा पर लाया है। कोओपरेटिव बैंक और सोसायटी में जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त करने के लिए हमें कोई नीति बनानी चाहिए। हम जानते हैं कि सहकारिता का आंदोलन हमारे देश का बहुत बड़ा आंदोलन रहा है। लेकिन वर्तमान में सहकारिता की स्थिति इस प्रदेश में है उससे हम सब भलि-भांति परिचित हैं। कोओपरेटिव सैक्टर में हमारी तीन प्रकार की संस्थाए हैं। प्राइमरी,सैकेंडरी और एपैक्स ये तीन प्रकार की संस्थाए काम करती है और इस क्षेत्र में आर.सी.एस. का बहुत बड़ा रोल रहता है। सोसायटी की शुरूआत से उसको चलाने और समाप्त करने तक आर.सी.एस. की बड़ी भूमिका है। मेरी जानकारी के अनुसार कोओपरेटिव बैंक में आर.सी.एस. का नॉमिनी उस बैंक की बोर्ड की मीटिंग में आता है। लेकिन अब ऐसी जानकारी है कि बैंक की बी.ओ.डी. की मीटिंग में आर.सी.एस. नॉमिनी नहीं आते हैं। बैंक की बोर्ड की मीटिंग में जो चीजें पास करते हैं वह आर.सी.एस. के पास अप्रूवल के लिए जाती हैं। अगर आर.सी.एस. का नॉमिनी वहां पर

बोर्ड में होगा तो निश्चित तौर पर कुछ चीजों को हम वहीं पर बोर्ड की मीटिंग में चैक कर सकते हैं।

13/12/2018/1440/RG/DC/1

हम जानते हैं कि अगर बैंक का बोर्ड ईमानदार जा जाए तो सब चीजें ठीक रहती हैं लेकिन अगर कुछ खराब लोग आ जाएं तो उसकी हालत क्या होती है, यह हम सब लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक में पिछले दिनों क्या हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक में भी नियुक्तियां हुईं। उसमें हिमाचल से बाहर के पंजाब और हरियाणा के लोगों को नियुक्त किया गया और उनकी नियुक्तियां भी जनजातीय क्षेत्रों में की गईं ताकि किसी को पता न चल सके कि हिमाचल के बाहर के लोग भी उसमें नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार से धीरे-धीरे हमारा यह कोआपरेटिव सेक्टर किस तरफ बढ़ रहा है, माननीय सदस्य ने इस बात पर बहुत चिन्ता व्यक्त की है। हम यह चाहते हैं कि आर.सी.एस. का रोल कोआपरेटिव सेक्टर ऐडवाईज़री का होना चाहिए न कि इंस्पैक्टर का रोल होना चाहिए। जिसके कारण अनेकों प्रकार की अनियमित्ताएं हों, जिनका जिक्र माननीय श्री बलबीर सिंह जी और श्री जे.आर. कटवाल जी ने यहां किया। लेकिन मेरा तो यह मानना है कि जब हमको गांवों में राशन देना होता है तब हम वहां कोआपरेटिव सोसायटीज़ को दाल, चीनी देने के लिए आगे लाते हैं और जहां कमाई की बात या होलसेल का काम करने की बात आती है तो हम वहां सिविल सप्लाईज़ को काम देते हैं। हम यह चाहते हैं कि हमारे इस कोआपरेटिव सेक्टर में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर यह सेक्टर स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे हिमाचल प्रदेश भी आगे जाएगा और रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इस विषय को लेकर एक सुझाव रहेगा कि मान्यवर मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में कोआपरेटिव कौन्सिल का गठन किया जाए। उसमें कोआपरेटिव सेक्टर में जिन्होंने अच्छा काम किया है, प्रदेश के ऐसे लोगों को उसमें जोड़ा जाए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें काम किया जाए और उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और कोआपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले लोग भी होंगे। ...(घण्टी)...मुख्य मंत्री जी जब इसकी अध्यक्षता करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर हमारा जो यह

कोआपरेटिव सेक्टर है, मजबूत होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी अपनी बात कहेंगे। तत्पश्चात माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा(नालागढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री बलबीर सिंह जी ने जो यह संकल्प कोआपरेटिव बैंक व सोसायटीज़ में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु यहां लाया है, यह एक बहुत ही अच्छा संकल्प है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ में एक राजपुरा कोआपरेटिव सोसायटी है जिसमें पीछे करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है और आज भी हाई कोर्ट में उस सोसायटी के जो पदाधिकारी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं मैनेजर हैं, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। इस कोआपरेटिव सोसायटी में हमारे वहां के किसान, मजदूर, महिलाओं ने अपना पैसा उसमें जमा करवाया। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि काफी लम्बा समय बीत गया और जिन लोगों का पैसा इसमें जमा था, वे अपने यहां होने वाली शादियों, ग़मी, रोज़ होने वाले कामों इत्यादि कार्यक्रमों के लिए अपना पैसा निकालना चाहते थे, लेकिन आज तक उन्हें अपना पैसा नहीं मिल पाया। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस सोसायटी के जो लोग हैं और जो सोसायटी वहां काम कर रही है, वहां सोसायटी के नाम काफी जमीन है और ट्रैक्टर की एजेन्सीज़ भी हैं। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो उनकी जमीनें और ट्रैक्टर की एजेन्सीज़ हैं तथा अन्य जो भी पैसे सोसायटी के पास हैं, उसमें से लोगों को उनका पैसा लौटाया जाए ताकि लोगों को जो लग रहा है कि उनका पैसा डूब रहा है, उनकी आशा की किरण जाग सके। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर लोगों के जो पैसे जमा हैं,

13/12/2018/1445/MS/dc/1

पीछे कुछ दिन पहले जो वहां की कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन थी उसको किसी एक व्यक्ति ने ऑक्शन पर लिया जोकि 80 लाख रुपये की थी लेकिन फिर तकनीकी तौर पर कोई ऐसी बात आई कि उस रजिस्ट्री को रोक दिया गया। मंत्री जी सदन में बैठे हैं और मैं इनसे इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि लोगों की बहुत आशाएं हैं। लोगों ने

विश्वास के साथ अपने पैसों को उस सोसाइटी में जमा करवाया था। हम चाहते हैं कि जो 80 लाख रुपये की रजिस्ट्री रूकी हुई है वह हो जानी चाहिए ताकि लोगों का पैसा वापिस लोगों को मिल सके। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे पंचायत लैवल का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करती थीं लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो राशन का डिपो है वह सोसाइटीज के पास है। जो हमारे किसानों को लोन की सुविधा सोसाइटी के माध्यम से मिलती थी आज सोसाइटी के प्रधान और सैक्रेटरी ने वहां और व्यक्तियों के नाम लिखे होते हैं और लोन किसी और को दिया जाता है। आज जरूरत है कि इन सोसाइटीज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको रोका जाए। अन्त में, मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो राजपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है, वहां पर लोगों के पैसे जमा है उनको वे पैसे लौटाए जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः वैसे भी डॉ0 राजीव सैजल जी जिले के मंत्री हैं। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने जो संकल्प यहां लाया है, वह मैं समझता हूं कि बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण है। मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि ये इस संकल्प को यहां सदन में लेकर आए हैं।

माननीय सदस्य जी ने ठीक कहा कि देश में सहकारिता आंदोलन का जनक हिमाचल प्रदेश है। सहकारिता आंदोलन का आगाज़ करते हुए इस देश की जो पहली सहकारी सभा थी उसका गठन जिला ऊना के गांव पंजावर में वर्ष 1892 में हुआ था। उस समय हम रेस में सबसे आगे थे और इस प्रदेश ने सहकारिता के क्षेत्र में समूचे देश को रास्ता दिखाते हुए इस क्षेत्र में पहल की थी। लेकिन वर्ष 1892 से लेकर आज तक के सफर का अगर हम आकलन करें, अगर हम उसके ऊपर विचार करें तो पाएंगे कि जिस प्रदेश के अंदर सहकारिता आंदोलन ने जन्म लिया और जिस प्रदेश के अंदर पहली सहकारी सभा का गठन हुआ था, वह प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में पिछड़ गया है। अन्य प्रदेश जिन्होंने हमसे बाद में इस क्षेत्र में कदम बढ़ाए, वे प्रदेश जहां तक सहकारी प्रकल्पों का सवाल है,

सामाजिक जीवन में सहकारी प्रकल्पों की सहभागिता का जहां तक प्रश्न है या जीवन को समृद्ध बनाकर सम्पन्नता की ओर समाज को ले जाने का प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि अन्य प्रदेश हमसे आगे निकल गए हैं। हम गुजरात, राजस्थान, केरल या मध्य प्रदेश की बात करें तो सब प्रदेश हमसे आगे निकल गए हैं। यानी आज आप देखिए इन प्रदेशों को इन प्रकल्पों के कारण गौरव और विश्व ख्याति प्राप्त है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि अमूल सहकारी क्षेत्र में एक ऐसा प्रकल्प है जिसकी विश्व स्तर पर ख्याति भी है और प्रसिद्धि भी है। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता का यह जो आंदोलन है यह कुछ मूल भावनाओं के ऊपर आधारित है। मैं इस बात को यहां बड़े विश्वास और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सहकारिता का आंदोलन जिस भावना और जिस तत्व के ऊपर आधारित है उसमें सर्वोपरि ईमानदारी की भावना है और ईमानदारी का तत्व है। इन दोनों तत्वों के अभाव में हम सहकारिता की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा तत्व सच्चाई का है। ये मूलभूत मानवीय मूल्य हैं जिनके ऊपर सहकारिता का सम्पूर्ण ढांचा खड़ा हुआ है। तीसरा मूल्य स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर के समाज का भला होता हो तो मुझे अपना स्वार्थ छोड़ना चाहिए,

13.12.2018/1450/जेके/डीसी/1

जब समाजसेवी से ऊपर जो इकाई है, चाहे हमारा देश है, चाहे हमारा प्रदेश है, जब उसके ऊपर बात आए तो समाज को अपने स्वार्थ को छोड़ना चाहिए, व्यक्ति को अपने परिवार के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, परिवार को समाज के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए और जब देश व प्रदेश का विषय आए तो उस समय समाज को अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। सहकारिता इन्हीं मूल्यों के ऊपर खड़ी है, सहकारिता इन्हीं अवधारणाओं के ऊपर खड़ी है। अगर यह आंदोलन हमारे प्रदेश के अन्दर जैसे कि हम एक पक्ष के ऊपर विचार कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी सोसायटीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया लेकिन यदि इस आंदोलन को कहीं से चोट पहुंची है तो हमें इन्हीं मानवीय मूल्यों को आधार मान कर इसकी असफलता के ऊपर विचार करना होगा कि कहीं-न-कहीं जो ये मूल तत्व सहकारिता के हैं, ये जो फंडामैंटल हैं, यह जो आधारशिला है, जिसके ऊपर सहकारी तत्व खड़ा है, कहीं-न-कहीं इन तत्वों की उपेक्षा हुई है। हम सभी जानते हैं कि

आज़ादी के बाद हमारे देश में भ्रष्टाचार का प्रभाव हमारे जीवन में शनैः-शनैः असर करता चला गया। हर क्षेत्र के अन्दर इसका असर होता गया। सहकारिता कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर गड़बड़-झाला हो रहा है, जहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं, जहां पर इम्बेज्लमैंट्स हो रही हैं और भी बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। पूरे देश में जो यह वातावरण है उसका असर हमारे सहकारिता क्षेत्र के ऊपर भी पड़ा है। यह बात ठीक है कि हमें विचार करना होगा। सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सम्भावनाएं हैं। आज हमारे प्रदेश के सामने समस्त चुनौतियां खड़ी हैं और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश का जो पढ़ा-लिखा बेरोजगार है उसको रोजगार देने की है। पढ़ने-लिखने के बाद उसको कमाने की चिन्ता न हो। वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। मैं समझता हूं कि इस चुनैती का जो जवाब है, इस चुनौती का जो हल है, उत्तर है वह सहकारिता में है। अन्य प्रदेशों ने इसमें सुधार किया है। वहां पर सरकारी नौकरी लेना प्राथमिकता नहीं है। हमारे प्रदेश में आज भी अगर किसी नौज़वान को पूछे तो प्राइवेट सेक्टर से किसी भी अच्छी नौकरी को छोड़ करके अगर उसको सरकारी छोटी नौकरी भी दे दी जाए तो वह उसमें आने की कोशिश करेगा। इस भावना को हमें समाप्त करना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि कभी समय पर कार्रवाई नहीं हुई, कभी विचार नहीं हुआ, इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए कानून में व्यवस्था नहीं हुई, रूल्ज़ नहीं बनें और एक्ट्स नहीं बनें लेकिन मेरा यह मानना है कि जब भावना ईमानदारी की होगी, जब भावना स्वार्थ को छोड़ कर परोपकार की होगी या भावना सच्चाई की होगी तो रूल्ज़ और एक्ट्स निष्फल हो जाते हैं। अगर बेइमानी की भावना होगी, स्वार्थ प्रेरित अगर हमारा व्यवहार होगा, तब भी रूल्ज़ और एक्ट्स उन दोनों स्थितियों में निष्फल हो जाते हैं। इसलिए सहकारिता जिन मूल्यों के ऊपर आधारित है, जो दिशा सहकारी आंदोलन की होनी चाहिए और जिस भावना को ले कर सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को काम करना है उस भावना को पकड़ना होगा। उस मूल भावना को पकड़ना होगा और उस मूल भावना को छोड़ना नहीं होगा। तब हम कह सकते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होगी। यहां पर माननीय विधायकों ने चिन्ता व्यक्त की है और कुछ प्रश्न इन्होंने उठाए हैं। यह बिल्कुल

ठीक है कि अगर रोग है तो उसका उपचार तो करना होगा। मैं उन सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं जिन्होंने आज यहां पर इस चिन्ता को व्यक्त किया है और इस भावना के साथ कि सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़े तथा इस दृष्टि से विभाग कार्रवाई कर रहा है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी भी सोसायटी के अन्दर भ्रष्टाचार क्यों होता है, उसका क्या कारण है? कारण यह है कि सोसायटी के हमारे जो सदस्यगण हैं उनकी रूचि सोसायटी के जो दैनिक कार्यक्लाप हैं उनमें नहीं होती। जब रूचि नहीं होती है तो जो मैनेज़मैंट कमेटी है उनको मालूम है कि कोई हम को देख नहीं रहा है, कोई हमारे ऊपर नज़र नहीं रख रहा है और कोई हमसे पूछता नहीं है। बेइमानी करने वाले लोग चन्द होते हैं। मैं यह समझता हूं और आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे समाज में बेईमानों की संख्या कम है, ईमानदारों की संख्या ज्यादा है लेकिन जब ईमानदार लोग ऐसी चिन्ता करना छोड़ देते हैं कि बेईमानों का बोल-बाला न हो तो बेईमानी फैलती नहीं है।

13.12.2018/1455/SS-YK/1

इसलिए विभाग का प्रयास है कि हम जो सहकारी सभाओं के सामान्य सदस्य हैं उनको अवेयर करें। उनको हम प्रेरित करें कि जो सोसाइटी के नित्य प्रतिदिन के कार्यकलाप हैं उनमें वे रुचि लें। यह मैं मानता हूं कि जो ऑडिट की प्रक्रिया है उसमें बड़ी खामियां रही हैं। ऑडिट ठीक प्रकार से होगा तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक सोसाइटीज़ में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको हम रोक पायेंगे। उसके लिए हमने ये फैसला किया है कि व्यावसायिक लोगों से और जो सर्टिफाइड ऑडिटर्ज़ हैं उनके माध्यम से हम सोसाइटीज़ का ऑडिट करवायेंगे। जब ऑडिट प्रक्रिया सुदृढ़ होगी तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की गड़बड़ियां निश्चित तौर पर रुकेंगी। आपने जो चिन्ता व्यक्त की है और जैसा कहा है कि सैक्रेटरी और उसके बाद उसका बेटा और उसके बाद परिवार का बोलबाला रहा। एक ही व्यक्ति अपने पूरे परिवार को एडजस्ट करने का प्रयास करता रहा है। सैक्रेटरी, एसिसटैंट सैक्रेटरी की सिलैक्शन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक कमेटी का गठन किया जाता

है। जिसमें कमेटी का प्रैसीडैंट और एक कमेटी का मेम्बर और विभाग का इंस्पैक्टर उसमें मेम्बर होते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 है। **लेकिन अभी तक जो सोसाइटी के लोग हैं जैसे कि सैक्रेटरी है उसको मालूम है कि जिसने ट्रेनिंग की हुई है उसको 10 नम्बर मिलते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस कंडीशन को खत्म करेंगे।** यह सिर्फ सोसाइटी के सैक्रेटरी को मालूम है कि जिसने ट्रेनिंग की है उसको 10 नम्बर दिये जाने हैं। जिस एक शख्स का आपने हवाला दिया, कम योग्यता वाला व्यक्ति 10 नम्बर प्राप्त करके भी ज्यादा योग्यता वाले व्यक्ति से जिसने एप्लाई किया है वह उससे पिछड़ जाता है। **इस कंडीशन को हम खत्म करेंगे ताकि योग्य व्यक्तियों को आने का अवसर मिले। आप जो विषय ध्यान में लाए हैं उसकी हम जांच भी करवायेंगे। आपने फर्जी सर्टिफिकेट की बात की है कि उसके आधार पर उसको रख दिया गया। उसकी हम निश्चित तौर से विभागीय जांच करवायेंगे। यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।** सम्मानीय जम्वाल जी ने जो विषय लाया, उसमें आपने कहा कि आर0सी0एस0 नोमिनी बैठक में नहीं आते हैं। आर0सी0एस0 नोमिनी को वोटिंग राइट नहीं होता। इसलिए आर0सी0एस0 नोमिनी भेजना आवश्यक नहीं है। **लेकिन आर0सी0एस0 नोमिनी की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में हो सकती है, उसको हम एंश्योर करेंगे ताकि उनका मार्गदर्शन मिले।** तीन गवर्नमैंट नोमिनी, तीन आर0सी0एस0 नोमिनी और गैर सरकारी सदस्य अपैक्स सोसाइटी में होते हैं। अन्य और भी सुधार जो सहकारी क्षेत्र में, सहकारी प्रकल्पों में हम करना चाहते हैं। **उसमें मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक सहकारी सभा, सहकारी बैंक शाखा में भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में हम काम करेंगे। निदेशालय स्तर पर गठित भ्रष्टाचार प्रकोष्ठ को अधिक सशक्त और कार्यशील बनाया जायेगा। सहकारी सभाओं व सहकारी बैंक के औचक निरीक्षण हेतु विशेषज्ञों के उड़नदस्तों का गठन किया जायेगा। सहकारी सभाओं के सदस्यों को जागरुक किया जायेगा और यह विभिन्न सम्मेलनों/सेमीनार के माध्यम से होगा। जिसमें विशेषज्ञों को बुला करके सहकारिता के क्षेत्र में किस प्रकार से और बेहतर कर सकते हैं उस बारे उनको शिक्षण प्रदान किया जायेगा। सभा की प्रबंधक कमेटी के**

सदस्यों के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। सहकारी सभा के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने के लिए उनके लेखों को तिमाही व छमाही के भीतर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। प्रदेश की सहकारी सभाओं की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने के लिए हम कम्प्यूटरीकरण करवा रहे हैं और हिमको फैड द्वारा सहकारी सभाओं, बैंकों के सदस्यों, प्रबंधक समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों की जानकारी देने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिससे उनमें सहकारिता के कार्यकलापों और सिद्धांतों के प्रति जागरुकता होगी।

13.12.2018/1500/केएस/वाई के/1

भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानानुसार प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं में गैर सदस्यों से अनुमति लेने पर विभाग रोक लगाने पर विचार करेगा। इसमें सभी का सहयोग चाहिए क्योंकि इसमें हमने पूर्व में भी प्रयास किया था लेकिन इसमें काफी दबाव आया और वह दबाव कई बार हमारे सदस्यों के माध्यम से भी हो जाता है इसलिए इसमें हमें सभी सदस्यों का सहयोग भी चाहिए।

सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी बैंकों में व्यवसायिक महाप्रबन्धक लगाने हेतु बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि बैंकों का कार्यक्लाप भी ठीक दिशा में आगे बढ़े। निरीक्षकों की भारी कमी को देखते हुए विभाग द्वारा स्वरोज़गार योजना के अधीन प्रमाणित अंकेक्षक लगाने हेतु मामला विचाराधीन है। इससे सहकारी सभाओं को समय-समय पर अंकेक्षण करवाने से पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार होगा जो कि सहकारी सभाओं में गबन रोकने में सहायक होगी।

ये कुछ कदम हैं जो हम उठाने जा रहे हैं। लखविन्द्र राणा जी ने राजपुरा कॉप्रेटिव सोसायटी का विषय उठाया और पिछली विधान सभा के दौरान भी यह मामला उठा था और बड़े विस्तार से इसका उत्तर भी दिया गया था। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना

चाहता हूं कि इसमें सरचार्ज की प्रोसिडिंग्ज़ पूरी हो चुकी हैं और डिफॉल्टर से रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। जो मामला जमीन से सम्बन्धित आप मेरे ध्यान में लाए हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसमें हम शीघ्र कार्रवाई करेंगें। सम्माननीय कटवाल जी ने भी जो विषय उठाये हैं, वे वही विषय हैं। मुझे लगता है कि बलवीर जी ने जो बात कही है, उसमें सभी विषयों का समावेश हो जाता है। जम्वाल जी ने भी कुछ विषय उठाए हैं और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से हमारा यह प्रयास है कि सहकारिता का आन्दोलन इस प्रदेश के अंदर सही दिशा में आगे बढ़े। हम अपने युवाओं को सहकारिता के क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रेरित करें, ईमानदार लोग सहकारिता के क्षेत्र में आगे आएं । यह ठीक है, कुछ सोसायटीज़ का ज़िक्र यहां पर हुआ जहां पर कि गड़बड़ियां हुई हैं लेकिन बहुत सी ऐसी भी सोसायटीज़ हैं जो मार्गदर्शक का काम कर रही है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है । मैं ऐसी बहुत सी सोसायटीज़ को जानता हूं जो आज बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं समझता हूं कि सहकारिता का क्षेत्र भविष्य में हमारे प्रदेश के लिए एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिससे हमारे प्रदेश का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित हो सकता है। मैं समझता हूं कि जो मैंने प्रयास किया है, मैं उसमें सफल हुआ हूं। माननीय सदस्यों की जो चिंता है उसको भी दूर करने के लिए जो मैंने यहां पर आश्वासन दिए हैं, आशा है कि माननीय सदस्य उनसे आश्वस्त होंगें। अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वे अपना संकल्प वापिस लें।

श्री बलबीर सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापिस ले रहा हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि जो ऑडिट करते हैं वे कम से कम ग्रेजुएट हों और एक सदस्य नहीं होना चाहिए, दो या तीन होने चाहिए जो सोसायटी में जा कर ऑडिट करते हैं। इसको आप इसमें एड कीजिए, यह मैं कहना चाहता हूं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सर्टिफाइड अंकेक्षक लगाएंगें और वे कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे। बी0कॉम और उससे ऊपर उनकी क्वालिफिकेशन होगी और 200 से ऊपर हम ऐसे अंकेक्षक लगाने जा रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने के लिए तैयार हैं।

श्री बलबीर सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जबाव दिया है उससे मैं सन्तुष्ट हूं और अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापिस लिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

संकल्प वापिस हुआ।

अध्यक्षः अब श्री राजेन्द्र गर्ग जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगें।

श्री राजेन्द्र गर्गः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि नगर परिषदों के साथ लगते गांव को नगर एवं ग्राम योजना के नियमों से बाहर किया जाए या इनमें ढील दी जाए जिससे कि ग्रामीणों को ही रही परेशानियों से निज़ात दिलाने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार करें।"

13.12.2018/1505/av/yk/1

अध्यक्ष : यह जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है इसके लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। मगर समय कम रहने के कारण इसको भी हम 30 मिनट में पूरा करना चाहेंगे। प्रस्तावक कृपया 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें तथा इसके लिए चार नाम और आए हैं इसलिए बाकी वक्ता भी अपनी बात 4-4 मिनट में समाप्त करें।

श्री राजिन्द्र गर्ग (घुमारवीं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा लगाये गये टी0सी0पी0 ऐक्ट के कारण हमारे गांव के लोगों को अपने घर-मकान इत्यादि बनाने में जो दिक्कतें नज़र आ रही हैं उससे वे बहुत चिन्तित है। अभी तो टी0सी0पी0 ऐक्ट शहरों में ही प्रभावशाली तरीके से नहीं लगा है उसके बावजूद हमने इसको गांव में भी

लम्बी-लम्बी दूरी तक लगा दिया है। मैं अगर अपने घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूं तो कंदरौर से आगे घुमारवीं और तरघेल तक लगभग 28-30 किलोमीटर लम्बे एरिया में टी0सी0पी0 ऐक्ट लगाया है जिसमें हमारी 12 पंचायतों के अंतर्गत लगभग 65 गांव आते हैं। इन 65 गांव में लगभग 25-30 हजार आबादी इससे प्रभावित है। इसमें नियम के अनुसार एन0एच0 से डेढ़ सौ मीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लिया जाता है मगर इसमें जो गांव की लिस्ट प्रकाशित हुई है उसमें डेढ़ सौ मीटर क्या दो-दो किलोमीटर तक के गांव शामिल किए गए हैं। मेरे हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में टी0सी0पी0 ऐक्ट लगाना गांव के लोगों की चिन्ता बढ़ाना है। कोई भी कार्य, बिल या नियम क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए आते हैं लेकिन इससे तो क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुलझने की जगह उलझती नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन पंचायतों के हमारे किसान भाइयों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन है। उनमें कुछ दलित बंधु हैं जिनके पास केवल 2-2 या 3-3 बिस्वा जमीन है। अगर वे टी0सी0पी0 ऐक्ट के तहत मकान बनाना चाहेंगे तो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारे गांवों के लोगों ने जिन्होंने दिहाड़ी करके अपने मकान बनाने का सपना संजोया हुआ है वहां इस टी0सी0पी0 ऐक्ट के लगने से उनका मकान बनाने का सपना केवल सपना ही रह जायेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टी0सी0पी0 ऐक्ट तो लगा दिया गया मगर इसको लागू करने के लिए जो धरातल चाहिए वह उपलब्ध ही नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सैटलमैंट नहीं हुआ है। वहां सारा क्षेत्र अनकनसोलिडेटिड है। हम जिसको मुस्तरका कहते हैं उसमें एक-एक जमीन के 5-10 से लेकर 80-80 लोग हिस्सेदार हैं। अगर वे लोग अपना नक्शा पास करवाने जायेंगे तो उनका नक्शा कभी पास नहीं हो पायेगा क्योंकि इतने लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है। इसलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रति बहुत गुस्सा है और वे लोग दो-ढाई वर्षों से इसके लिए लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। इस ऐक्ट के लागू होने के बाद किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को अपना नक्शा पास करवाने के लिए जिला मुख्यालय तक जाना पड़ेगा। यह काम एक बार जाने से नहीं होगा और उसको इसके लिए अपनी दिहाड़ी छोड़कर बार-बार जाना पड़ेगा। वह अपना पैसा खर्चेगा तथा दफ्तरों के कई-कई चक्र लगायेगा। इसलिए हमारे गांव के बंधु

इसको सहन नहीं कर पायेंगे और उनका मकान बनाने का सपना भी कभी पूरा नहीं होगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी ग्राम पंचायतों के गांवों को टी0सी0पी0 ऐक्ट से मुक्त रखा जाए और वहां ग्राम पंचायतों के नियमों को ही प्रभावी तरीके से लागू करें। जब यह टी0सी0पी0 ऐक्ट लगाया गया तो इसके लिए पंचायतों को भी विश्वास में नहीं लिया गया ।

13.12.2018/1510/TCV/AG/1

न ही कोई उनके पास गया और मनमाने तरीके से यह टी0सी0पी0 एक्ट लगा दिया गया। जिसके कारण आज हमारे उन सब ग्रामीण बन्धुओं के माथे पर चिन्ता की लकीरें खींच गई है कि अब क्या होगा? जब धीरे-धीरे ये ग्राम पंचायतें टी0सी0पी0 एक्ट के तहत आ जाएगी तो हाउस टैक्स आदि ये सारी बातें हमारी इन ग्राम पंचायतों के साथ जुड़ती जाएगा। ये भी लोगों को शंका है और जैसे-जैसे टी0सी0पी0 एक्ट के तहत ये पंचायतें आएगी, वैसे-वैसे शायद ये एरिया पंचायतों से भी कटेगा।ये नगर परिषदों के अधीन आ जाएगा। नगर परिषदों के जो भारी-भरकम नियम है ,वे सारे नियम भी इन ग्रामीण बंधुओं के ऊपर थोपे जाएंगे। इनको मजबूरन उसके अधीन आना पड़ेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से टी0सी0पी0 एक्ट को हटाया जाए। ये टी0सी0पी0 एक्ट ऐसी जगहों में लगना चाहिए जहां जमींने खाली है। जहां पहले से बस्तियां बन गई है, उन बस्तियों को कहां ले जाएंगे? एक बस्ती के बीच अगर किसी को अपना मकान फिर से बनाना है और वहां टी0सी0पी0 एक्ट लगा हुआ तो उस व्यक्ति को टी0सी0पी0 एक्ट के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा तभी वह अपने घर को रेनोवेट कर सकेगा या अपने घर को फिर से बना पाएगा। जोकि उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसी ने अपना मकान 2, 3 या 4 बिस्वा में बना हुआ है। ये सारी मुश्किलें वहां पर उनको आने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सारे बातों को अच्छे से स्टडी करके, जो वास्तव में व्यावहारिक रूप से हो सकता है, उसको लाने का प्रयास करें।

अभी जो हमारी नगर परिषदें हैं, वहां पर भी टी0सी0पी0 का कोई अधिकारी नहीं है। वहां पर नगर परिषदों के ई0ओ0 को पॉवर डैलीगेट कर दी गई है। लेकिन वहां के स्टॉफ और ई0ओ0 को टी0सी0पी0 की कोई जानकारी नहीं होती है और न ही उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। नगर परिषदों का भी यही हाल है, नगर परिषदों को टी0सी0सी0 एक्त के तहत लाकर ये वहां के लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि कई लोगों के घर 15-15 या 20-20 साल पहले के बने हुए हैं। अगर वह व्यक्ति अपने घर को किसी कारण से रेनोवेट करना चाहता है या फिर से बनाना चाहता है तो उसको टी0सी0पी0 विभाग के पास ही जाना पड़ेगा। अब तो लोग 4 बिस्वा से कम जमींन पर मकान नहीं बना पाएंगे। ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मेरे प्रदेश के अंदर जितनी भी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें टी0सी0पी0 एक्ट लगा हुआ है, मेरा सरकार से निवेदन है कि उनको इस टी0सी0पी0 एक्ट से मुक्त किया जाए। सरकार ने ऐसा पहले भी किया है, मेरे पास अधिसूचना है। श्री नैनादेवी क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसको भी टी0सी0पी0 एक्ट से हटाया गया है जिसके साक्ष्य मौजूद है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस टी0सी0पी0 एक्ट से ग्रामीण क्षेत्रों को मुक्त किया जाए। यह मेरा सरकार से निवेदन है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः श्री ब्रिकम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया 4 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ब्रिकम सिंह जरयाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री राजिन्द्र गर्ग जी इस सदन में पंचायतों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को हटाने के लिए प्रस्ताव लाएं हैं। इस एक्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के बकलोह जहां पर यह एक्ट लागू है, वर्षों पहले वहां आर्मी की बिग्रेड हुआ करती थी आज एक युनिट है। वहां पर जो लोग रहते हैं, उनको एक बाजार से दूसरे बाजार में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ी है। लोगों की गाड़ियों की चैकिंग की जाती है। इसके अलावा उनको राशनकार्ड, जाति प्रमाण-

पत्र, आय प्रमाण-पत्र और हिमाचली प्रमाण पत्र तक नहीं मिलता है। वे अपना फुटपाथ तक नहीं बना सकते हैं। उनके पास जो घर है, उसकी रिपेयर करने के लिए भी उनको 20-20 चक्र लगाने पड़ते हैं। वे न तो शौचालय बना सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं। ये सारी जमीन छावनी के अधीन आती है। वे पीने के पानी की नई स्कीम व हैंडपम्प नहीं लगा सकते हैं।

13-12-2018/1515/NS/AG/1

शमशान घाट अपना नहीं बना सकते हैं। जो लोग बेरोज़गार हैं, अगर वे कुछ दिन के लिए बाहर रोज़गार के लिए जाते हैं तो उनका नाम कंटोनमैंट से काट दिया जाता है। वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं और मैंने कई बार ई0ओ0 से मिलने की कोशिश है। वह कोई आई0ए0एस0 अधिकारी होता है लेकिन मुझे छः वर्षों से वह नहीं मिला है। मैं कई बार स्टेशन मुख्यालय के ब्रिगेडियर को हैंडपंप लगाने के लिए लिख चुका हूं और लोगों को सुविधाएं देने के लिए लिख चुका हूं। परन्तु वे कहते हैं कि इसके लिए आपको केंद्र से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने इस विषय को नियम-324 के तहत भी लगाया है। लेकिन आज यहां पर यह विषय कवर हो गया है। मेरे जिला चम्बा में वर्ष 1957 के बाद आज तक बंदोबस्त नहीं हुआ है। इनका बंदोबस्त हो या इन घरों को कंटोनमैंट एरिया से बाहर किया जाए या मूलभूत सुविधाएं दी जाएं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कंटोनमैंट अलग है और टी0सी0पी0 अलग है। कृपया आप कंटोनमैंट का विषय टी0सी0पी0 में न रखें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः वहां पर यह एक्ट पहले से ही लागू है। मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार को लिखा जाए और इन लोगों को कंटोनमैंट एरिया से बाहर किया जाए। नगर पंचायत और नगर परिषद के लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे सुविधाएं इन लोगों को दी जाए।

अध्यक्षः आप कंटोनमैंट की बात कर रहे हैं या टी0सी0पी0 की।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंटोनमैंट की बात कर रहा हूं।

अध्यक्षः यह कंटोनमैंट का विषय नहीं है, टी0सी0पी0 के बारे में बात हो रही है। आपका वह उत्तर नियम-324 में आ जाएगा। अब माननीय सदस्य विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार (नाचन)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राजिन्द्र गर्ग जी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा के लिए ले करके आए हैं। मैं भी इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की पांच पंचायतों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत लिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जब पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में थी तो मैंने और वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों ने और उन पंचायतों में रहने वाले लोगों ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार इसका विरोध किया है। हमने इसका विरोध विधान सभा के अंदर और बाहर किया है। हमने इस विषय को ले करके एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उस समय सरकार के समक्ष रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री व माननीय शहरी विकास मंत्री को कहना चाहूंगा कि जो हमारी पांच पंचायतें टी0सी0पी0 के तहत ली गई हैं और इन पांचों पंचायतों में अधिकतर आबादी एस0सी0 परिवारों की आती है। इसमें लगभग 70 प्रतिशत से अधिक की आबादी एस0सी0 परिवारों की है। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि वहां पर जितने भी परिवार रहते हैं, वे चाहे एस0सी या जनरल केटेगिरी से संबंध रखते हैं, उन परिवारों में किसी के पास पांच बिस्वा, किसी के पास सात बिस्वा या दस बिस्वा जमीन है। लेकिन उनमें एक परिवार के अंदर दो और तीन भाई हैं तो उन भाईयों के हिस्से में कितनी जमीन आएगी, इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब भी वहां पर घर बनाने की बात आती है तो पहले वे आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और नक्शा बना करके लाते हैं। फिर उनको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर के अनेकों चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बाद बड़ी मुश्किल से जिसकी कोई जान-पहचान होगी,

अमीर आदमी तो किसी-न-किसी तरह से अपने नक्शे को अप्रूव करवाने का काम कर लेता है लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में एस.सी. परिवार या जनरल कैटेगरी के गरीब लोग वहां पर रहते हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा पिछले कल एक विधान सभा प्रश्न लगा था और उस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि जिन पंचायतों

को टी.सी.पी. के तहत लिया है, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों या उन पंचायतों में रहने वाले लोगों से इस विषय के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर में यह भी जवाब आया है कि विभाग ने इसके लिए एक विज्ञापन निकाला था और विज्ञापन में यदि किसी को अपना सुझाव देना हो तो वह दे सकता है। लेकिन जब उस क्षेत्र को टी.सी.पी. के तहत लिया गया तो वहां पर किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया। वहां पर पंचायतों के प्रतिनिधियों और स्थानीय जनता से किसी प्रकार का सुझाव नहीं लिया गया। मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ ही सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र का शहर जो टी.सी.पी. के तहत आता है उस विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चमुखा, भनवाड़, मलोह, कलोड, अर्ठी, कपाही भी इस एक्ट के तहत आती है। मलौह पंचायत जो शहर से 8 किलोमीटर दूर है और वहां पर पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। पिछली सरकार के समय इस तरह की पंचायतों को टी.सी.पी. के तहत लिया गया।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप करें।

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, नाचन विधान सभा क्षेत्र, सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र और करसोग विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत भी टी.सी.पी. के तहत ली गई है। मेरा निवदेन है कि पिछली सरकार के समय जिन पंचायतों को टी.सी.पी. में डाला गया है उन्हें टी.सी.पी. से बाहर किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुख राम जी।

श्री सुख राम(पावंटा साहिब)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राजिन्द्र गर्ग जी ने जो नियम-101 के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिला सिरमौर के दो विधान सभा क्षेत्र इस एक्ट से बहुत प्रभावित हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 30 पंचायतें हैं जिनमें से 15 पंचायतें टी.सी.पी. के अंतर्गत आती हैं। ये 15 पंचायतें फुलपुर, नावादा, शिवपुर, कुन्जा मत्रालियों, मुंगावाला, करतारपुर, अजोली,

निहालगढ़, अमरकोट, भाटावाली, बेहराल, बदरीपुर, पुरूवाला, पातिनों, पिपलीवाला और नाहन विधान सभा क्षेत्र की मिस्रवाला, माजरा, सैनवाला, कालाअम्ब का पूरा क्षेत्र तथा कोलार यह सब क्षेत्र टी.सी.पी. के अंतर्गत आते हैं। इस एक्ट के कारण लोगों का काफी दिक्कतें आ रही है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जरूरत के लिए अपनी जमीन बेचनी है तो वह जमीन नहीं बिक सकती जब तक तकसीम नहीं होती। तकसीम करवाने के लिए 15-15 साल लग जाते हैं फिर भी तकसीम नहीं होती। अगर किसी ने मकान या नक्शा बनाना हो तो उसके लिए भी जमीन की तकसीम चाहिए। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत जो दो बिस्वा जमीन में घर बनाने का प्रावधान है अगर इसका नक्शा पास करवाना हो यह नक्शा पास ही नहीं हो सकता क्योंकि इसके नियम बहुत सख्त हैं। अगर दो भाइयों ने अपने मकान का बंटवारा कर दिया, उस मकान की नीचली मंजील पहले की बनी हों और बाद में दूसरी मंजील बनानी हो तो वहां पर दूसरा बिजली का मीटर नहीं लगता जब तक टी.सी.पी. से नक्शा पास न हो। पांच-पांच साल से लोग टी.सी.पी. विभाग के चक्कर लगाते हैं।

13.12.2018/1525/बी.एस./ए.जी./-1

आपने गौशाला बना ली, टीन-शैड डाल लिया वहां पर बिजली पानी का कनेक्शन नहीं लग सकता। अगर टी.सी.पी. से पैसा स्वीकृत हो जाए और हैंड पंप लगाना है तो टी.सी. पी. के कर्मचारी/अधिकारी बोल देते हैं कि पहले इसकी जमीन नाम करवाइए फिर हैंड पंप लगेगा। यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक हैंड पंप को लगवाने के लिए कौन जमीन नाम करेगा। एक फुटपाथ बनाना है उसके लिए एन. ओ. सी. मागी जाती है। रास्ता कई वर्षों से बना हुआ है, अगर गलती से टी.सी.पी. ने पैसा स्वीकृत कर दिया तो उनकी औपचारिकताएं ही पूरी नहीं होती। उन्हें पूरा करने के लिए 3-3 वर्ष बीत जाते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्थान पर न बिजली का मीटर लग सकता है और न ही पीने के पानी का कनेक्शन लग सकता है और न ही आप गौशाला बना सकते हैं। यदि किसी का दो मंजिला मकान है तो उसमें अलग से मीटर नहीं लगा सकते। यदि किसी ने अपनी जरूरत

के लिए जमीन को बेचना है तो जमीन बिक नहीं सकती। इस क्षेत्र में लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। यह ऐक्ट डवैल्पमेंट रोकने वाला ऐक्ट है। इससे बहुत बड़ी दिक्कत हमारे विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में तैयार हो गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो टी.सी.पी. वाला कानून बना है इसमें कम-से-कम जो पुराने कमान बने हैं उनमें मीटर लगाने के लिए छूट प्रदान करें। इनके विभाग का कार्यालय जिला मुख्यालय में स्थापित है । इनकी मीटिगें होती नहीं है, सैंकड़ो हजारों फाइलें उनके पास लंबित हैं। स्टाफ भी उनके पास नहीं है। यानी की टी.सी.पी. विभाग हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा बन बया है। यदि आप पैसे देंगे तो अपना एस्टिमेट स्वीकृत करवा लो, अपना कमान बना लो और मीटर भी लगवा लो। सुविधा के नाम पर वे कुछ प्रदान नहीं कर रहे हैं। जिन पंचायतों में टी.सी.पी. आलू कर रखा है और जिन पंचायतों में टी.सी.पी. नहीं है उनके विकास कार्यों में कोई फर्क नहीं है। टी.सी.पी. की वजह से विकास कार्य रूके पड़े हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे कि कहां-कहां आपने टी.सी.पी. लगाना है और कहां-कहां नहीं लगवाना है। आज की यह बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है । इस पर बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 2,500 तकसीम के मामले विचारधीन हैं। जिन परिवार में जमीन की तकसीम नहीं हो रही है वहां परिवारों में लड़ायां हो रही हैं, भाई-भाई आपस में लड़ रहे हैं। यदि एक आदमी ने ब्याना कर दिया पैसे भी दे दिए उस व्यक्ति के नाम भी रजिस्ट्री नहीं होती जब तक जमीन तकसीम नहीं होती। वैसे भी टी.सी.पी. एक्ट का कोई औचित्य ही नहीं है, न ही वे सुविधा प्रदान करते हैं। इसलिए इसे खत्म किया जाए। यदि खत्म नहीं करना है तो कम-से-कम गौशाला में पानी का मीटर लगवाने के लिए, पुराने दो मंजिला मकान में मीटर लगवाने की अनुमति तो मिलनी ही चाहिए। लोगों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन है । आज बहुत तेजी से जमीने बंट रही हैं, इसकी तकसीम कैसे होगी। यह सारी बातें मैंने माननीय सदन के सामने रखी हैं, इन पर अवश्य माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र की 15 पंचायतें इसके अधीन हैं जबकि कुल 30 पंचायतें मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में है। हमारा ज्यादातर समय इन्हीं लड़ाई-झगड़ों में लग रहा है। जो नाहन में

टी.सी.पी. का कार्यालय है वहां आधे से ज्यादा कर्मचारी उपस्थित नहीं होते। इसलिए हमारे पंचायतों को इससे बाहर निकाला जाए और इस एक्ट को खत्म किया जाए। ऐसी ही नाहन विधान सभा चुनाव क्षेत्र की समस्या है। इस समस्या का निजात करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतपाल सिंह रायजादा : आदरणीय महोदय, जो विषय आदरणीय राजेन्द्र गर्ग जी ने यहां पर चर्चा के लिए लाया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा,

13/12/2018/1530/RG/HK/1

और ज्यादातर वहीं बातें की हैं। जैसे हमारे यहां नगर परिषद का क्षेत्र है और जिस प्रकार से हमारा ऊना का एरिया है, उसके साथ भी पांच पंचायतें आती हैं, जैसे रामपुर, मलाहत, पनियाला, लालसिंघी आदि पंचायतें आती हैं। उनके ऊपर भी जो टी.सी.पी. ऐक्ट लागू हुआ है, उससे बहुत समस्याएं हमारे इन गांवों में आ रही हैं। सबसे बड़ी बात जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे कई गांवों की तक्सीम तक नहीं हुई है। जब तक्सीम नहीं हुई है तो आगे इस तक्सीम के कारण भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। हमने कहीं बिजली का मीटर लगवाना हो या पानी का कनेक्शन लेना हो या पुराने घरों में अगर किसी घर का बंटवारा होता है, उसमें नया मीटर लगवाना हो, तब हम उसमें मीटर नहीं लगवा सकते, पानी का कनेक्शन नहीं ले सकते। यह तो ठीक है कि जब हमारा शहर का एरिया बढ़ा तो उसके लिए टी.सी.पी. ऐक्ट को लागू किया गया। लेकिन मैं यह भी एक सुझाव देना चाहूंगा कि टी.सी.पी. में जो अधिकारीगण हैं, वे या तो पंचायतों में जाएं और जब पंचायत बैठती है, आम जलास लगता है, उस दिन पंचायत में उनके अधिकारी भी बैठें। तो पता चले कि यह काम कैसे होते हैं। गांव वालों को इस बारे में बताया जाए। क्योंकि गांव वालों को यह पता ही नहीं है कि पहले हमको नक्शा पास करवाना है तब जाकर हम घर बना सकते हैं। क्योंकि बाद में उनको पानी और बिजली के कनैक्शन लेने में परेशानी आती है। अगर वे अधिकारी साथ-के-साथ वहां बैठेंगे और उनको बताया जाएगा कि आपको यह सुविधा जो टॉउन एण्ड प्लानिंग से मिलेगी, तब जाकर एक जागरुक समाज पैदा होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि टी.सी.पी. ऐक्ट आपको इन गांवों में रखना भी है तब भी आप

उनको यह जरूर बताएं कि उस गांव में जब भी आम जलास होता है, वहां जाकर पंचायत में बताएं कि नक्शा कैसे प्रोवाइड करवाना है, यह सब कुछ गांवों में बताना बहुत जरूरी है। बाकी कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात यहां रखी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री जी इसका उत्तर देंगी।

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, जो संकल्प यहां श्री राजिन्द्र गर्ग जी द्वारा रखा गया है, उसमें जिन सदस्यों ने यहां चर्चा में भाग लिया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूं। विशेष रूप से यह जो टॉऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग ऐक्ट है, यह अभी कुछ ही सालों से नहीं हुआ है। यह टी.सी.पी. ऐक्ट वर्ष 1977 में लागू हुआ था और इसको लागू हुए 41 वर्ष हो गए हैं। मैं कुछ बातों पर हैरान भी हुई कि यहां ऐसा कहा गया कि इस ऐक्ट को खत्म ही कर दिया जाए। इसलिए इसके प्लस-माईनस पहलू को जानना भी बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के जो शहर या कस्बे हैं, जिस तरह से वे सैचुरेट हो रहे हैं, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जीने के लिए खुली सांस, खुली हवा, अच्छा वातावरण और सुविधाएं सरकार से लेने के लिए ही ये नियम और कानून बनाए जाते हैं। इसलिए यह 41 वर्ष पुराना कानून है। जिस तरीके से हमारे बाज़ार, गलियां आदि सब तंग हो रही हैं। कहने को कहते हैं कि रास्ता नहीं है, ऐम्बूलेंस रोड दे दो और लोगों ने अपने बाथरूम्ज़ तक सड़कों पर रास्तों में बनाए हुए हैं, तो हम कहां और कैसे सोच सकते हैं कि एक अच्छा, सुन्दर और बढ़िया हमारा प्रदेश बने। मैं आपकी जो कुछ मूल दिक्कतें हैं, उनसे भी सहमत हूं। जो चिन्ता माननीय सदस्यों ने यहां रखी है, उसके बारे में भी सरकार गंभीर है और इस बारे में विचार करेंगे। लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या जितनी गंभीर है, ऐम्बूलेंस जाने तक की जगह नहीं होती। पिछले दिनों विधान सभा में सिवरेज के बारे में भी प्रश्न उठा। वैसे हम स्वच्छ भारत की बात कहते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए सिवरेज सिस्टम कहां से संभव होगा। अगर पाईप डालने के लिए तीन मीटर भी जगह नहीं मिलेगी, कोई टेलीफोन की लाईन डालनी है, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की लाईन डालनी है या सिवरेज की लाईन डालनी है, अगर उतना रास्ता या उतनी जगह ही नहीं होगी

13/12/2018/1535/MS/AG/1

तो हम कैसे सोच सकते हैं कि शहर और गांव सुन्दर होंगे? आप वर्षा के पानी की निकासी की बात ले लो। हमारे बहुत से गांव ऐसे हैं जहां वर्षा होने के बाद वे पानी से लबालब भर जाते हैं। उस समस्या की ओर भी हमें अपना क्लीयर विजन रखना होगा। विधायकों को भी लोगों को इस बारे में अवेयर करना पड़ेगा। लोग बड़ी गाड़ी रखने का सपना देखते हैं लेकिन उस बड़ी गाड़ी को रखेंगे कहां? चाहे गांव हो या शहर हो, कन्स्ट्रक्शन लगातार हो रही है। लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बड़े-बड़े जो सुनियोजित शहर हैं वर्षा के दिनों में वे पानी से भर जाते हैं तो गांव का क्या हाल होता है उसके बारे में भी हमें संवेदनशीलता के साथ सोचना पड़ेगा। इसी कारण से हम धीरे-धीरे विकास को गांव की ओर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बड़े-बड़े शहरों में फिर भी डिवैल्प्ड स्कीम्ज आ गई हैं लेकिन गांव भी थोड़ा डिवैल्प हो, उस दिशा में टी0सी0पी0 ऐक्ट काम कर रहा है और वैल प्लांड डिवैल्पमैंट समय की जरूरत भी है। अगले 5-10 सालों में क्या होने वाला है इसकी भी हमें कल्पना करने की जरूरत है। अगर इस समस्या को थोड़ी सूझबूझ से हम निपटाने की कोशिश करेंगे तो सही रहेगा। सरकार को जहां कुछ चीजों को अमैंड करने की जरूरत पड़ेगी उसके लिए सर्वे करवाएंगे और अन्य विकल्प भी देखेंगे लेकिन जहां पर जनता को समझाने की बात होगी, वहां पर हमें इसमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि इससे भविष्य में समस्याएं कम होंगी। सीवरेज, सोलर, वेस्ट मैनेजमैंट, वर्षा का पानी, पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट और मेडिकल पर हमें ध्यान देना होगा। अगर गांव में एम्बुलैंस जाने की जगह नहीं होगी तो वह गांव कैसा होगा? मरीज को अगर समय पर एम्बुलैंस नहीं पहुंच पाएगी, वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा तो हम एक विकसित भारत और विकसित प्रदेश की कल्पना कैसे कर सकते हैं? यहां पर पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं होगी तो लोग पार्किंग नहीं बना पाएंगे। लोग गलियों में ही अपनी गाड़ियां पार्क कर देंगे और एमरजैंसी में अगर किसी को निकलना पड़ता है तो फिर कैसे निकलेंगे? उस गांव में रहने का फिर क्या फायदा जहां से मरीज को समय पर अस्पताल ही नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए पार्किंग की व्यवस्था के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।

इसी तरह से मैं हमारे होटलियर्ज के बारे में कहना चाहती हूं। कुल्लू, कसोल वैली, मैकलोड़गंज, मनाली और शिमला सब जगह अन-प्लांड ढंग से निर्माण के कारण लोगों के

व्यवसाय बन्द हो रहे हैं और कितनी ही मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। टूरिज्म हमारा ठप्प हो गया है। भविष्य में सरकार वैल प्लांड डिवैल्पमैंट करवाने के हक में है क्योंकि विकास तो होना है और हिमाचल में जगह कम है। इसलिए हमें वर्टिकल डिवैल्पमैंट को बढ़ावा देने की जरूरत है। सुरक्षा, हवा, पानी और प्रकाश के लिए मकान के आगे-पीछे और दोनों साइड सैटबैक छोड़ना हमारे जीवन की अनिवार्यता है। जैनुअन प्रॉब्लम का समाधान इसमें निहित है और रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहूंगी कि 41 साल पुराने इस ऐक्ट में इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगर परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों के साथ लगते हुए क्षेत्रों में तीव्रता से हो रहे विकास और इन क्षेत्रों का भी शहरीकरण होने के दृष्टिगत इन्हें नगर और ग्राम योजना अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है ताकि इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध और सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में कुल 55 प्लानिंग क्षेत्र और 35 साडा हैं ये टी0सी0पी0 ऐक्ट के अंतर्गत हैं। प्रदेश में गठित सभी 54 यू0एल0बीज0, नगर निगमों/नगर निकायों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां केवल 10 प्रतिशत आबादी का शहरीकरण हुआ है और भोगौलिक दृष्टि से केवल अढ़ाई प्रतिशत भोगौलिक क्षेत्र में टी0सी0पी0 ऐक्ट है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में यह बहुत कम है। पीछे प्लानिंग कमीशन हिमाचल में आया था और उन्होंने भी कहा था कि किस तरीके से यू0एल0बी0 ने अपने रिसोर्सिज को बढ़ाना है।

13.12.2018/1540/जेके/वाईके/1

देश के अन्य राजनीतिक तुलना में जहां हमारा एरिया 10 परसेंट हैं वहां पर हमारे शहर और नगर विकास की दृष्टि से पहले जो सैचुरेट हो चुके हैं, स्पष्ट है कि वर्तमान समय में अधिकतर विकासात्मक निर्माण कार्य इन शहरों-नगरों से सटे हुए क्षेत्रों में ही अधिक हो रहा है। अतः वर्तमान परिक्षेप में इन क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में अवैध निर्माण से सम्बन्धित करीब 20 मामले सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय, शिमला माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT), नई दिल्ली में भी लम्बित हैं। इन में से कई मामलों में प्रदेश सरकार ने शपथ पत्र मामले की

वस्तुस्थिति माननीय न्यायालयों में दायर की है कि हमें क्या-क्या समस्याएं हैं? माननीय सर्वोच्च न्यालाय ने प्रदेश में अनाधिकृत निर्माण के बारे में कड़ा संज्ञान लिया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली, मकलोडगंज क्षेत्रों में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया है जो कि उक्त क्षेत्रों की carrying capacity के बारे में अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी। इसमें एन0जी0टी0 और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी प्रदेश सरकार ने एक अपील करने की सोची है लेकिन कोर्ट की भी नज़र इन सारी गतिविधियों के ऊपर है। उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 2016 जिसे रिटेंशन पॉलिसी भी कहा जाता था। बहुत सारे विधायक रोज़ पूछते हैं कि रिटेंशन पॉलिसी का क्या हुआ? इसके अन्तर्गत करीब 8600 आवेदन पत्र अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए प्राप्त हुए हैं। जैसे-जैसे रिटेंशन पॉलिसी आई, सबने अप्लाई किया क्योंकि रिटेंशन पोलिसी बार-बार आती गई तो लोगों को अनअथॉराइज्ड कन्स्ट्रक्शन की भी आदत हो गई इसलिए 8600 केसिज़ विभाग के पास लम्बित हैं। उक्त अधिनियम को माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने अपने आदेश दिनांक 22.12.2017 द्वारा निरस्त कर दिया था। प्रदेश सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, शिमला में ही एक रिव्यू पटिशन भी हमने दायर की है। अतः वर्तमान में हिमाचल प्रदेश ग्राम योजना एक्ट 1977 और नगर एवं ग्राम रूल्ज़ 2014 में यदि हमें संशोधन करना है, न्यायालयों के द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों/निर्देशों को मध्यनज़र रखते हुए किया जा सकता है। अब परिस्थितियां भी बदल गई हैं। अब पहले जैसे परिस्थितियां नहीं रही कि रिटेंशन पॉलिसी बार-बार लाओ और मकान रैगुलराइज़ हो जाता था। अब इसमें कोर्ट की नज़र है, कोर्ट ने इसको निरस्त किया है। हम कोशिश कर रहे हैं, इसकी हमने रिव्यू पटिशन दी है। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों के हक में फैसला हों लेकिन कोर्ट भी अपने तरीके से डिवैल्पमैंट की ओर सोच रही है। इसलिए सरकार अपने स्तर पर निर्णय न ले करके, न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप ही निर्णय ले सकती है। न्यायालय ने इसमें सूओ-मोटो संज्ञान लिया है। किसी ने शिकायत नहीं की। उन्होंने खुद ही इसमें सूओ-मोटो

संज्ञान लिया है। इसमें कसौली का जो केस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद कोर्ट ने इस पर सख्ती से अपने ऑर्डर पास किए हैं। समय-समय पर अपने उपरोक्त न्यायालयों में दायर किए गए शपथ-पत्रों, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना याचिका में एक मामले में दायर शपथ-पत्र भी शामिल है, को भी दृष्टिगत रखना अनिवार्य है। हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से विभाग को इन सारी चीजों से जूझना पड़ रहा है। वर्तमान में अनअथॉराइज्ड निर्माण से सम्बन्धित कोई 20 मामले सर्वोच्च न्यायालय में, नई दिल्ली में हैं। जहां तक स्थानीय निकायों के साथ लगते गांव को हिमाचल प्रदेश टी0सी0पी0 एक्ट 1997 के प्रावधानों के दायरे से बाहर करने और नियमों में ढील देने का प्रश्न है, जो आपकी मूलभूत चिन्ता है। इस विषय में यह उल्लेख किया जाता है कि योजना और विषय क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को छूट की प्राप्ति में धारा 30(A) के अन्तर्गत

13.12.2018/1545/SS-YK/1

डिवैल्पमैंट परमिशन लेने की छूट बहुत सारे रूल्ज़ के अंदर दी गई है। इसके बारे में मुझे लगता है कि विभाग को जिस तरह से रायजादा जी ने अपना सुझाव दिया है, वह अच्छा सुझाव लगा कि पंचायतों में हमको रूल्ज़ के बारे में अवेयर कराना पड़ेगा। पंचायत के प्रतिनिधियों को शायद बहुत ज्यादा पता नहीं है। उसमें विधायकों की भूमिका भी बहुत ज्यादा अहम रहेगी। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में रूल्ज़ में छूट देने की बात है, इसमें कुछ छूट है। जहां पर टी0सी0पी0 ऐक्ट पूरी तरह से लागू है वहां पर टी0सी0पी0 ऐक्ट के मुताबिक ही नक्शे पास होंगे। हमने ऑनलाइन सारा काम शुरू किया है। जिस तरह से सुखराम जी ने बार-बार बहुत सारी कठिनाइयों का ज़िक्र किया, मैं आगे अपनी बात को लेती हूं। लेकिन जहां पर ग्रामीण क्षेत्र लगते हैं उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, छूट का भी प्रावधान है। आपके ध्यान में होगा, आप बड़े सालों से इसमें जूझते रहे हैं। आपकी नाहन की नगर परिषद् का अभी 150वां साल बड़े हर्ष के साथ मनाया है। उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि वह पूरे देश की ऐसी दूसरी नगर परिषद् है। नाहन की नगर परिषद् हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। इससे पहले एक कलकत्ता में बनी थी और दूसरे नम्बर

पर हिमाचल प्रदेश की नाहन की नगर परिषद् है जोकि हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। इसका हमने पिछले दिनों बड़े हर्षोल्लास से 150वां वर्ष भी मनाया। ऐसी जहां पर नगर परिषदें हैं मैं चाहूंगी कि हम उनको और डिवैल्प और सुन्दर बनाएं। आपके (माननीय अध्यक्ष महोदय) आने के बाद मैं देखती हूं कि उसमें बहुत सफाई-व्यवस्था हुई है और उसमें बहुत सारे काम हुए हैं। इसका ज़िक्र भी माननीय सुख राम जी ने अपने शब्दों में किया है। जो छूट की बात है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये जो रूल्ज़ हैं इसकी हम कोई समय आने पर एक डायरेक्टरीशिप बना दें कि कहां-कहां एरिया है। यह छूट उन व्यक्तियों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए है जोकि उन क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। उक्त क्षेत्रों में अधिनियम लागू होने से पूर्व भू-स्वामी हैं। इसका मतलब यह है कि टी0सी0पी0 ऐक्ट लागू से पहले के जो बाशिंदें हैं या जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनके लिए यह छूट दी भी गई है। दूसरा, रेजिडेंशियल पॉलिसी के तहत आवासीय भवन या फार्म हाउस या आवासीय भवन के लिए अधिकतम फर्श क्षेत्र 600 वर्ग मीटर, तीन मंजिलें प्लस एक मंजिल और पार्किंग का प्रावधान इसमें दिया गया है। फिर कॉमर्शियल के लिए दुकानें, ढाबा इत्यादि चलाने के लिए अधिकतम फर्श क्षेत्र 100 वर्ग मीटर और दो मंजिलों का प्रावधान किया है। सर्विस इंडस्ट्री के लिए कुटीर और घरेलू उद्योग जैसे आटा चक्की हो गई, रिपेयर शॉप हो गईं, बढ़ई का काम हो गया या अन्य कारीगर इत्यादि कोई भी काम है उसके लिए अधिकतम फर्श क्षेत्र 100 वर्ग मीटर, एक मंजिल, पांच कैनाल प्लस एक मंजिल है। इसके अलावा सार्वजनिक सुख-सुविधाओं के लिए यानी पब्लिक यूटिलिटी के लिए पंचायत घर हो गया, डाक घर हो गया, महिला मंडल, युवक मंडल, सामुदायिक भवन, अस्पताल, पशु औषधालय, धार्मिक स्थल, आंगनबाड़ी, श्मशानघाट, शौचालय आदि इसके लिए फर्श क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। इसमें एरिया लिमिट नहीं है। तीन मंजिल तक इन डिवैल्पमैंट वर्कस को कर सकते हैं। उपरोक्त परियोजना हेतु विभाग से कोई भी योजना अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जैसे आप कह रहे हैं विभाग के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल पंचायतों में ही साधे कागज़ के ऊपर आवेदन को लेकर उपरोक्त सूचना जमाबंदी, ततीमा की नकलें उसके साथ संलग्न करने से पूर्व

संबंधित पंचायत को प्रदान करना आवश्यक है और संबंधित पंचायत दस्तावेजों का निरीक्षण करने के उपरांत आवेदक को बिजली-पानी के कनैक्शन प्राप्त करने हेतु एन0ओ0सी0 प्रदान करती है। योजना अनुमति लेने के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता। इसमें कोई फीस नहीं है। आवेदक की सुख-सुविधा, उत्तम वातावरण, सुरक्षा की दृष्टि से कम-से-कम तीन मीटर रास्ता एच0पी0 रोड साइड लैंड कंट्रोल ऐक्ट के अंतर्गत शिडयूल रोड की कंट्रोल्ड विडथ से कम-से-कम तीन मीटर सैट बैक, दो मीटर सैट बैक आगे और डेढ़ मीटर सैट बैक किनारों से पीछे छोड़ना आवश्यक होता है

13.12.2018/1550/केएस/एजी/1

और साथ ही भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी और भूकम्प की सुरक्षा के दृष्टिगत निर्माण करना, स्लोपिंग रूफ़, सेफ्टिक टैंक इत्यादि का प्रावधान करना भी आवश्यक है।

अगर इसमें फिर भी कोई ऐसी कंडिशन हो, जिसमें ये पूरा न हो सके तो एक साइट कंडिशन भी है कि वे अगर विभाग को आवेदन देते हैं कि हमारी थोड़ी जगह है या स्लोपिंग है, इसमें यह चीज़ नहीं बन सकती तो विभाग अपने स्तर पर उसमें छूट भी देता है परन्तु उनको एक बार टी.सी.पी. विभाग को बताना पड़ेगा कि मेरे गांव के क्षेत्र में ये दिक्कतें आ रही हैं और इनके कारण हमारी यहां पर कंस्ट्रक्शन सम्भव नहीं है तो साइट कंडिशन देखकर इसमें सैट बैक इत्यादि में छूट का प्रावधान भी है।

धारा 30-ए के अंतर्गत विभाग ने अपनी शक्तियां पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की हैं ताकि आम नागरिकों को विभाग के कार्यालय में न आना पड़े यानि हर किसी को टी.सी.पी. ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में ही प्रावधान है लेकिन हम लोग ही अवेयर नहीं है। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह बहुत अच्छा सुझाव था और हम भी पंचायतों को इस बारे में अवेयर करवाएंगें ताकि वह अपने स्थानीय पंचायत के लोगों को यह छूट और सारी जो सुविधाएं हैं, प्रदान करवा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक ऑन लाइन नक्शों की बात है, विभाग इस विषय में आज जनता को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरुकता शिविरों का आयोजन भी करता है लेकिन फिर भी आम जनता को इस विषय में और अधिक जागरूक करने के लिए प्रयास करेंगे और इस वर्ष अभी तक विभाग के पास प्रदेश के 22 योजना विशेष क्षेत्र साडा से नगर और ग्राम अधिनियम-1977 की परिधि से बाहर करने से सम्बन्धित करीब 55 प्रस्ताव विभाग को मिले हैं जहां आवेदन किया गया है कि हमारे एरियाज़ को बाहर कर दिया जाए। माननीय सदन को अवगत करवाया जाता है कि इन प्रस्तावों का गुणदोष के आधार पर विभाग सरकार के स्तर पर एक सर्वे करवाएगा और उसके उपरांत उसको अगली कार्रवाई के लिए अमल में लाएंगे । यहां पर घुमारवीं के विधायक ने जो यह प्रस्ताव रखा है, मैं बताना चाहूंगी कि इनका 04.03.2014 को गठन हुआ था और 14.06.2016 को यह संशोधन के लिए विभाग के पास आया था। 62 से 50 मोहाल आपके रह गए हैं। पहले 62 था अभी 50 रह गए हैं। पहले 4556 हैक्टेयर आपका एरिया था अब 1303 हैक्टेयर ही रह गया है जो पहले की अपेक्षा कम है। फाइनली 27.01.2018 को आपका नोटिफाई हुआ है। हमारी सरकार ने मार्च, 2018 को केबिनैट में 20 स्थानीय निकाय जो शेष रह गई थीं, जहां पर प्लानिंग क्षेत्र घोषित नहीं थे, को भी अब टी.सी.पी. ऐक्ट में लिया है। अभी सितम्बर में हमने प्लानिंग एरिया नोटिफाइड किया है। इसमें हमने और ग्रामीण क्षेत्र नहीं लिए हैं। आपने स्टाफ के बारे में कहा। वैसे तो लगभग सभी विभागों में स्टाफ की कमी होती है और सरकार उसको पूरा करती है। ऐसे ही ई.ओज़. की जहां कमी है, वह मामला हमने केबिनैट में रखा था वह पास हो गया है। विभाग को 8 नये ई.ओज़. लगाने की स्वीकृति मिली है और जहां प्रदेश में ई.ओज़. नहीं थे, वहां हमने एस.डी.एम. और तहसीलदार के माध्यम से यह काम उनको बांटा था। वे अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे थे लेकिन 18 ई.ओज़. जैसे ही हमारे भर्ती हो जाएंगें तो जहां जरूरत होगी, उनको लगाया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुखराम चौधरी जी ने भ्रष्टाचार की बात कही जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन मैं इनको आश्वस्त करना चाहूंगी यह विभाग आज ही नहीं बना है, यह बहुत पुराना विभाग है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि नक्शे में जो भी ऑब्जैक्शन्ज़ लगाने होंगे, सम्बन्धित अधिकारी केवल एक ही बार लगाएगा। यह नहीं होगा कि एक ऑब्जैक्शन लगा, वह व्यक्ति उसको ठीक करके आए फिर दो-तीन और

ऑब्जैक्शन लग जाएं। यह कभी पुरानी प्रैक्टिस रही होगी परन्तु मैं विश्वास दिलाती हूं कि जो भी ऑब्जैक्शन लगे, वह एक ही बार लगे ।

13.12.2018/1555/av/ag/1

कैंटोनमैंट एरिया में तो टी0सी0पी0ऐक्ट लागू नहीं होता। आपने सुन्दरनगर एरिया की बात की है तो वह एरिया दिनांक 4.3.2014 को नोटिफाई हुआ। उसके बाद दिनांक 28.8.2016 को उसमें 14 राजस्व मौहालों को ऐक्सक्लूड कर दिया है। इसके अतिरिक्त डी0पी0 सुन्दरनगर को दिनांक 2.2.2018 को नोटिफाई कर दिया है। इससे पूर्व पब्लिक नोटिस दिनांक 23.7.2017 और 24.7.2017 को समाचार पत्रों में जारी किए थे। यहां पर विनोद जी ने कहा कि रातों-रात कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, विभाग के पास सारे आंकड़े होते हैं। अगर हमारे पास जानकारी न हो तो हम भी बोल देते हैं कि ऐसे ही हो गया। हरेक एरिया के नोटिफाई होने से पहले उसके बारे में अखबारों में दो बार आता है और लोगों को नोटिस दिए जाते हैं। इस तरह से जब हम इन-जनरल वे में कुछ कहते हैं तो उससे थोड़ी पीड़ा भी होती है क्योंकि जिसके पास विभाग होता है उसको पता होता है कि मैंने इसको पहले ही दो बार वैरीफाई किया है। इस बारे में नोटिफिकेशन हुई है, इसमें जो-जो सुधार की बातें कही गई हैं हम उनको देखेंगे और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय की भी चिन्ता है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगी जैसे कि यहां पर ठाकुर राम लाल जी ने कहा कि इनके गुज़र नाले का एरिया था जिसको पहले निकाल दिया था मगर अब दोबारा उसको इनक्लूड कर दिया है। मैं बताना चाहती हूं कि इनके 10 मौहाल थे जिसमें से 6 निकाल दिए हैं और अब उसमें 4 ही रह गये हैं। उसमें अगर नाला आ गया है तो वह नाला भी ब्युटीफाई हो जायेगा। इस तरह से हर विधायक की अपनी-अपनी प्रोब्लम है। हमारे पास जो भी विधायक महोदय अपनी प्रोब्लम लेकर आयेंगे उस पर हम संवेदनशीलता से विचार करेंगे। ये सारी बातें माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी है और जितना जरूरी होगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। किन्हीं एरियाज में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वहां के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए हम एक मैकेनिज्म डैवलप करने

की कोशिश करेंगे। इस बारे में एक सर्वे करवा लेते हैं और सरकार के स्तर पर जो भी उचित होगा उसके अनुसार सुविधा देने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजिन्द्र गर्ग जी, क्या आप मंत्री जी के उत्तर से सहमत होते हुए अपना संकल्प वापिस लेंगे?

श्री राजिन्द्र गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि नक्शा पास करवाने के लिए तो टी0सी0पी0 के पास ही जाना पड़ेगा, पंचायत के प्रधान के पास केवल आवेदन कर सकते हैं। इसमें दिक्कतें रहेंगी इसलिए आप हमारी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इन एरियाज को टी0सी0पी0ऐक्ट से बाहर रखने का फैसला करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को वापिस लेता हूं।

श्री सुख राम (पांवटा साहिब) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नगर परिषद की बात नहीं कर रहा हूं, आप वहां पर जो मर्जी नियम लगाइए। मेरे वहां 15 पंचायतें हैं और वे पहाड़ी एरिया की पंचायतें हैं। हमारा दुःख यह है कि जो दूसरी मंजिल का मकान बना है वहां मीटर नहीं लगता, गौशाला में पानी का कनैक्शन नहीं लगता। आप नगर परिषद में जो मर्जी नियम लागू करो क्योंकि वहां पर ई0ओ0 और दूसरा प्रशासन होता है। लेकिन टी0सी0पी0 का ऑफिस नाहन में है, एक व्यक्ति को अपने मकान की दूसरी मंजिल का मीटर लगाने के लिए वहां जाना पड़ता है और जमीन की तकसीम भी नहीं होती। वहां ढाई-ढाई हजार लोगों के केस पड़े हैं और लोगों में वेदना है। इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इसमें छूट दी जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने जैसे कहा तो टी0सी0पी0 का कोई कर्मचारी किसी भी चीज में रिलैक्सेशन नहीं देता है। ऐसा कभी नहीं होता है और कोई रिलैक्सेशन नहीं देता है। वहां पर कोई कर्मचारी ही नहीं होता तो रिलैक्सेशन कौन देगा?

13.12.2018/1600/TCV/AG/1

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि कोई रिलैक्सेशन नहीं देगा। यदि कोई अप्लाई करेगा तो विभाग उसके बारे में अवश्य सोचेगा। लेकिन अप्लाई तो करना पड़ेगा। यदि कोई केस ऐसा होगा तो आप मेरे ध्यान में लेकर आएं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र

हैं, वहां पर नक्शें की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पंचायत में मकान का ले-आऊट और एक एप्लीकेशन देनी होती है। उनके लिए पंचायत ही पानी/बिजली के एन0ओ0सी0 देगी। फिर भी आपकी जो समस्या होगी हम उसका समाधान करेंगे। इसको कैबिनेट में भी लेकर जाएंगे। इसमें जो प्रावधान करने की जरूरत होगी, आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए, बड़ी संवेदना के साथ जो भी मैकेनिज्जम डेवेल्प करना होगा, निश्चित रूप में हम उनकी भावना को देखेंगे।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है तो क्या माननीय सदस्य श्री राजिन्द्र गर्ग जी अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार हैं?

श्री राजिन्द्र गर्गः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जबाव दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं और अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

संकल्प वापिस हुआ।

"संकल्प"

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री अनुरूद्ध सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंह,(कसुम्पटी)ः अध्यक्ष मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प माननीय सदन में प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार से हैं-ः-

> "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने बारे कोई नीति बनाने पर विचार करें।"

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने बारे कोई नीति बनाने पर विचार करें।

माननीय सदस्य कृपया यह सुनिश्चित करें कि आधे घण्टे में इस प्रस्ताव को समाप्त करें । इस पर 5 मिनट मूवर अपनी बात रखें । इस पर बोलने के लिए 5 नाम और आए हैं, वे 2-2 मिनट में अपनी बात रखें। इसके बाद माननीय पशुपालन मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री अनुरूद्ध सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो बचपन में सभी ने गाय माता का दूध पिया है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मां का दूध नहीं पी सकते हैं तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इनको गाय का दूध पिलाओ। परन्तु कुछेक साल में कुछ स्वार्थी लोगों के कारण गाय की दुर्दशा हमारे सामने आई है। जब तक गाय दूध देती है, तब तक उसको पालते है और जब दूध देना बन्द कर देती है तो सड़कों पर छोड़ देते हैं तथा उनको प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह विषय कई बार प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदन में पहले भी आ चुका है। गोसदनों की भी यहां पर बात हुई है। गायों को सड़कों में छोड़ने का विषय भी यहां पर आया है। गाय का दूध, गोबर व गऊमूत्र सभी गुणकारी है यह हम सभी जानते हैं। आजकल गऊमूत्र का छिड़काव खेतों और बागवानों में भी किया जा रहा है। गाय को पालने का खर्चा 70-80 रुपये प्रतिदिन का आता है जोकि गाय अपने गोबर व मूत्र से ही पूरा कर सकती है। भारत में गाय को देवी का दर्ज़ा प्राप्त है और ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी-देवताओं का निवास है। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाय की विशेष पूजा की जाती है और उनका शिंगार किया जाता है। गाय हिन्दू धर्म का मूल है। हमारी पूजा-पाठ, जप-तप, भजन पिंडदान इत्यादि जितने भी सत्कर्म हैं, वह गाय के बिना अधूरे हैं। आज के समय में गाय की दुर्दशा किसी से छूपी नहीं है। 84 लाख यौनियों में गऊमाता एक मात्र ऐसे प्राणी है जिसके मल व मूत्र की

पूजा व सेवन भी किया जाता है। गाय एक चलती-फिरती औषधि भी है। गऊमूत्र को आयुर्वेद में भी प्राणत्व कहा गया है और इसके सेवन से अनेकों बीमारियां सहज रूप से ही समाप्त हो जाती है। गाय धर्म एवं मोक्ष देने वाली है। गाय के गोबर से गोबर गैस प्लांट चलते हैं। आजकल जहरीली खादों के स्थान पर गाय का ही गोबर प्रयोग में लाया जा रहा है।

13-12-2018/1605/NS/DC/1

यदि हम आर्गेनिक खेती व हैल्थ की बात करें तो गोबर ही इस्तेमाल में आता है। अगर दस वर्ष के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाए तो उनमें एकस्ट्रा सप्लीमैंट्स आते हैं और निरोगी भी बनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गाय का दूध ए-॥ श्रेणी में आता है। गाय के दूध से कैंसर जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है और रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 19 सितम्बर को यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। इस प्रस्ताव को पारित करने में किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। हमारी न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं कि हर पंचायत में गौशाला खोली जाए। यह संभव नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक जिलें में भी एक अच्छी गौशाला खोली जाए तब भी काम चल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय की प्रोपर टैगिंग नहीं हो रही है और जिनकी यह संपत्ति होती है, छोड़ने पर उनके विरूद्ध कोई कड़ी कार्रवाई भी नहीं की जाती है। आजकल कलियुग है और लोग अपने माता-पिता को छोड़ देते हैं, जब वे बुजुर्ग हो जाते हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग इसे भी छोड़ देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल एक नया शब्द 'mob lynching' चला है। मैं समझता हूं कि अगर हम एक प्रस्ताव पारित करके एक्ट बनाते हैं तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को पॉवर दी है कि वे अपना-अपना एक्ट बनाएं और इसे अपने ढंग से करें। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को पूरी पॉवर दी है। इसलिए इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि यह समस्या सभी की है और हम सभी गाय को माता मानते हैं। पूजा-पाठ, दान और मरने-जीने में गाय के दूध से बने पदार्थों का प्रयोग होता है। क्योंकि समस्त हिमाचल प्रदेश एक देव भूमि है और यहां पर गाय के घी से ही देवताओं की पूजा होती है। उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गाय को राष्ट्रमाता

का सम्मान दिलाने के लिए सर्वसम्मति से विधान सभा में इस प्रस्ताव को पारित करें। अधिकांश मंत्रियों, विधायकों और हमारे 18 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन/प्रस्ताव दिया है, जिसकी प्रति टेबल के ऊपर भी ले कर दी है। अतः गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

अध्यक्षः अब माननीय श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे और दो मिनट में अपनी बात रखेंगे।

श्री किशोरी लाल (आनी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्य अनिरूद्ध सिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने बारे कोई नीति बनाने पर विचार करें।" यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प यहां पर लाया गया है। हम सभी गाय को माता मानते हैं। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हम इस बात को कितना इंप्लीमैंट करते हैं, यह सभी जानते हैं। गाय जब दूध देती है तो इसे घर में रखते हैं और जब दूध नहीं देती है तो इसे जंगलों में छोड़ देते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक उप समिति का गठन किया गया। गौवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा गौ संरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। प्रदेश के अंदर सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और देसी नस्ल की गाय के पालन के लिए विशेष योगदान दिया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से गौमूत्र उद्योग चलाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान राशि सरकार दे रही है। प्रदेश में बेसहारा पशुओं के रख-रखाव के लिए और इनके पोषण हेतु, वर्तमान गौ सदनों के

सुदृढ़ीकरण और नये गौसदन स्थापित करने के लिए तथा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पंचायतों, मंदिरों और जितने भी सरकारी मंदिर बने हैं, वहां पर जो चढ़ावे के रूप में 15 प्रतिशत के हिसाब से जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 17 करोड़ रुपये बनते हैं, गौवंश के विकास के लिए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने पिछले बजट में यह घोषणा की थी कि हरेक

बोतल में 1 रुपया गौमाता के नाम दिया जाएगा जिससे लगभग 8 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिल रहा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, किशोरी लाल जी आप इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री किशोरी लालः माननीय अध्यक्ष जी, हमें इसके लिए सहयोग करना चाहिए। आपने बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्या, श्रीमती कमलेश कुमारी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती कमलेश कुमारी(भोरंज)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने बारे आरणीय भाई अनिरूद्ध सिंह जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं यहां खड़ी हूं। गौ माता के बारे में जो संकल्प यहां रखा गया है यह हमारी बचपन की याद को ताजा करवा रहा है। जब हम तीसरी-चौथी में पढ़ते थे तो हमें एक निबंध गाय के ऊपर तैयार करवाया जाता था। उसमें गाय का महत्व बताया जाता था कि गाय हमारी माता है। गाय का दूध सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। सारी दुनिया शक्ति की पूजा करती है और हिन्दुस्तान के लोग गाय की पूजा करते हैं। प्राचीन काल से ही गाय अपने गुणों और शक्ति के कारण हमारी संस्कृति की परिचायक और वाहक रही है इसलिए पूरा देश गाय को पूजता है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने सरकार बनते ही गौ माता के प्रति अपने पूज्य भाव को अभिव्यक्त करते हुए बेसहारा गाय के संरक्षण एवं संबर्धन के लिए योजना बनाकर उसे शुरू कर दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने गौ संबर्धन और संरक्षण पर विधेयक पारित करवाया। गाय की विदेशी नस्ल के कारण गाय और बैल बेसहारा बने हैं। आप सब जानते हैं यह जो अमेरिकन और औस्ट्रेलियन गाय हैं, यह 4-5 साल तक दूध देती हैं। जब तक दूध देती है तब तक हमारी है और जब दूध देना बंद कर देती हैं तो यह सरकारी हो जाती है। आज सड़कों पर क्या हाल है? हमारी सरकार ने देशी गायों के पालन-पोषण और संरक्षण पर बल दिया है। जो हमारी देशी गाय के दूध के गुण है वह इस गाय के दूध में नहीं

हैं। देशी गाय का दूध, दहीं और मक्खन मनुष्य को बलवान व निरोग बनाता है। देशी गाय का मल-मूत्र हमारी भूमि को पवित्र और उर्वरक बनाता है। सच कहें तो गाय जननी यानी मनुष्य, जमीन और जीव-जन्तुओं को नवजीवन प्रदान करती है। गाय से उत्पन्न दूध, दहीं, मक्खन, गोबर, मूत्र आदि हमारी बौधिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं तथा शारीरिक विकास भी होता है और अनेक रोगों से लड़ने से हमें शक्ति प्रदान करते हैं।

13.12.2018/1615/बी.एस./ए.जी./-1

यदि देशी गाय पालेगें तो निकट में किसी प्रकार की कोई व्याधी या रोग नहीं रह सकता है। हमारे देश में लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन कृषि है और दूसरा बड़ा रोजगार का साधन पशुपालन है। आज देशी गाय के दूध की कीमत लगभग 120 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम है । गाय की मृत्यु के बाद उसका मृत शरीर भी 25-30 लाख रुपये तक की खाद का कीट नाशक दवाई प्रदान करता है। यानी गाय जीते-जी तो सब कुछ सुख प्रदान करती है परंतु मरने के बाद भी लाखों का लाभ देकर हमारी गौमाता जाती है । गाय के गुण और महत्वों को देखते हुए इसकी जानकारी बच्चों को पाढ्यक्रम में दी जानी चाहिए। मैं इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी से निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी पवित्र गौमाता के लिए माननयी मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को व्यवस्था दी है, आयोग का गठन किया है, विधेयक पारित किया है । इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व धन्यवाद करती हूं। मैं इस माननीय सदन में यह कहना चाहती हूं कि यदि हम जगह-जगह गाय की रक्षा के लिए काम करेंगे तो गौमाता को राष्ट्र माता का कानूनी दर्जा प्रदान करने का हक प्राप्त हो जाएगा । अंत में हम सबको बोलना चाहिए "गौमाता की जय"। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने सदन में लाया को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए लाया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत वर्ष में जिस

गाय को हम माता कहते हैं, वह सड़कों के ऊपर धक्के खा रही है और उसकी क्या दुरदशा है यह सभी हम जानते हैं। आज समय है कि हम अपनी गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करें। मैं इस संदर्भ में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। जो हमारी गौशालाएं हैं उन पर भी प्रदेश सरकार की नजर होनी चाहिए। क्योंकि अन्य प्रदेशों ने जो गौशालाएं खोली हैं वहां पर तस्करी के माध्यम से गाय को गलत होथों में बेचा जाता है। इसके लिए हर गाय की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। यह रजिस्ट्रेशन एस.डी.एम. कार्यालय स्तर पर होनी चाहिए। वहां पर हर गौशाला में कितनी गायें और बैल हैं उनकी गिनती दर्ज होनी चाहिए। साथ ही समय-समय पर उन गौशालाओं का निरीक्षण भी होना चाहिए। ताकि किसी प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर न हो। जैसा सरकार ने कहा कुछ पंचायतों में गौशालाएं होनी अनिवार्य है। परंतु जिन पंचायतों में गौशालाएं नहीं खोली हैं वहां पर भी गौशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। गौशालाओं में गायों की जांच के लिए वहां पर जो नजदिकी पशु चिकित्सालय होते हैं वहां जो फार्मासिस्ट हैं या डाक्टर्ज हैं उनके लिए यह सरकार का निर्देश होना चाहिए कि वे सप्ताह में दो बार गांव-गांव में जाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करें। इसी तरह हमारे नालागढ़ में एक बहुत बड़ी गौशाला है। इसमें लगभग 800 के करीब गायें हैं।

13/12/2018/1620/RG/Yk/1

और बहुत लोग उसमें सहयोग करते हैं, ...(घण्टी)...हर तरह की सुविधा उन गऊशाला में है। लेकिन फिर भी जो हमारे आवारा पशु घूमते हैं उनका भी बहुत प्रकोप है। उनकी मार से या उनके चपेट में आ जाने से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस प्रकार से उनके ऊपर भी नज़र रखना बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो फसल है, किसान जो दिन-रात मेहनत करके फसल पैदा करता है, अपने खेत-खलिहान में काम करता है और वहां अपनी फसल की रक्षा के लिए बैठा रहता है। लेकिन आज आवारा पशु और गाय वहां घूमती हैं और वे उनकी फसल को नष्ट कर देती हैं। इससे किसान भी उनके ऊपर अत्याचार करते

हैं। इसलिए इन गऊओं के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि गऊशाला में इनको रखा जाए।

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिए।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : इसी तरह जैसा यहां कहा गया कि हमारी देशी गाय में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है। इसमें सच्चाई है। हम सभी हिन्दू परम्परा के लोग हैं और गाय को मान्यता देते हैं। तो हमें चाहिए कि इनके ऊपर अत्याचार न करके इन गऊओं को गऊशाला में रखा जाए। अगर किसी का कोई नुकसान होता है या कोई पीड़ा पहुंचती है तो इनको मारे नहीं बल्कि इनको गऊशाला में रखा जाए ताकि हमारी ये गऊ जिनको यहां राष्ट्र माता घोषित करने का संकल्प लाए हैं, अगर हम इसको पास करें तभी यह संकल्प सार्थक हो सकता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री हीरा लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हीरा लाल(करसोग) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के बारे इस माननीय सदन में लाया है। गौ माता, भारत माता और गंगा माता, ये हमारी जीवन निष्ठा है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीनकाल में जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और आदिकाल में भी श्रीकृष्ण के साथ गौ माता का नाम लिया जाता है। श्रीकृष्ण ने भी गौ माता की सेवा की है। उस समय कहा गया कि गौकुल में गौ माता की एक शक्ति थी। घी, दूध की वहां एक शक्ति होती थी और इस बात को कंस ने भी माना। उसने अपनी सभा में कहा कि गोकुल में किस प्रकार की शक्ति है कि ग्वालों को हराया नहीं जा सकता। उस समय कंस की सभा में कहा गया कि उनके पास गौ माता की शक्ति है, घी, दूध की शक्ति है और वहां घी, दूध खाने से मानसिक शक्ति भी तेज होती है एवं शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। उस समय श्रीकृष्ण को हराया नहीं गया। ठीक है समय में परिवर्तन आया लेकिन आज भी हमारे भारत वर्ष में गौ माता की पूजा होती है, गौ माता का त्योहार मनाया जाता है। जैसा बहिन जी ने कहा, जब हम दूसरी-तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तो गौ माता के त्योहार पर बहुत अच्छे-अच्छे पकवान बनाए जाते थे, हमारी दादी हमें बहुत घी खिलाया करती थी। उस समय गौ माता को पैर लगाना भी पाप समझा जाता था। जैसे

कई बार हमने उसको हाथ या डण्डे से मार दिया तो कहते थे कि ऐसा नहीं करते, नहीं तो इसका पाप लगता है। इतना ऊंचा गौ माता का दर्जा है और मैं समझता हूं कि जितना मनुष्य का दर्जा है, उतना ही गौ माता का दर्जा है। हम बचपन में मॉ का दूध पीते हैं, उसके पश्चात हम गौ माता का दूध पीते हैं। जिससे हमारा जीवन आगे चलता है और आगे चलकर भी पूरे जीवन में, गौ माता के घी-दूध से बने हुए जितने भी पकवान या मिष्ठान हैं, उन सबका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। आज समय में परिवर्तन हुआ और इसके साथ-साथ हमारे देश में कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया।...(घण्टी)....आक्रमण के बावजूद हमारी गौ माता हमारी धार्मिक आस्था का केन्द्र है जबकि उस समय हमारी इन धार्मिक आस्थाओं को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया। परन्तु आज के समय में जलवायु परिवर्तन हुआ। इसमें कृषि के साथ हमारी गौ माता और गौधन भी जुड़ा है। आज वातावरण में बारिश कम हुई है खेतीबाड़ी कम हुई है, इसका कारण है कि आज भौतिकवाद में जो हमारे नवयुवक, नवयुवतियां या बच्चे हैं, वे कभी इस गौधन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इससे लगता है कि यह जीवन समाप्ति पर है। क्यों, क्योंकि जब हम अपनी मूलभूत चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं।

13/12/2018/1625/MS/AG/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य सदन का समय एक्सटैंड नहीं होना है और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी देना है। आप यह बता दीजिए कि आप इस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हें?

श्री हीरा लालः यह बहुत विस्तृत विषय है लेकिन समय थोड़ा कम है नहीं तो इस पर अच्छी चर्चा हो सकती थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना बहुत अनिवार्य और उचित है तथा यह समय की मांग है और यह मांग पूरी की जानी चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री सुरेश कुमार कश्यप जी भाग लेंगे। अब अगले सभी वक्ता एक-एक मिनट में अपनी बात कहेंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प श्री अनिरूद्ध सिंह जी इस माननीय सदन में लेकर आए हैं। निश्चित रूप से "गऊ विश्वस्य मात्रा" अर्थात गाय विश्व की माता है, ऐसी हमारी मान्यता है और यहां तक कि ऐसी भी मान्यता है कि मां शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह गाय के बच्चे के रम्भाने से यानी गाय का बच्चा जब रम्भाता है तो मां शब्द का उच्चारण होता है। यही नहीं, प्राचीन समय से हमारे धर्मग्रंथों में चाहे कामधेनु गाय की बात हो या पदमा, कपिला आदि गायों का क्या महत्व है इसके बारे में बात हो, उसमें विस्तार से विवरण दिया गया है। यही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि गाय के शरीर में हमारे देवी-देवता वास करते हैं और इसके साथ-साथ ऐसी भी मान्यता है कि गाय के पिछले खुरों के दर्शन मात्र से ही अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ अगर हम गाय का दूध, गाय का गोबर या गौ-मूत्र की बात करें तो इनसे अनेक फायदे हैं। जहां तक गाय के दूध की बात है तो गाय के दूध में एक प्रकार का पूर्ण पोषण जो एक बच्चे या मनुष्य के लिए होता है वह मिलता है। यही नहीं जो आज हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उसके लिए गाय का गोबर बहुत उपयोगी है। आज तो बिना खाद और दवाइयों के खेतों में कुछ भी पैदा नहीं होता है लेकिन पुराने समय में मात्र गाय का गोबर हम खेत में डालते थे और बहुत अच्छी फसल उगाते थे और बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाते थे। इसी प्रकार से आज के समय में अगर हम देखें -- (घण्टी)-- गौ-मूत्र को बहुत सारी बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से आयुर्वेद में इसका बहुत अधिक महत्व है लेकिन आज स्थिति यह है कि गौ माता को सड़कों पर बेसहारा छोड़ा जा रहा है और गौ माता आज भूखी-प्यासी भटक रही है। इसके अलावा कई बार इनके कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और ये गायें जब किसी के खेत में चली जाती हैं तो फसलों को भी नुकसान पहुंचाती हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्षः दो मिनट तो आपको बोलने के लिए टोटल मिले थे।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और पशु पालन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक काऊ सैंक्चुरी जो प्रदेश की सबसे बड़ी और पहली है जिसमें लगभग 500 आवारा पशुओं को रखा जाएगा, का 109 बीघा भूमि में निर्माण किया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास प्रदेश सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है और 10 जुलाई को कोटला-बड़ोग जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है वहां पर उसका शुभारम्भ किया गया है तथा आजकल उसका निर्माण कार्य चल रहा है। मैं पुनः प्रदेश सरकार का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से गौ-संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध और प्रयासरत्त है --(घण्टी)-- माननीय अध्यक्ष जी, जो महत्वपूर्ण संकल्प यहां इस सदन में श्री अनिरूद्ध सिंह जी लेकर आए हैं मैं भी इसका समर्थन करता हूं। इस प्रकार का संकल्प केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। आज उत्तराखण्ड प्रदेश का पहला राज्य बन चुका है जिसने यह प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया है और हिमाचल प्रदेश भी ऐसा प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे और इसकी एक नीति बनें कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। अभी 4.30(अपराह्न) बजे का समय हो गया है और मैंने अगला संकल्प भी लेना है।

13.12.2018/1630/जेके/एजी/1

श्री विक्रमादित्य सिंह(शिमला ग्रामीण)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां पर श्री अनिरूद्ध सिंह जी ले कर आए हैं मैं इनको बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से इस प्रस्ताव को देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसमें ज्यादा लम्बी बात नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत से गौ-सदन हैं। मगर जिस तरह से उनकी दुर्दशा है और दूसरे, जो कई हमारे गौ-सदन हैं वे आर0एस0एस0 का अखाड़ा बन चुके हैं। कम-से-कम यदि हम इसको राष्ट्र माता घोषित कर देते हैं तो जितना अधिकार आपका गऊ माता पर होगा उतना ही अधिकार हमारा भी होगा, इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं। ...(व्यवधान)... हमारी भी उतनी ही है जितनी

आपकी है इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टूटू में सब्जी मण्डी है वहां पर गौ-सदन भी है लेकिन वह पूरी तरह से आर0एस0एस0 का अखाड़ा बन चुका है। वहां पर सब्जी मण्डी बनाने की भी परमिशन नहीं दी जा रही है। ... (व्यवधान)...

अध्यक्षः प्लीज, बहुत अच्छा चला हुआ है इस पर चर्चा होने दें।

श्री विक्रमादित्य सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। दूसरे, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक डैडिकेटिड मिनिस्ट्री, वैसे तो राजस्थान में भी इसको लाने का प्रयास किया गया था। राजस्थान में गौ-संरक्षण के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया था। वह अलग बात है कि वहां वह इतने तरीके से सफल नहीं हुआ है। मगर यहां प्रदेश में जो अभी नया आयोग बनाया जा रहा है उसमें फंडज़ का प्रोविज़न तो किया है मगर वहां पर एनिमल हस्बेंडरी के माध्यम से उसको संरक्षण दिया जाए। That is very important. It is not only from the religious point of view मगर जो उनका कॉंट्रिब्यूशन मैन काइंड की डवैल्पमैंट में रहा, हमारे चाइल्ड हुड से लेकर अन्त तक गाय का और डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। खासतौर से जो आज कल बॉयोगैस है, सी0एन0जी0 है और पैस्टिसाइड्ज़ हैं, उनकी समस्याएं जो हमें आजकल फार्मिंग में देखने को मिल रही हैं, उनका निवारण इसके माध्यम से किया जा सकता है। एक A-1 मिल्क जो बहुत ही hazardous माना जाता है उसको इम्प्रूव करने के लिए A-2 मिल्क A-2, A-2 बुल्ज़ के माध्यम से इसका निवारण किया जा सकता है। इसको भी हमें इसके उपलक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। बाकी जैसे कि यहां पर कहा गया कि ब्लड प्रैशर है, डाइबिटीज़ है, कैंसर है और जितने भी हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनका निपटारा करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका हम जरूर समर्थन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसका समर्थन केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूं बल्कि इनका सदियों से जो समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसको

भविष्य में भी हमें ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए जो प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री राजेश ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। केवल एक मिनट में समर्थन करें।

श्री राजेश ठाकुर (गगरेट)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने आज गऊ माता को राष्ट्र माता घोषित करने बारे जो प्रस्ताव लाया है, इसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखें। यह बहुत ही जरूरी काम है। पूरा देश इस ओर देख रहा है। आज गऊ माता पूरे देश में हर गली, हर चौराहे में भटक रही है। इसके गुणों व अवगुणों की माननीय सदस्यों ने बड़ी लम्बी-चौड़ी वार्ता की। मेरे भाई विक्रमादित्य सिंह जी ने तो यह कह दिया कि आर0एस0एस0 से गऊ माता जुड़ी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि गऊ माता आर0एस0एस0 से जुड़ी हुई है। आपको भी गऊ माता की याद आई उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और अभिनन्दन करता हूं। गऊ माता आज रास्ते में भटक रही है । हम जितने भी सदस्यगण बैठे हैं, हमने अपने-अपने घरों में कितनी गऊ माताएं पाल रखी हैं, पहले हमें यह देखना होगा। समाज आपकी ओर देखता है। गाय के गुणों का जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना मर्ज़ी हम बख़ान करते रहे,जितना मर्ज़ी कहते रहें, परन्तु गऊ माता गौशालाओं में पलने वाली नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी गौशालाएं खोलें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गऊ माता के लिए पहला कदम उठाया और मंदिरों से 15 परसेंट जोड़ने की बात की। उसके ऊपर भी कई बार टिका-टिप्पणी हुई।

13.12.2018/1635/SS-AG/1

अध्यक्षः राजेश ठाकुर जी, विषय समाप्ति की ओर है, क्या आप इसके समर्थन में हैं?

श्री राजेश ठाकुरः मैं तो कहता हूं कि मंदिरों के पास जितना भी धन बचता है वह सारा गौमाता के ऊपर खर्चना चाहिए। गौमाता के लिए सारे सदन को बैठकर आज जो चिन्ता हुई है इसके लिए मैं सदन का धन्यवाद करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। गौमाता के लिए हम सब चिन्तन करें, धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय रमेश चंद ध्वाला जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? दो मिनट में अपनी बात रखें।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी)ः माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट तो अंत में पूंछ पकड़ने में लगते हैं। इसलिए मैं दो मिनट में क्या बोलूंगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनिरूद्ध जी ने संकल्प रखा है इसके बारे में मैं भी चार शब्द बोलना चाहता हूं। गाय हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है और यहां महाभारत के समय से ही गौमाता की पूजा की जाती है। लेकिन आजकल जितनी दुर्गति गौमाता की है उतनी माता की भी है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में क्या गिरावट आ रही है यह आपके सामने है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पठानिया जी के इलाके से आज जब मैं आ रहा था तो देहरा से इधर की तरफ को किसी ने गाय की टांग तोड़ दी थी। पठानिया जी के इलाके में वहां किसी ने गाय के थन और पूंछ काट ली थी। अब आप बताएं कि हम स्नातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर ऐसा-ऐसा निंदनीय कृत्य हो रहा है तो मैं आपको कहने जा रहा हूं कि यह हिन्दू धर्म भी विलुप्त होने वाला है। गाय के साथ इतना अन्याय हो रहा है। आज जो सड़कों पर गाय फिर रही हैं इसमें सरकार का भी कसूर है। ये बड़ी-बड़ी विदेशी गाय बाहर फौरेन कंट्री में अमेरिका या अफ्रीका वगैरह में मीट के लिए तैयार की गईं और उसका ब्रीड हमारे यहां पर आ गया। ब्रीड आ गया तो मैडम ठीक कह रही हैं कि चार-पांच साल पहले हमारी और जब दूध सूख गया तो सरकारी। इसमें सबसे पहले माननीय मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आय से जोड़ा जाए। यह ठीक है कि लोगों के लिए इसका गोबर काम आता है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने एक किताब में एक एडीटोरियल लिखा था कि 55 करोड़ रुपया 2007 में बैल और गाय पर आज कम होकर 29 करोड़ रुपया रह गया है। इन गायों की तस्करी हो रही है। रात को तिरपाल डालकर गाय भेजी जा रही हैं और हमारे ही लोग वहां मिले हुए हैं। यह हिन्दू धर्म और ऐसा कर्म है और उन गायों की तस्करी हो रही है। इसलिए अनिरूद्ध जी ने बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प यहां पर रखा है, इसके ऊपर चिन्ता की जाए। इसको कम-से-कम आय से जोड़ा जाए। अब ये

जो सारे बैल हैं ट्रैक्टरों ने सारा सिस्टम बरबाद किया है। अब लोगों ने जगह-जगह ट्रैक्टर रखे हुए हैं। उसके कारण हमारे बैल नकारा हो चुके हैं। 90 परसैंट ये विदेशी बैल आपको सड़कों पर मिल रहे हैं और वे लोगों को मार रहे हैं। दो-तीन इंसीडैंट्स हमारे पड़ोस में ही हो गए हैं। इस वास्ते मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी बड़ी सूझ-बूझ रखते हैं, इसको आय से जोड़ा जाए और इस ब्रीड का चेंज किया जाए ताकि लोगों को कोई दूध वगैरह मिल सके और लोगों को कोई आमदन हो सके। तो यह जो सैंक्चुअरी की बात यहां पर कही, मैं सबसे बड़ी सैक्चुअरी बनाने जा रहा हूं, वहां पर 2000 अवारा पशु रखे जायेंगे। वहां पर 600 कैनाल सरकारी भूमि की व्यवस्था है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे इलाके में सैंक्चुअरी सैंक्शन की है। पैसे भले ही 15 परसैंट ये मंदिर से दे रहे हैं और एक रुपया शराब की बोतल से आ रहा है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मंत्री जी ने उत्तर देना है, इसे पास करना है।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले संकल्प को आगे ले जाएं। अगर इनको खड़े करना है तो मैं बैठ जाता हूं। इतना कहते हुए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, समर्थन हो गया, धन्यवाद। अब श्री नन्द लाल जी, आप एक मिनट में अपनी बात रखें।

13.12.2018/1640/केएस/डीसी/1

श्री नन्द लाल (रामपुर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अनिरुद्ध सिंह जी "गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने बारे।" इस माननीय सदन में लाए हैं, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने जो बातें यहां रखीं, उनसे ये तथ्य सामने आए कि गऊ माता के रख-रखाव में कमियां हैं। आवारा छोड़ी हुई हैं और जो गौ-सदन बनाए हुए हैं, उनमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। यह भी सभी मानते हैं कि इसकी न्यूट्रिशियन वैल्यू और दूसरे बहुत से फायदे हैं और हमको इसको जरूर

राष्ट्रमाता का दर्जा देना है परन्तु इनके रख-रखाव में इंडिविजुअल और गवर्नमैंट लैवल पर जो कमियां हैं, उनको देखना भी जरूरी है। हमारे गौ-सदनों में अधूरी व्यवस्था है। हम लोग जो पहाड़ी गाय की बात कर रहे हैं। गवर्नमैंट को एक कॉंक्रीट पॉलिसी लानी होगी ताकि इसके रख-रखाव में कुछ सुधार हो पाए ।इसकी न्यूट्रिशियन वैल्यू व दूसरी चीजों को बाद में डिसकस कर सकते हैं लेकिन पहले इनके रख-रखाव के लिए जरूर एक पॉलिसी लानी होगी। यह जो प्रस्ताव लाया है, हम भी उसमें अपने आप को शामिल करते हैं, अनिरुद्ध सिंह जी को मुबारकवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है परन्तु सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि गाय के रख-रखाव के लिए एक कॉंक्रीट पॉलिसी हो और अगर कोई अपनी गाय को आवारा छोड़ता है तो उसके लिए भी सजा का कोई प्रावधान हो। जैसे टैगिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, उसमें भी पंचायत लैवल पर जिस तरह से पहले भी सरकार के प्रयास रहे हैं, इसको और सख्ती से इम्पलीमेंट किया जाए ताकि अबेन्डन करने की परिस्थिति में चैक आए और गौ-सदन की पॉलिसी में भी एक अच्छी व्यवस्था की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव "गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने बारे," चर्चा में लाया है । निश्चित रूप से यह पूरे समाज और देश के लिए एक आस्था का विषय है क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारी गऊ माता हमारे लिए एक आस्था का विषय रही है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में पहले से ही इसे राष्ट्रमाता नहीं, विश्वमाता कहा है। वेदों में कहा गया है कि जो गऊ का दूध है वह मानव जीवन के लिए बहुत ही पौष्टिक है, उत्तम है। अगर मां के दूध के बाद दूसरा दूध किसी के लिए उपयोगी है तो वह गऊ माता का है। जो गाय का गोबर है वह हमारी कृषि का आधार है और आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि इसके अंदर की जो उर्वरक क्षमता है वह बाकी पशुओं के गोबर से ज्यादा है और जो पंचगब्य है, उसका चिकित्सा में एक महत्व है और इसलिए गाय को माता जैसा

महत्व दिया गया था। इसको इस आस्था के साथ जोड़ा गया था कि गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। प्राचीन भारत की जो संस्कृति थी, भारत के जो गांव थे वे समृद्धशाली थे, आत्म निर्भर थे और हमारी अर्थव्यवस्था गाय पर आधारित थी लेकिन जैसे-जैसे भारत वर्ष आजाद हुआ, हमने इस देश के अंदर हरित क्रान्ति लाने के चक्र में

13.12.2018/1645/av/hk/1

इस देश की खेती को रासायनिक खेती में परिवर्तित कर दिया और हम ज्यादा उपज लेने में कामयाब हुए। लेकिन हम यहां पर सफेद क्रान्ति के चक्र में बाहर से जर्सी गाय लेकर आ गये। मैं यहां पर अपने प्रदेश की स्थिति का जिक्र करूंगा। हमारे प्रदेश में आज जितना भी गौवंश है वह शंकर नस्ल का हो गया है। यहां पर न कोई जर्सी प्योर है और न ही जो एच0एफ0 लिया है वह प्योर है। भारतवंश का जो गौवंश है हमने उसकी नस्ल को ही समाप्त कर दिया और इस बारे में किसी ने चिन्ता नहीं की। ब्राजील, न्यूजीलैंड और डैनमार्क जैसे देश हमारे यहां से साहीवाल नस्ल को ले जाकर वहां पर संवर्द्धन करते हैं। यहां पर जो 7-8 लीटर दूध देती थी आज वही साहीवाल गाय ब्राजील में 70-80 लीटर दूध दे रही है। हमारे लिए गौवंश पहले आस्था का विषय था लेकिन आज वह समस्या का कारण बना हुआ है। आज गौवंश सड़क पर है और गौवंश के सड़क पर होने के कारण हमारा किसान नाराज है। उसको अपने खेत में फसल बोना मुश्किल हो गया है। हमारे किसान को लगता है कि उसकी गाय ज्यादा दूध नहीं देती और उसके लिए अब वह उपयोगी नहीं है इसलिए उसको सड़क पर छोड़ देता है। उसको यह लगता है कि अब बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है जिसके कारण अब किसान को बैल रखना भी एक समस्या हो गया है और वह उसको भी सड़क पर छोड़ देता है। लेकिन हमारे लिए यह एक चिन्ता का विषय है और इसके समाधान हेतु हमें बहुत प्रयास करने होंगे। पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल के समय मान्य उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि प्रत्येक पंचायत के अंदर एक गौशाला खुलनी चाहिए। इसके लिए प्रयास किए गए लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई। मगर यहां पर जैसे ही हमारी सरकार बनी तो माननीय

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्द्धन के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। वर्तमान सरकार की पहली कैबिनेट में पहला निर्णय 80 वर्ष की आयु के वृद्धों के लिए लिया गया और उनकी पैंशन आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी गई। उसके उपरांत दूसरा विषय गौमाता का लिया गया और इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पहली ही कैबिनैट की मीटिंग में इसके लिए एक सब-कमेटी बनाई ताकि वह इस बारे में चिन्ता करे। उस सब-कमेटी की मीटिंग्ज हुईं और इस बारे में चिन्ता की गई। वर्ष 2011-12 की पशु जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश के अंदर 21.49 लाख गौवंश है लेकिन उसमें से 40 हजार गाय ऐसी हैं जो आज सड़क पर है। वर्ष 2011-12 के बाद यह आंकड़ा बढ़ा होगा, कम नहीं हुआ। हम केवल 10,000 गायों को ही गौशाला तक पहुंचा पाये हैं। ऐसी 120 संस्थाएं हैं जो स्वयं प्रेरणा व जन सहयोग के साथ गौवंश का संरक्षण कर रही है। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों के लिए एक नीतिगत फैसला लिया। हम कई बार इनको अवारा गाय भी कह देते हैं। लेकिन गाय को हम मां कहते हैं और मां कभी अवारा नहीं हो सकती; बेसहारा हो सकती है। उसके पुत्र द्वारा उसकी रक्षा न कर पाने के कारण वह बेसहारा होती है। इसलिए वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश में बड़े-बड़े गौ-अरण्य क्षेत्र स्थापित किए जायेंगे और उसमे

13.12.2018/1650/TCV/AG/1

प्रत्येक जिला के अंदर एक-एक गऊ सैंक्चुअरी तैयार करें। इसको हम यहां एक पायलट प्रोजैक्ट के रूप में स्थापित करेंगे। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसको धरातल पर उतारने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोटला-बडोग के 700 बीघा क्षेत्र में इसके प्रथम चरण में मु0 1.52 करोड़ रुपये से 100 बीघा के अंदर गऊ अरण्य क्षेत्र स्थापित किया है। थाना कलां में मैं पहले भी एक गऊशाला चला रहा हूं। वहां पर 120 ऐसे ही बेसहारा पशु रखे गए हैं। वहीं साथ में 500 बीघा जमीन ट्रांसफर कर दूसरा गऊ अरण्य क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं। ऐसे ही 800 बीघा के अंदर डमटाम क्षेत्र और कांगड़ा जिला में ज्वालाजी

मन्दिर और नालागढ़ क्षेत्र में लैंड ट्रांस्फर हो गई है। अन्य जिलों के अंदर हम गऊ अरण्य क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें एफ0सी0ए0 की प्रोब्लम आ रही है। हमें उम्मीद है कि हम माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से फरवरी, 2019 तक 4-5 अरण्य क्षेत्रों को स्थापित करने में सफल होंगे। जो हमारे अनप्रोडैक्टिव अनिमल्स है, हम उनको गऊ सैंक्चुअरीज़ में भेज रहे हैं। लेकिन ये गऊ किसान के लिए लाभकारी हो, घाटे का सौदा न हो। इसलिए इनकी नस्ल का सुधार होना चाहिए। इसके लिए वर्तमान में जो हमारी गऊशालाएं चल रही है, वहां पर हम भारतीय मूल की गऊ को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें शोध करने के लिए गऊ विज्ञान केन्द्र बनाएंगे और वहां पर नस्ल सुधार का काम होगा। हमारे यहां पर जो दूसरा गऊ विज्ञान केन्द्र होगा जोकि गऊ के गोबर से शून्य खेती के लिए उपयोगी होगा। गाय के गऊमूत्र से हम औषिधि निर्माण करेंगे। हम गऊ के मूत्र को आयुर्वेद में प्रयोग करेंगे। हम उसको आत्मनिर्भर गऊशाला बनाएंगे। हमने यह भी तय किया है कि हमारी जो पहाड़ी नस्ल की गाय है, हम उसकी नस्ल को बदलेंगे। उसका जो दूध है, वह बहुत ही उपयोगी है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को गाय के दूध का अधिक मूल्य मिले इसके लिए हमने उसको अलग नस्ल की बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अलग से एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। उसका नाम 'गौरी' होगा। दूसरी पहाड़ी मूल की जो गाय है, उसका भी एक केन्द्र ऊना में स्थापित कर रहे हैं। उस पर 10 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसके लिए धनराशि केन्द्र से स्वीकृत हो चुकी है। इसके लिए भी मैं केन्द्र सरकार और अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आज ऐसे अनेको प्रयास हमारी सरकार करने जा रही है। जिसको जर्सी चाहिए उसको हम अच्छी नस्ल का सीमन स्ट्रो उपलब्ध करवाएंगे। इससे प्रदेश में अधिक गुणवत्ता वाली भारतीय नस्लें जैसे कि साहीवाल और रैडसिंधी को लोकप्रिय बनाया जा सकेगा। इसके लिए प्रदेश में जिला ऊना में फार्म खोलना प्रस्तावित है। प्रदेश की पहाड़ी गाय को पहचान दिलाने के लिए तथा इसकी वांशिकीं निर्धारित करने के लिए मामला राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान (National Bureau of Animal Genetic Resources Karnal) के पास भेजा गया है।

13-12-2018/1655/NS/HK/1

हमारे विभाग द्वारा 2.4 लाख सीमन स्ट्रा परचेज़ किया गया है और विभिन्न डिस्पैंसरियों और अस्पतालों में उपलब्ध करवाया गया है। आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि बैल का कोई उपयोग नहीं रहा है। इसलिए हमने सोचा कि उनके प्रजनन में थोड़ी राके लगाई जाए। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सरकार सैक्स एग्जोटिक सीमन स्ट्रा परचेज़ कर रही है ताकि किसान को बछड़ी ही उपलब्ध हो और बछड़े उपलब्ध न हों। हम इस तरीके से बछड़े की संख्या कम करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम चहुं और से प्रयास कर रहे हैं। किसान पशुओं को गर्मियों के दिनों में तूड़ी ही खिलाता है और बरसात के दिनों में हरा घास ही खिलाता है। जिसके कारण पशुओं में हो पौष्टिकता की कमी हो जाती है। इस कारण गाय और भैंस में खून की कमी हो जाती है और इनमें बांझपन की समस्या ज्यादा होती जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए लगभग 7 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इसलिए आने वाल समय में हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि हम गाय को प्रेग्नैंसी राशन भी देंगे। हम चारों और से ऐसे अनेकों प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि किसान के खूंटे में गाय को पहुंचाया जाए न कि गौशाला में। हम गाय को किसान के खूंटे तक ले जाना चाहते हैं। गौ हमारी आस्था का प्रतीक है। हम इस प्रदेश के किसानों के अंदर फिर से गौ माता के प्रति आस्था पैदा करना चाहते हैं। यह हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मैं आपका इस प्रस्ताव को लाने के लिए धन्यवाद करता हूं। गौमाता का महत्व बढ़ना चाहिए। गौमाता को विश्व माता और राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। हमें इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहां पर जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आर0एस0एस0 का अखाड़ा बनाया हुआ है। इसने कोई ठेका नहीं ले रखा है। आप भी आगे आइए। मैं माननीय सदस्य राजेश ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि ये स्वयं दो गौशालाएं चलाते हैं और इन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी गौ सैंक्चुअरी स्थापित करेंगे तो ये अपने स्तर पर इसमें सहयोग करेंगे। मैं माननीय वन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया है और इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। कुल्लू के अंदर एक स्पर्श नामक एन0जी0ओ0 चलाई गई है और इनके साथ सहयोग करके जितनी भी गौ माता सड़क के ऊपर कुल्लू में घूम रही हैं तो ये लोगों के सहयोग से इनके लिए आश्रय स्थल बना रहे हैं। क्योंकि वहां पर बर्फबारी शुरू हो रही है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी प्रस्ताव पारित करना है और अगला इंट्रोड्यूस करना है। आप वाईंड अप करें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा। मैं माननीय सदस्य जिया लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं तीसा में गया तो इन्होंने भी बहुत सहयोग किया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहले ही कहा है और कल जब नशे के ऊपर प्रस्ताव आया था, तब भी कहा था कि जन सहयोग के बिना कोई अभियान सफल नहीं हो सकता है। हम सबने गौमाता का बीड़ा उठाया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम जहां-जहां गौशालाएं और गौ सैंक्चुअरी स्थापित करें तो आप वहां पर हमें सहयोग दें। बहुत सारे माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और माननीय अनिरूद्ध सिंह जी ने भी इस विषय को रखा है कि गौमाता को राष्ट्र माता का दर्ज़ा मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित करें। साथ ही में मेरा निवेदन रहेगा कि यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि हम इस प्रस्ताव को केंद्र में भेजेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पवित्र सोच के साथ आगे बढ़ें और इस पवित्र सोच को अपने केंद्रीय नेतृत्व के पास भी ले जाइए। उनको भी समझाइए कि जब यह प्रस्ताव सदन में लेकर आए तो इसको वे पारित करें। धन्यवाद।

13.12.2018/1700/RKS/YK-1

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि "यह सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने बारे कोई नीति बनाने पर विचार करें।"

संकल्प स्वीकार।

अब श्री राकेश सिंघा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग)ः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं "This House may discuss to give insurance cover to the farmers of the

State for crop cultivation and recommends to the Government to form a policy."

अध्यक्षः समय समाप्त होने के कारण यह प्रस्ताव अगले सत्र में लिया जा सकेगा।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 13 दिसम्बर, 2018 **सचिव।**